चतुर्थ माला, खंड 41, अंक 51 मंगलवार, 5 मई, 1970/15 वैशाख, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLI. No. 51 Tuesday, 5 May, 1970/Vaishakha 15, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. Go.C.(A.)
Date 16.11.7

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 51 5 मई, 1970/15 वैशाख, 1892 (शक)

No. 51, May 22, 1970/Vaisakha 15, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1411 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment to the Representation of the People Act ...	1–3
1412 विद्युत डीजल और भाप से चलने वाले इंजनों की प्रति घंटा औसत गति	Average run per hour of Electric Diesel and Steam Engine	4–6
1413 मुस्लिम वैयक्तिक विधि में सुधार	Reform in Muslim Personal Law	6–10
1416 कृत्रिम नगों का निर्माण	Production of Synthetic Stones	10–11
1417 अगरपाड़ा तथा सोदपुर स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे दुर्घटना	Railway Accident between Agrapara and Sodpur Station (Eastern Railway) ...	11–12
1420 आपात की स्थिति में सहायता के लिये जनाने डिब्बों में विशेष व्यवस्था	Special Arrangements in Ladies compartments to seek help in emergency	13-14
1422 स्वचालित घड़ियों का उत्पादन	Production of Automatic Watches	14–15
1423 ट्रैक्टरों का देश में निर्माण	Indegenious production of Tractors	15–17
अल्प–सूचना प्रश्न		
28 ओखा तथा कोहिमा में भारतीय सुरक्षा दल तथा विद्रोही नागाओं के बीच मुठभेड़	Clash between Indian Security Force and rebel Nages at Okha and Kohima ...	17–25

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ ता. प्र. संख्या/S.Q. Nos.	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1414 आयात प्रतिस्थापन से विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of foreign exchange by Import substituion ...	25-26
1415 स्कूटरों सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Export Committee on Scooters	26
1418 बिलैट री रोलिंग कारखानों को रोलिंग योग्य बिलैटों का उपलब्ध कराया जाना	Availability of Re-Rallable Billets to the Billet re-Rollers	27
1419 बीना टिकट सैक्शन (मध्य रेलवे) पर दोहरी रेलवे लाइन का निर्माण	Double Railway line on Bina-Katni Section (Central Railway)	27
1421 स्टेंडर्ड एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई पर कपाड़िया परिवार का नियंत्रण	Kapadia Family's Control over Standard Drum and Barrel Manufacturing company, Bombay	28-29
1424 बोकारो इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन की लागत	Cost of production of Steel at Bokaro Steel Plant	29-30
1425 पुन: बैलन योग्य बिलेट के वितरण सम्बन्धी नीति	Distribution Policy of Re-Rollable Billets ..	30
1426 बोकारो इस्पात कारखाने को ढांचों का संभरण	Supply of Instructials to Bokaro Steel Plant	30-31
1427 मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Election Commission Re: Mid Term Election	31
1428 समान सिविल संहिता के लिये भारत में मुसलमानों की मांगें	Demands of Muslims in India for Common Civil Code	32

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

1429	चौथे सामान्य निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Election Commission Re: Fourth General Elections	32-33
1430	मैसूर राज्य में नये उद्योग स्थापित करना	Setting up of new industries in Mysore ...	33
1431	इस्पात की कतरनों की खपत	Consumption of Steel Scrap	34
1432	उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का लघु क्षेत्र पर असर	Effect of delicensing of Industries on Small Scale Sector	34-35
1433	विवाहित रेलवे कर्मचारियों के स्थानन्तरण सम्बन्धी नियम	Rules governing transfer of married Railway employees	35
1434	दिल्ली में प्रकाशन क्षेत्र में नई कम्पनियां	New companies in publishing field in in Delhi	35-36
1435	रूस के तिहाजप्रोमैक्सपोर्ट द्वारा बोकारो इस्पात सयंत्र का निर्माण	Building of Bokaro Steel Plant by Tiajpromezport of USSR ...	36 37
1436	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वित	Implementation of Recommendation of Hindu Religions Endowment Commission	37-38
1437	चितरंजन रेल इंजन कारखानों मे खराब कारीगरी तथा घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण विद्युत चालित रेल इन्जनों में गड़बड़ी	Electric Loco trouble due to bad workmanship and use of substandard materials by Chitaranjan Loco Factory...	38
1438	मैसर्स डी. मैको पोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड का मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में विलय	Amalgamation of M/s. D. Macropolo & Co. Ltd. with M/s. Godfrey Philips India Ltd.	38-39

1439	बड़े व्यापार गृहों द्वारा फर्मों पर नियंत्रण	Control over concerns by big Business Houses	39–40
1440	हिन्दुस्तान स्टील द्वारा लघु उद्योगों को सप्लाई के बदले में नियत राशि रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन	Change in procedure by Hindustan steel Re. Fixed Deposits against supplies to Small Scall Industries	40

अ.ता. प्रश्न संख्या/U.S.Q. Nos.

8507	दिल्ली के फोटोग्राफरों द्वारा काले बाजार की कीमतों में फोटोग्राफी का कागज खरीदना	Payment of Black Money by Delhi Photographers to procure photographic Paper ...	40-41
8508	पम्प निर्माता उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material used by Pump Manufacturing Industry	41-42
8509	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on the Affairs of British India Corporation ...	42
8510	रेलवे सुरक्षा दल और विशेष दल के कर्मचारियों में अन्तर	Distinction between personnel of Railway Protection Force and Special	42–43
8511	रजिस्टर्ड गैर सरकारी उपक्रम	Registered Private Undertakirgs	43-44
8512	रायबरेली और कानपुर (उत्तर रेलवे) के बीच स्थानीय यात्री गाड़ी	Local passenger between Rae-Bareili and and Kanpur (Northern Rly.)	45
8513	रेलवे गुड्स शेडों, पार्सल दफतरों प्लेट फार्मों तथा स्टोर डिपुओं से चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य	Value of property stolen from Railway Goods sheds, Parcel Offices, Platforms and Stores Depots	45–46

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
8514 एलियापेरूमल समिति के बारे में पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रखना	Laying of copies of letters re. Elyaperumal Committee	46–47
8515 विधि मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त विक्रमविलेख	Sale deeds in Hindi received in Law Ministry	47
8516 महाराष्ट्र में बिना जोड़ वाली ट्यूबों तथा गैस सिलण्डर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये अनुमति देना	Clearance for setting up seamles tubes and gas cylinders projects in Maharashtra ...	47
8517 मकान बनाने के लिये ऋण देने के मामलों का निपटारा करने में विलम्ब	Delay in disposal of House Building Advance eases	48
8518 मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट(प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारियों की बैठक	Meeting of Share Holders of M/s. Ithad Motor Transport (P) Ltd.	48–49
8519 मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by M/s. Ithad Motor Transport (P) Ltd.	49
8520 नारी निकेतन, दिल्ली	Nari Niketan Delhi ...	50–51
8521 विधि के स्नातक छात्रों के लिये प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें	Text books in regional languages for LLB Students ...	51
8522 दिल्ली में बहुविवाह पर प्रतिबन्ध	Prohibition of Polygamy in Delhi	51–52
8523 सरकारी उपक्रमों में अनिर्णित विवाद	Pending disputes in Public Undertakings ...	52
8524 सूती और पटसन के कपड़ों को बुनाई की मशीन का निर्माण	Manufacture of Weaving Machines for cotton and jute Textiles ...	52–53

8525	सौराष्ट्र में सिक्का पत्तन पर गैर सरकारी क्षेत्र में एक पोत प्रांगण की स्थापना	Setting up of a Shipyard in Private sector at Sikka Port (Saurashtra)	53
8526	प्रशिक्षित अन्धे व्यक्तियों को रोजगार	Employment of Trained Blind men ...	53–54
8527	इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयर में निवेश	Investment in shares of impact Publication (P) Ltd.	54–55
8528	ईरान में माल डिब्बा बनाने के कारखाने की स्थापना के लिये करार	Agreement for setting up wagon manufacturing plant in Iran	55
8529	जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में सरकारी उद्योग	Public Sector industries in Jammu and Kashmir Himachal Prades. Punjab, Haryana, and Chandigarh ...	55–56
8530	विकलांग व्यक्तियों को सहायतार्थ एक पृथक निधि की स्थापना	Setting up a separte fund to help Physically Hindicapped People ... —	56
8531	अनुसूचित आदिम जातियों की सूची तैयार करने में अपनाये गये सिद्धान्त	Principles adopted for drawing up list of scheduled tribes	56
8532	हिन्दी में तारें न स्वीकार करने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तार घर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against New Delhi Railway Station Telegarh Office for non-acceptance of Telegrams in Hindi	56–57
8533	भारतीय सीमेंट निगम में हरिजन आदिवासियों के के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of posts for Harijan Adivasis in Cement corporation of India ... —	57
8534	सम्पति सम्बन्धी मूल अधिकार का हटाया जाना	Deletion of fundamental rights relating to property ... —	57–58

8535	अनुसूचित जातियों के अपंग व्यक्तियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to handicapped Scheduled Castes	58
8536	शोलापुर जिले में आदि-वासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tribals in District Sholapur	58–59
8537	गुड़ में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on future contracts in gur ...	59
8538	ठंडे पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक्स) के मूल्य	Prices of cold drinks	59-60
8539	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टरों की कमी	Shortage of ticket collectors at Allahabad Railway Station	60
8540	भटनी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर टिकटों की बिक्री और आय मामलों अनियमिततायें	Irregularities in sale of Tickets and other matters at Bhatani Station (North-Eastern Railway)	60
8541	चंडीगढ़ स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर प्रतीक्षालय तथा जलपान गृह	Waiting Room and Refreshment Rooms at Chandigarh Station(Northern Railway) ...	60–61
8542	भारतीय रेलों में रेलपथ निरीक्षकों तथा सहायक रेलपथ निरीक्षकों के लिये बेहतर वेतन-मान	Better pay scales for Permanent Way Inspectors and Assistant Permanent Way inspectors on Indian Railways	51
8543	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग	Demand for a Wage Board by All India Railwaymen's Federation ...	62
8544	रेलवे के कुछ श्रेणियों की कर्मचारियों के लिये मुफ्त बीमा पालिसियों का जारी किया जाना	Issue of free insurance policies to certain categories of Railway employees... ...	62

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

8545	छपाई के सफेद कागज की कमी दूर करने के लिये समिति	Committee to remove shortage of white printing paper	62–63
8546	सूआखेड़ा (मध्य प्रदेश) में स्थित सीमेंट कारखाने के लिये कच्चे माल की खोज	Exploration for raw material for Cement factory at Suwakhera (M. P.)	63–64
8547	केरल में मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने वाला कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of automobile tyre and tube factory in Kerala	64
8548	भारत के संविधान के उपबन्धों को क्रियान्वित न किया जाना	Non implementation of provisions of constitution of India	64–65
8549	अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन	Production of quality goods ...	65–66
8550	लुधियाना में बीयर बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Beer factory in Ludhiana	66
8551	इस्पात प्रौद्योगिकी का निर्यात	Export of Steel Technology	67–68
8552	भारत के उच्च-न्यायालयों के साथ सम्बद्ध सरकारी परिसमापक	Official liquidators attached to High Courts in India	68-69
8553	भिलाई इस्पात कारखाने के आस-पास ढलवां लोहे के कारखाने की स्थापना	Setting up of pig iron plants around Bhilai Steel Plant	69
8554	उत्तर बिहार में चमकदार टाइलों का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Glazed tiles factory in North Bihar	69–70

8555	खादी की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Khadi goods	70
8556	पश्चिम बंगाल से बिड़ला समवायों के कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने पर रोक	Check on shifting of offices of Birla firms from West Bengal	70–71
8557	मद्य निषेध के बारे में गांधी शताब्दि सम्बन्धी स्थायी समिति के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Nemorandum submitted by a Deputation of Standing Committee of Gandhi Centenary on Prohibition to P. M.	71
8558	कलकत्ता क्षेत्र से अधिकारियों के स्थानान्तर के सम्बन्ध में नीति	Policy Re: Transfer of officers from Calcutta Area	71
8559	कलकत्ता क्षेत्र में लेखा विभाग के अधिकारियों का बना रहना	Stay of officers of Accounts Department in Calcutta Area	72
8560	दानापुर के लोको शैड में ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे कोयला खलासियों की सेवा की शर्तें	Service condition for coal Khalasis working under contractors in Loco Shed, Danapur	72
8561	फरीदाबाद के निकट सदर्न एक्सप्रैस की मालगाड़ी के साथ टक्कर	Collusion of Southern Express with Goods train near Faridabad	72–73
8562	कन्या कुमारी तक रेल लाइन की व्यवस्था	Extension of railway line upto Cape Comorin ...	73
8563	रेलवे स्टेशनों में प्रतीक्षालय तथा प्लेट फार्म	Waiting rooms and platforms for railway stations ...	73
8564	रेलवे इंजनों के लिये अच्छी किस्म का कोयला	Good quality coal for railway engines ...	74
8565	मैसर्स कपाडिया ब्रदर्स द्वारा नियंत्रित किल्लिक उद्योग समूह	Killick group of Industries controlled by M/s Kapadia Brothers	74

8566 बालीगंज से बरानगर तक तथा बालीगंज से बैलघारिया तक के स्टेशनों के मासिक टिकट रखने वालों के लिये किराये में अन्तर — Disparity between fares for monthly ticket holders from Ballygunge to Baranagar and Ballygunge to Belgaria Station 74–75

8567 गाड़ियों में सरकारी धन के लिये सुरक्षा व्यवस्था — Security arrangments in train for Government cash 75

8568 रेल भाड़ा घटाने की मांग — Demand for decrease in Railway Freight ... 76

8569 विजयवाड़ा तथा राजामंदुरी में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति — Posting of additional staff at Vijayawada and Rajahmundry 76

8570 मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय इन्दौर द्वारा अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही — Departmental action against officers held responsible for irregularities by Madhya Pradesh High Court, Indore 76–77

8571 रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों के लिये वेतनमान — Pay scales of teachers in Railway Schools ... 77

8572 रेलवे अस्पताल, कोटा (राजस्थान) के निकट भूमि में कृषि — Cultivation of land adjacent to Railway Medical Hospital Kota (Rajasthan) ... 77

8573 अमरीका द्वारा प्लास्टिक के पुर्जों से कारों का निर्माण — Manufacture of car by USA with Plastic Components 77-78

8574 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में सुन्दर वन क्षेत्र का विकास — Development of sunderbans area in 24 Pargana District (West Bengal) 78

8575 मुरादाबाद चंदौसी अलीगढ़ यात्री गाड़ी के तीसरे दर्जे के यात्रियों को मझौला बहजोई (उत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच लूटा जाना — Looting of passengers of III class compartment on Moradabad Chandausi Aligarh Passenger Trains between Majola Babjoi Stations (Northern Railway) .. 78–79

8576 इलाहाबाद स्थित मंडल अधीक्षक के कार्यालय (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान न किया जाना — Non payment of arrears to employees of office of Divisional Superintendent Allahabad (Northern Railway) 79

8577 इलाहाबाद मंडल अधीक्षक के अधीन कार्यालयों के रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति — Re-embursement of tution fees to Railway employees of offices under Divisional Superintendent, Allahabad 79–80

8578 उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति — Promotion of Stenographers in Northern Railway ... 80

8579 दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में समाज कल्याण कार्य — Social welfare activities in J-J. Colonies in Delhi 80–81

8580 दिल्ली के लिये परिवहन सुविधायें तथा वृत्ताकार रेलवे — Transport facilities and rlng Railway for Delhi 81

8581 दिल्ली में रेलवे भूमि का सर्वेक्षण और दिल्ली स्थित रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण — Survey of Railway land in Delhi and Construction of Quarters for Railway Staff ... 82–83

8582 ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश) में नर्मदा नदी पर पुल — Bridge over Narmada River in Onkareshwar (Madhya Pradesh) 83-84

8583 इटारसी भुसावल सेक्शन में हरसुद पर वाराणसी एक्सप्रैस गाड़ी का रुकना — Stoppage of Varanasi Express at Harsud on Itarsi Bhuswal Section 84

8584 सिवानी बनपुरा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के दूसरी ओर स्थित तृतीय श्रेणी यात्री शौचालय का बन्द करना — Closure of III Class Passenger Lavatory on the side of Banapura Railway Station (Central Railway) 84–85

8585 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियों का निर्माण	Construction of colonies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	85
8586 मध्य रेलवे में रेलवे दुर्घटनाएं	Railway accidents on Central Railway ...	85
8588 राजस्थान के लिये बी.पी. चादरों का कोटा	Quota of B. P. Sheets for Rajasthan	85-86
8589 रेलवे के चल टिकट निरीक्षकों को वेतनमान देना	Grant of Pay Scales to Travelling Ticket Examiners on Railways	6
8590 भारतीय रेलवे तथा रेलवे बोर्ड के राजपत्रित अधिकारियों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Gazetted officers of Indian Railways and Railway Board...	86–87
8591 रेलगाड़ियों की दुर्घटनाएं रोकने के लिये उपाय	Measures to avoid collisions of Trains ..	87
8592 संसद तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने के लिये निर्धन लोगों को सहायता	Assistance to the poor to Contest Elections to Parliament and State	87–88
8593 वाणिज्यिक शाखा के रेलवे निरीक्षकों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime to Railway Inspectors of Commercial Branch	88
8594 मीलाखेड़ी यार्ड से इटारसी स्टेशन को भेजी गई सागौन की लकड़ी के लट्ठों की चोरी	Loss of Teak logs sent from Bhilaikhedi Yard to Itarsi Station	88–89
8595 पार्सल गाड़ियों तथा माल गाड़ियों को इटारसी स्टेशन से दूर रोक लेना	Detention of Parcel and goods trains away from Itarsi Station	89–90

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
8596 जनता के दावों के निपटारे में विलम्ब के कारणों सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Enquiry Commission on causes of delay in setting public claims..	90
8597 कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों के विरुद्ध अनिर्णित मामले	Cases pending against companies under Act 1956 ...	90
8598 मद्यपान के परिणाम	Consequences of Drinking	91
8599 कतिपय धर्मों के लिये सिविल संहिता	Civil Code for certain Religions	91
8600 गोथो कोया, कोंडा कोया डोलीकोया बट्टी, कापू, वाजुलू, मन्नी डोरा एजेंसी वाल्मिकि और कोंडा मालु को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Gothi Koya, Konda Koya, Doli-Koya, Katti Kapu, Kammara Vajulu, Manhi Dora, agency Valmiki and Konda Scheduled Castes List	91–92
8601 सहायक रेल पथ निरीक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of grades of Assistant Permanent Way Inspectors	92
8602 पूर्वोत्तर रेलवे के कतिपय पदों की प्रतिशतता में असमानता	Disparity between percentages on certain posts on North Eastern Railway... ...	93
8603 पूर्वोत्तर रेलवे मे रेल दुर्घटनाये	Railway Accidents on North Eastern Railway	93
8604 पूर्व रेलवे में रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents on Eastern Railway ...	93–94
8605 मध्य रेलबे में रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents on central Railway ...	94
8606 लेखा विभाग, मध्य रेलवे के कर्मचारिवों का दक्षिण मध्य रेलवे में स्थानान्तरण	Transfer of Staff of Accounts Department of Central Railway to South Central Railway	94–95

8607 जयपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के बुकिंग क्लर्कों को आरोप पत्र देना — Charge sheet served on booking Clerks of Jaipur Station (Western Railway) .. 96

8608 रतलाम स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को ज्ञापन दिया जाना — Memorandum submitted by Railway Employees at Ratlam Station to General Manager Western Railway .. 96–97

8609 भारतीय रेलवे में नियुक्त टाइपिस्ट — Typists employed on Indian Railways 97

8610 दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लिपिक संवर्ग के मामले में कार्यान्वयन — Implementation of recommendation of secound pay commission in respect of clerical Cadre 97–98

8611 जगाधरी (उत्तर रेलवे) के निकट पट्टे पर दी गई रेलवे की भूमि — Railway land given on lease near Jagadhri (Northern Railway) 98

8612 उत्तर भारत में फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों की मांग — Demand of Ferguson Tractors in North India ... 88–89

8613 बिलपुर स्टेशन (उत्तर रेलवे) को लूटा जाना — Looting of Bilpur Station (Northern Railway) 99

8614 बिहार सरकार द्वारा नियुक्त मधोलकर जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिश के परिणाम-स्वरूप संसद सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य की अयोग्यता — Disqualification of a member of parliament or a member of legislative assembly as Sequel to recommendations made by Mudholkar Enquiry Commission appointed by Bihar Government 99–100

8615 पूर्व रेलवे खण्ड यूनिट की स्विचमैन, कैबिनमैन, लीवरमैन एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन — Memorandum by Switchmen, Cabin Men, Levermen Association of Eastern Railway Zonal Unit 100–101

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd

8616 भारतीय रेलवे सिगनल तथा दूर संचार विभाग की दानापुर शाखा का अपने मंडल अधीक्षक को ज्ञापन प्रस्तुत करना	Memorandum submitted by Danapur Branch of Indian Railways Singnal and Tele-Communications to Divisional Superintendent	101
8617 अप कालका मेल (भूतपूर्व हावड़ा) का दिल्ली में देर से पहुंचना	Late arrival of 1-up Kalka Mail (Ex-Howrah) at Delhi	101–102
8619 भिखारी गृह	Beggar Houses	102
8620 औद्योगिक संस्थानों में आग लगने की घटनायें	Fires in Industrial Establishments ...	102-104
8621 हावड़ा और नई दिल्ली के बीच डीलक्स रेल-गाड़ियों के साथ जोड़े जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बों की दशा	Condition of frist class compartments attached to De-lux Trains betwen Howrah and New Delhi	105
8622 महाराष्ट्र में नये उद्योग की स्थापना	New Industries set up in Maharashtra	106
8623 प्लेटफार्म टिकट लेकर रेलवे प्लेट फार्मों पर जाने के सम्बन्ध में नियम लागू करना	Enforcement of rule re: Entry to Railway Platforms with Platform Tickets	106
8624 गांधीधाम के सफाई कर्मचारियों (क्लीनरों) द्वारा पश्चिम रेलवे के महा प्रबन्धक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना	Representation submitted by Cleaners of Gandhidham to General Manager Western Railway	106–107
8625 पश्चिम रेलवे में सी गार्डों के ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of seniority in the Grade of Guards 'C' on Western Railway	107
8626 जोन के सामान्य तथा यातायात वरिष्ठता यूनिटों के लेखा विभागों में ग्रेड एक के क्लर्क	Clerks Grade I in General and Traffic seniority uints of Zonal Accounts Departments	107–108

8627 जोन में ग्रेड II के यातायात तथा सामान्य लेखा वरिष्ठता यूनिट क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of clerks Grade II in Zonal Traffic and General Accounts Seniority Units ...	108
8628 एपेंडिक्स 11 ए परीक्षा, 1970 में उत्तीर्ण हुए ग्रेड 11 के क्लर्क	Success of Clerks Grade II in Appendix IIA Examination, 1970	108
8629 पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय में फालतू कर्मचारियों की समाविष्ट	Absorption of Surplus staff in Foreign Traffic Accounts Office of Western Railway ...	108–109
8630 रेलवे मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये मौन धारण करने के घंटों का पालन करना	Observnace of Silence Hours to increase efficiency in offices of Railway Ministry..	109
8631 त्रिचूर रेलवे कुली संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Trichur Railway Porters' Union	109–110
8632 पूर्व रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों, भिश्तियों) को छुट्टी तथा वर्दी सम्बन्धी सुविधाएं फिर से देना	Holidays and Uniform facilities to class IV Staff (Sweepers, Bhisties) on Eastern Railway	110–111
8633 पूर्व रेलवे के मुख्यालय के अधीन कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of workers under Eastern Railway Headquarters ...	111
8634 उत्तर रेलवे में चारबाग लखनऊ स्थित इंजिन बनाने वाले कारखाने में स्थित स्थायी स्थानों पर नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी रूप से रखना	Permanent absorption of casual labourers against permanent vacancies in Locomotive Works, Charbagh, Lucknow (Northern Railway)...	111–112

8635 ब्रेकमैन की अनुपस्थिति में सुमडिंग हैडक्वार्टर के गार्डों की कठिनाइयां — Difficulties of Lumding Headquarters in the absence of Brakesman 112

8636 मालदा और कटिहार डिवीजनों(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के गार्डों को स्थायी बनाना — Confirmation of Guards of Maldah and Katihar Division (Northeast Frontier Railway) ... 112-113

8637 तिनसुकिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के मरियानी के गार्ड को बकाया राशि भुगतान न किया जाना — Non-payment of arrears to Guard of Marerial of Tinsukia Division (North-East) Frontier Railway) 113

8638 पश्चिम बंगाल से उद्योगों को हटाना — Shifting of Industries from West Bengal ... 113-114

8639 पटना स्टेशन पर तूफान एक्सप्रेस की एक रेल डिब्बे के साथ टक्कर — Collision of Toofan Express with a compartment at Patna Station 114

8640 रेलवे हाई स्कूल खुरदा रोड़ के लिये चारदीवारी और प्रयोगशाला उपकरण — Boundary wall and Laboratory equipments for Railway High School, Khurda Road... 115

8641 हसन मंगलौर रेलवे लाइन के लिये भूमि अर्जित करने से वहां से हटाये गये व्यक्तियों को सरकारी खाली भूमि देना — Allotment of vacant Government land to persons displaced from land acquired for Hassan Mangalore Railway line... ... 115-116

8642 तंजानर त्रिची रेलवे लाइन पर उपरिपुल का निर्माण — Construction of over bridge on Thanjavore Trichy Railway Line 1 6

8643 डिवीजन के आधार पर ए ग्रेड के गार्डों की वरिष्ठता तथा पदोन्नति — Seniority and promotion of 'A' Grade Guards on Division basis ... 116 117

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
8644 खुरदा स्टेशन पर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट न करना	Non allotment of quarters to employees at Khurda Station (South eastern Railway) ..	117–118
8645 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना	Delicensing of Industries	118
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	119
पश्चिमी बंगाव में भूमि पर जवरन कब्जा करने पर मुठमेड़ का समाचार	Reported Clash over forcible occupation of Land in West Bengal	119–123
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	123
1970 की राष्ट्र मंडलीय खेलों में भारत द्वारा भाग लेने के बारे में वक्तव्य	Statement re. India's participation in Commonwelth Gems, 1970	123
डा. वी. के. आर. वी. राव	Dr. V. K. R. V. Rao	123-124
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention (Query) ...	124
वित्त विधेयक, 1970	Finance Bill, 1970 ...	125
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	125–138
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ...	125
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	126–127
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	127–129
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh ...	129–131
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri	131–132
श्री म. सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam ..	132–133
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ...	133–135
श्री वें. वा. तारोड़कर	Shri V. B. Tarodeker	135–136
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	136–137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	137–138
चुनाव चिन्हों के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यालय के अन्तिम आदेश के बारे में	Re: Interim order of Madras high Court about Election Symboles	138–157
श्री रा बरूआ	Shri R. Barua	140–141
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	142–144
श्री हनुमन्य्या	Shri Hanumanthaiya ..	144–146
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	146
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanatham	146–148
श्री न. कु. सांधी	Shri N. K. Sanghi	148–150
डा. सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	150–153
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ...	153–157
खंड 2 और 3	Clauses 2 & 3	161
तमिलनाडु के चैरन महोदवी विधान सभा	Mahadevi Assembly Constituency of Tamil Nadu	157
चुनाव चिन्ह के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय अन्तरिम आदेशकेबारे में	Re. interim order of Madras High Court about election Symbols	137–138
निर्वाचन क्षेत्र में उप–चुनाव के बारे में वक्तव्य	Statement re. bye election in Cherau	137
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Memon	157–158
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	157
उन्नांचासवां प्रतिवेदन	Forty Ninth Report ...	157

लोक–सभा
LOK--SABHA

मंगलवार, 5 मई, 1970/15 वैशाख, 1892 (शक)
Tuesday, May 5, 1970/ 15 Vaisakha, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

***1411. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विषय पर बनाये गये प्रारूप को अन्तिम रूप देने के पहले राजनीतिक दलों के इस विषय पर विचार जानने के लिये उनसे परामर्श करने का है; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक में किन मुख्य संशोधनों को सम्मिलित किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री म० युनुस सलीम) : (क) और (ख) . निर्वाचन विधि को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई प्रस्थापनाओं की परीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की जाने वाली बात-चीत पर भी विचार प्रस्थापनाओं का अध्ययन करने के बाद किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीचन्द गोयल : आपको पता ही होगा कि इस सभा के प्रस्ताव के अनुसार दल-बदल पर एक समिति का गठन किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन दिया था और यह सुझाव दिया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया जाये कि यदि एक व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के चिन्ह पर संसद के दोनों सभाओं के किसी सभा अथवा विधान मंडल के लिए निर्वाचित होता है और तदुपरांत उस दल से अपनी निष्ठा को समाप्त कर देता है जो कि कोई परितुष्टि अथवा लाभ का पद, जिसमें मंत्री पद भी शामिल है, के लोभ से ऐसा करता है तो उसे उस सहायता के योग्य न ठहराया जाये और उसको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाये। दल-बदल पर समिति की यह सिफारिश थी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस संशोधन विधेयक पर दल-बदल समिति की इस सिफारिश को भी शामिल किया जायेगा जिसने कि इस सभा के प्रस्ताव के अनुसार अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है।

श्री मु० युनुस सलीम : जनवरी 1970 में बम्बई में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विधि मंत्रालय को कई प्रस्ताव भेजे गये जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधन करने का प्रस्ताव भी शामिल था, मैंने पिछले अवसरों पर भी कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वे सब सिफारशें सरकार के विचाराधीन हैं जैसे ही इस पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा इस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जान सकता हूं कि क्या नए प्रस्तावों में वह प्रस्ताव भी शामिल है जिसकी सिफारिश दल-बदल समिति ने की थी।

श्री मु० युनुस सलीम : इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जायेगा ?

श्री श्रीचन्द गोयल : हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मध्यावधि चुनावों पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया था और उसने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया था। आपको मालूम होगा कि पिछले मध्यावधि चुनावों में समाज के गरीब वर्ग के बहुत से मतदाताओं को समाज के धनवान वर्ग ने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया था क्योंकि उन्होंने धमकी, अनुचित प्रभाव तथा बल प्रयोग का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने यह सिफारिश की थी कि चूंकि बहुत से व्यक्तियों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है; अतएव चलते-फिरते मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाये और हरिजनों के क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नए संशोधन विधेयक में इसको शामिल किया जायेगा, दूसरा, चुनाव व्यय को कम किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा किये गये व्यय को भी चुनाव व्यय के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन महत्वपूर्ण सिफारिशों ने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और क्या वे इनको प्रस्तावित विषय में शामिल करेंगे।

श्री मु० युनुस सलीम : मैंने बार-बार कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रस्ताव रखे गये हैं। वे एक दर्जन से भी अधिक हैं। उन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों को भी उन प्रस्तावों में शामिल किया जा रहा है जिनको कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रस्तुत किया है और वह हमारे विचाराधीन है। ज्योंही इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा त्योंही यह सभा के समक्ष लाया जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या उनके उत्तर से सभा को लाभ मिलेगा ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव व्यय से सम्बन्धित प्रावधान को सशोधित किया जायेगा; यदि हां, तो क्या इसको बढ़ाया या घटाया जा रहा है ।

श्री मु० युनुस सलीम : चुनावों के व्यय का प्रश्न भी विचाराधीन है, मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता कि क्या इसको बढ़ाया अथवा घटाया जायेगा परन्तु इस पर विचार हो रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिशों के संदर्भ में एक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There should not be corruption to the Election of the President and the same is done in accordance to the law because previously such problem did not arise. It is the first of its kind. So keeping in view this whether the Chief Election Commissioner has submitted you certain suggestions regarding the election of President and Vice President. If so, then what is the details and action taken by the Government ?

Shri M. Yunus Saleem : We have not received any suggestion from the Election Commission regarding the election of President and Vice President. An election petition is under consideration of the Supreme Court. After a decision is taken of the Election Commissioner thinks if necessary to submit certain proposals in the light of that judgement then we will consider and take action on them.

Shri Randhir Singh : Sir, the Election has become out of reach for the poor man. It has assumed sure a costly affairs that it cannot be fought by a man who is gentle, honest and self respecting I want to ask the Hon. Minister whether he has any plan to facilitate the poor man to fight the election and win it by rooting out corruption and by shorten the Eiection days so that the expenditure may be cut down ? You may please intimate plan to the House.

Shri M. Yunus Saleem : The election commission has also submitted certain plans to out down and limit the election expenditure and these are being looked into. We will place it before the House when it is finalised and considered.

Shri Randhir Singh : The Hon. Minister may intimate them main recommendations. **(Interruption).**

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister is not giving a straight forward reply. What are those plans and why not they read it out.

Shri M. Yunus Saleem : At least these numbers are twenty. If you ask then I am ready to read it out. They are twenty in numbers.

Mr. Speaker : The Hon. Minister may place it on the table of the House.

Shri M. Yunus Saleem : Allright I will place it on the Table of the House.

Mr. Speaker : Shri Maharaj Singh Bharati may please ask him next question.

Shri Maharaj Singh Bharati : As you like, although I wanted to ask a supplementary on this question.

Mr. Speaker : No please you ask your Question No. 1412.

Average Run per hour of Electric/Diesel and Steam Engine.

*1412. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that amongst the existing Railway engines, the average run per hour per kilometre is over 20 kilometres in the case of Electric engine, and 18 kilometres in the case of Diesel engine, whereas it is only 15 kilometres in the case of Steam engine ; and

(b) if so, the time by which the Indian Railways are likely to abandon the Steam engines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) No, Sir. The performance of steam, diesel and electric locomotives during 1968-69 was:--

Engine kilometres per day per engine on line

	Broad Gauge	Metre Gauge
Steam	119	121
Diesel	322	250
Electric	277	258

(b) The manufacture of steam locomotives against existing orders are expected to be completed by 1970-71 in the case of Broad Gauge and 1971-72 in the case of Metre Gauge. No further manufacture of steam locomotives is proposed to be undertaken. The existing steam locomotives will be withdrawn from service on age-cum-condition basis, after these have served their full life.

Shri Maharaj Singh Bharati : Keeping in view that steam engines are quite absolete, their performance is not satisfactory and we have to spend about 18 percent capacity of Railways in loading the coal for Railways and cost of steam engines comes more in areas situated far away from coal beaing loss as compaired to the engines run by electricity and keeping in view the fact that our capacity of production of electricity is abundent, I want to know from the Hon. Minister, bring their statement show that they will not leave steam engine till they become absolate, whether he would expedite the work keeping in view of the capacity of the country ?

Shri R. L. Chaturvedi : Yes Sir, we are making every effort to expedite this work.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether the Hon. Minister is in a position to give a specific date by which the Diesel Engine will start carring at least 75 percent of his total load carried by Railways.

Shri R. L. Chaturvedi : It is difficult to give any date in this respect but at present our position is this that, by 31 March 1969 we had 6056 engines, 3593 engines and 397 engines of Broad gauge line, Metre Gauge and narrow gauge lines respectively. The Diesel and Electric Engines were 737 and 493 respectively. But the Hon. Member will see that by 31 March, 1970 the steam Engine of Broad Gauge lines reduced to 5915 from 6056. Diesel Engines increased to 797 from 737 and electric engines increased to 524 from 493. We are progressing steadily. It will take time but we are trying that by 1971-72 we should do away with steam engines and shift to Diesel and Electric Engines.

Shri Manubhai Patel : The Hon. Minister has replied to the question of Metre Gauge and Broad Gauge engines. The argument for doing away with the Narrow Gauge Engines was given that we are not able to manufacture Narrow Gauge Engines and these

are to be imported. I would like to know what steps you will take, if the narrow Gauge is not to converted and its engines will have to be imported from Japan because you can not manufacture it here ?. May I know will you manufacture Electric Engnies, Diesel Engines or increase the capacity of Narrow Gauge by importing them from abroad ?.

Shri R. L. Chaturvedi : There is no doubt that there is difficulty so far as Narrow Gauge line is concerned. I have seen its considerable area but I can tell the Hon. Member for his information that we are going to manufacture in Chitranjan Workshop ten Diesel Engines for Narrow Gauge in the Fourth Plan.

श्री के० रमानी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रेलवे ने यह निर्णय कर लिया है कि भाप इंजनों का निर्माण पूर्णतया बन्द कर दिया जाये और यदि हां, तो क्या ये पूर्णतया डीजल इंजनों के आयात पर निर्भर रहेंगे। यदि हां, तो क्या यह उन कर्मचारियों की बेरोजगारी की गम्भीर समस्या खड़ी नहीं कर देगा जो कि आप भाप इंजनों के निर्माण और उनके संचालन में लगे हुए हैं ? उस स्थिति में सरकार का क्या विचार है जब कि उन्होंने डीजल इंजनों अथवा विद्युत चालित इंजनों का पूर्णतया प्रयोग करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी नीति भाप इंजनों के निर्माण बन्द करने और डीजल तथा विद्युत चालित इंजनों के अपनाने की है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाइ गई अन्य बातों का संबंध है, कि इससे बेरोजगारी हो जायेगी, उसके बारे में मेरा कहना है कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करते हैं।

Shri Chandrika Prashad : We have to import Diesel which cost heavy Foreign Exchange. Will the Engineers or Scientists try to accelerate the speed of Steam Engines so that we may not to spend Foreign Exchange in importing the Diesel ?

Shri R. C. Chaturvedi : No Sir, We have no idea of accelerating the speed of Steam Engine. Experience show that Diesel and Electric locomotives are profitable.

Shri Rabi Ray : May I know whether it is a fact Utkal Express, which go up to Puri from here, takes 30 hours while running via Calcutta but otherwise it takes 56 hours. I want to know whether ther is any programme to attach Diesel Engine in long distance trains like Utkal Express and if so then by what time ?

Mr. Speaker : This question relates to whole India.

Shri Rabi Ray : It pertains to Diesel Engine.

Shri R. L. Chaturvedi : With your permission I only can say that this question was raised in the informal consultative commitee and it is under their consideration.

Shri Lakhan Lal Kapoor : The Hon. Minister has replied that they want to replace Diesel Engines and Electric Engines to Steam Engines because Diesel is to be imported. I want to know whether there is any scheme to increase the capacity of Chitranjan and Banaras locomotives factory which manufacture Electric and Diesel Engines so that we may replace Steam Engines without further delay ?

Secondly, you want to replace those Steam Engines to Diesel and Electric Engines which are running in Narrow Gauge lines. I want to know whether there is any scheme to

convert these Narrow Gauge lines into Metre Gauge or Broad Gauge as far as it is possible which beloing to Private companies or the Government. If so then when it will done ?

Shri R. L. Chaturvedi : The first question was regarding the capacity of our D. L. W. and C. L. W. work shops. I have only to say that we are working according its capacity and we do hope that we will attain the capacity in relation to our requirements.

The second question about the whole Narrow Gauge line does not arise. If he asks this in another form then I can reply.

Shri S. M. Joshi : The Hon. Minister wants to replace Steam Engines to Electric Engines and Diesel Engines and Electricity is used in other purposes also. Like this the Diesel is not in plenty. May I know whether the Hon. Minister has chalked out any policy to determine the disiniminate use of Electricity and to utilize the Diesel to such extent which is imported and for which we have to depend on other countries ?

Shri R. L. Chaturvedi : We have given much cosnsideration to it. This question was also earlier raised that considerable Diesel is to be imported. Taking into consideration all the aspects it was decided to go towards Dieselisation and report to electrification where electric energy is available. We can not give electric traction where electric energy is available because many things are to be taken into consideration while giving electric traction.

Shri S. M. Joshi : Our farmers need electricity. They are not getting in sufficient quantity. When we can not give them the why you use it here ?

Mr. Speaker : You also ask from me. You are all doing without asking me, If this is to happen then what is my use here ?

मुस्लिम स्वीय विधि में सुधार

\+

***1413. श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम स्वीय विधि में कोई सुधार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर मुसलमान महिलाएं सिविल संहिता के पक्ष में हैं किन्तु कुछ निहित स्वार्थ ही इसका विरोध करते हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसका सर्वेक्षण करने का है ?

विधि मन्त्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) (क) अल्प संख्यक समुदायों की स्वीय विधियों के मामले में सरकार की नीति यह रही है कि उनमें सुधार को प्रोत्साहन सम्बद्ध समुदाय द्वारा पहल किए जाने पर दिया जाए।

(ख) इस विषय में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के ध्यान में नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : According to the directive principles of our constitution there should be a uniform civil law in the country but this government under the pressure of Muslim Divines is not appreciating the feelings and aspirations of Muslim woman hood and is rather trying to suppress them. It may be due to political reasons to win vote. In this connection I want to raise two questions. Is the Government aware that even in Muslim Countries like Pakistan an ordinance was promulgated in 1961 according to which polygamy is not allowed without the persmission of Arbitration Council. Similarly Syria, Iraq, Tunisia, Iran and other Muslim countries have also made such laws. Muslim personal law is according to the Shariat and it should be so I do not want to interfere in that. But will the Government set up a Commission having chief justice Shri Hidayatullah as its chariman. All muslim jurist, alongwith representatives of the Muslim ladies, to see what amendments can be brought to the personal law whereby the excesses being committed on ladies may be reduce or completely done away with if not the reasons therefore ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

Shri Kanwer Lal Gupta : I want to congratulate him for accepting my suggestion, I agree that we should not interfere in the religion of any minority community and we should respect all religions. Is the Hon. Minister aware of the demonstrations held by Muslim ladies at Curgaon and Maharashtra demanding amendments in the Muslim law. Also polygamy should be allowed under special circumstances. If the government does know this then it should call their representatives and associate them with the porposed Commission.

श्री गोविन्द मेनन : मुझे यह सुनकर हर्ष हुआ है कि महाराष्ट्र और गुड़गांव में मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर यह निर्णय किया है कि उनकी जाति में एक पत्नीत्व की प्रथा होनी चाहिए । किन्तु न तो मुझे ही और न सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यह सूचना उन्हें दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन महिलाओं ने श्री कंवर लाल गुप्त के जरिए प्रश्न पूछा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इसका पक्ष लेता हूं यदि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वे महिलाएं इसके लिए आन्दोलन करेंगी । मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम उन्होंने मेरे सुझाव पर विचार करना तो स्वीकार किया है ।

श्री बदरुद्दुजा : क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे सुधार करने से पूर्व, जिससे इस्लाम के मुख्य ढांचे तथा इस्लामी शरियत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मुल्लाओं तथा जिम्मेदार मुसलमानों से परामर्श कर लिया है और क्या मन्त्री महोदय इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि आधा दर्जन पथ भ्रष्ट औरतों की राय...

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इस बात का विरोध करता हूं । मैं अपने वरिष्ठ साथी का सम्मान करता हूं किन्तु उनकी यह बात मैं सहन नहीं कर सकता । वे वास्तव में हमारे देश की प्रबुद्ध नारियां हैं और हमें उन पर गर्व है ।

श्री बदरुद्दुजा : वे हमारे राजनीतिक विरोधियों के दबाव में हैं जो उन्हें अपने दल हेतु राजनीति की शतरज पर मोहरा बनाना चाहते हैं और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका मुख्य लक्ष्य होगा और क्या सरकार इस सम्बन्ध में भारत के मुसलमानों के बहुमत की राय का पता लगाएगी ? क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इस्लाम में बहुपत्नीत्व के सम्बन्ध में बहुत सी गलत बातें कही जाती हैं । इस्लाम में एक पत्नी रखने की हिदायत है और बहुविवाह के लिए केवल कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे युद्ध के समय या जब पुरुषों की संख्या कम हो ऐसी मिलती जुलती स्थिति में ही आज्ञा दी गई है । अत: यह कोई आवश्यक नहीं है और न ही इसके लिए हिदायत है । एक पत्नीत्व विवाह की हिदायत मानव समाज की व्यवस्था तथा प्रगति के अनुकूल है । क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि देश के 95% मुसलमान बहुविवाह नहीं करते और अधिकांश मुसलमान एक ही विवाह करते हैं और जो थोड़े बहुत करते भी हैं वे निर्धन वर्ग के हैं जो अत्यन्त लाचारी की हालत में करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कुछ और जानकारी दी है और मन्त्री महोदय को इसको स्वीकार करना चाहिए ।

श्री बदरुद्दुजा : मैंने एक प्रश्न पूछा है ।

Shri M. A. Khan : There are few communal institutions which are trying to attack basic principles of the muslims. We also know that this House has been informed that dispite Polygamy being allowed by the Muslim law, this custom is prevalent only in a minority section. Shri Kanwar lal Gupta has given the example of Maharashtra Not paying attention towards the paid muslims, C. I. A. agents and Communal organisation, like the Muslim, Satya Sahodak in Maharashtra. Will the Hon. Minister give an assurance that the Muslim personal law, which forms a part of Muslim religion will not be disturbed.

श्री गोविन्द मेनन : मैंने पहले ही बताया है कि समुदाय की इच्छाओं को जहां कहीं वह अल्प संख्या में है ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री कंवरलाल गुप्त ने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया है । यह अनुच्छेद, नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अध्याय में है । साथ ही मूल अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत भी सब सम्प्रदायों को धार्मिक अधिकारों की स्वतन्त्रता दी गई है । मुसलमानों का कहना है कि विवाह से सम्बन्धित कानून और व्यक्तिगत कानून उनके धर्म के अन्तर्गत आते हैं । अत: ऐसा होते हुए भी यदि मुसलमानों के परामर्श बिना इस दिशा में कोई कदम उठाए जाएगें तो यह न केवल उनके प्रति अन्याय ही होगा बल्कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन भी होगा ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने मित्र श्री सु० कु० तापाड़िया से पूर्णतया सहमत हूं कि एक विवाह की प्रथा उकता देने वाली है । इस सम्बन्ध में मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ । पहला क्या सभी विकसित देशों में सिविल ला वयैक्तिक है और प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग है ? दूरसा क्या पिछली जनगणना या सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि केवल 0.10% मुसलमानों ने ही दो या तीन विवाह किए हैं ? तीसरे क्या मुसलमानों की बहुविवाह की प्रथा पर विभिन्न प्रतिबन्ध नहीं है जिससे यह प्रथा सामाजिक सन्तुष्टि अथवा जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा नीरसता

जैसी भावनाओं से छुटकारा पाने का मामला ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मामला भी बन जाती है।

श्री गोविन्द मेनन : मुसलमानों में एक से अधिक पत्नी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता के बारे में मेरे माननीय मित्र ने जो जानकारी दी है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जहां तक विकसित देशों के व्यक्तिगत कानून का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

Smt. Lakshmi Kanthmma : Mr. Speaker, in answer to part (B) hon Minister has said that the Government does not have this information. Does the Government really need a information, Is not the Govt. aware of that ladies are against polygamy and are not satisfied when a husband marries for a second time as Shri Kanwar Lal Gupta has said in Pakistan and other muslim countries the ladies had appealed against polygamy and this practise has been stopped there. This has no connection with religion. It has just been said that only one percent Muslim practise polygamy. When a Hindu wants to marry again, he does so by taking shelter of Muslim law, after becoming a Musilm. As far as property rights are concerned Muslim ladies get their share in the property where as Hindu ladies do not have this right whether it is property right or marriage, both Hindu and Muslim should have equal rights. I wish to know from the Government is considering to bring a comprehensive law in this connection.

श्री गोविन्द मेनन : 1954 का विशेष विवाह अधिनियम आज भी सब समुदायों पर समान रूप से लागू हैं।

Shri Ram Sevak Yadav : Just now Hon Member Shri Badrudduja has said that according to the Muslim Shariat polygamy is not compulsory and is allowed only under special circumstances. similarily though Hindus can marry more than 4 times a majority does not marry more than once. There also it is not compulsory to marry more than once only the permission is there. There fore what is difficult. If we make a uniform law for all citizens. Is the hon Minister awares that in U. P. and Bihar and possibly in other place also the law of inheritance of proparty is based only on terance whether one is Hindu or muslim. It is not based on Shariat Is it not a fact that Government servants cannot practise polygamy whether they are hindus or muslims. It these conditions exist then why such points are raised.

श्री गोविन्द मेनन : मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है और न ही मुझे उन कानूनों का कुछ पता है जो बिहार और उ० प्र० में बहुविवाह की प्रथा को रोकने के लिये है। मुझे जो कुछ कहना था सो मैं कह चुका हूं। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह एक से अधिक बार विवाह नहीं कर सकते।

Smt. Lakshmi Kanthmma : Some hon. Members have married two three times.

श्री कंवरलाल गुप्त : हम मुस्लिम महिलाओं की भावनाओं को सराहते है कि इस विषय पर वह एक मत हैं।

Shri M. A. Khan : No, it is not true.

Shri M. A. Khan . No, it is not true.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर काफी प्रश्न करने की अनुमति दे चुका हूँ। यह काफी दिलचस्प प्रश्न है।

कृत्रिम नगों का निर्माण

1416. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में कुल कितने कृत्रिम नगों का निर्माण हुआ है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृत्रिम नागों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए क्या विशिष्ट प्रावधान हैं.

(ग) क्या कृत्रिम नागों का निर्यात भी किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उससे अब तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) विगत दो वर्षों में अर्थात 1968-69 में कृत्रिम नगों का उत्पादन क्रमशः 15326 तथा 19178 किलोग्राम था।

(ख) इस वस्तु के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और उत्पादन में वृद्धि मांग के अनुसार होती है।

(ग) तथा (घ) : कृत्रिम नगों का विदेशों को निर्यात किया जाता है। कृत्रिम नगों को कीमती। अर्ध कीमती, कटे हुए तथा बिना कटे रूप में जिन देशों का निर्यात होता है उनके नाम हैं, कनाड़ा, सिंगापुर, थाईलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, ब्रिटेन तथा सं० रा० अमेरिका। इन नगों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा 1967-68 में, 13.88 लाख रु० 1968-69 में 24.07 लाख रु० तथा 1969-70 (जनवरी, 1970 तक) में 36.11 लाख रुपये थे।

Shri Shiva Chandra Jha : The hon. Member has said that synthetic stores are exported and we earn foreign exchange through that. I want to know whether there is shortage of natural stones in our country and on account of that synthetic stones are produced and whether these are being produced for luxury consumption.

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्राकृतिक नग उपलब्ध है अथवा नहीं, मैं इसका तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Shiva Chandra Jha : I want to know the quantity of natural stone available in our country and whether the needs can be met by that ? Further I want to know whether the synthetic stones are produced for luxury consumption or not, the reasons therefore ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इनका उत्पादन केवल एक स्थान पर किया जा रहा है। कृत्रिम नग उत्कृष्ट नगों के उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। यह उद्योग

जयपुर में और तमिलनाडु में त्रिचनापली में स्थित हैं। दि इंगे-स्विस सिंथेटिक जेम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी कृत्रिम नगों का उत्पादन करती है। इनको तैयार कर के इनका निर्यात किया जाता है। मध्य पूर्व के देशों, इगलैंड, अमरीका आदि देशों को इनके निर्यात में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। यही एक उद्योग इनका उत्पादन कर रहा है और यह निर्यात प्रधान उद्योग हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : I want to know the quantity of synthetic stones exported to U. S. A. during the last two three year and programme for its export during fourth plan ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अमरीका को 1967–68 में 85,000 रुपये का, 1968–69 में 1,177,000 रुपये का और 1969–70 में 534,000 रुपये का निर्यात किया गया।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कृत्रिम नगों और वास्तविक नगों में क्या अन्तर है और वे किस काम में प्रयोग में लाये जाते है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इनका प्रयोग उत्कृष्ट पत्थरों के उद्योग में किया जाता है।

अगरपाड़ा तथा सोदपुर स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे दुर्घटना

\+

***1417. श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दंडपाणि :**
श्री मयावन : **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में अगरपाड़ा तथा सोदपुर स्टेशनों के बीच 9 अप्रैल, 1970 को एक गम्भीर रेलवे दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) अगरपाड़ा और सोदपुर स्टेशनों के बीच 9–4–1970 को कोई रेल दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन 9–4–1970 को गाड़ी नं० आर० 85 अप सियालदह-रानाघाट लोकल के कुछ यात्री, जबकि उक्त गाड़ी एक लड़के को कुचल जाने से बचाने के लिए अगरपाड़ा-सोदपुर स्टेशनों के बीच रुक गयी थी, शांतीपुर-सियालदह लोकल गाड़ी नं० एस० 116 डाउन की चपेट में आ गये थे, क्योंकि वे यात्री अपनीगाड़ी से उतर कर डाउन रेल पटरी के पास खड़े थे।

(ख) इस घटना में 5 व्यक्ति मारे गये और 4 घायल हुए जिनमें से एक को गम्भीर चोट आयी।

(ग) जी हां।

श्री नि० रं० लास्कर : यह साधारण दुर्घटना से बहुत गम्भीर घटना है। कुछ यात्री एक लड़के को कुचले जाने से बचा रहे थे और वें स्वयं एक और गाड़ी के नीचे मारे गये थे।

क्या स्टेशन के यार्ड में किसी को मालूम नहीं था कि बचाव कार्य हो रहा है। आने वाली गाड़ी को रोकने के लिये स्टेशन के कर्मचारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : ऐसा जान पड़ता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। यात्री लड़के को बचाने के लिये नीचे नहीं उतरे थे। गाड़ी के ड्राइवर ने लड़के को पटरी पर खड़े देखा और उसे बचाने की कोशिश की और गाड़ी को रोक दिया। यह एक विद्युतचालिय गाड़ी थी और इस समय वह ऐसी स्थिति में थी कि जब तक उसे धकेल कर बिजली वाले क्षेत्र में नहीं ले जाया जाता वह चल नहीं सकती थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, यात्री नीचे उतर गये। वहां पर चार लाइनें हैं और एक अन्य लाईन पर एक और गाड़ी आयी और यात्री वहां होने के कारण गाड़ी उनसे टकरा गई।

श्री नि० रं० लास्कर : ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को बचाने के लिये क्या कोई उपाय किये गये थे ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : जी नहीं, रेलवे प्रशासन की ओर से उस समय कुछ नहीं किया जा सका। यात्रियों से आशा की जाती है कि वे गाड़ी में ही रहें और पटरी पर न जावें। हमें दुर्घटना पर बहुत खेद है।

श्री रंगा : क्या इसकी कोई जांच की गई थी, यदि हां, तो क्या किसी को दोषी पाया गया था।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : एक उच्चाधिकारी ने जांच की थी और यह पाया गया था कि रेलवे प्रशासन का कोई दोष नहीं था और यह यात्रियों की गलती के कारण हुई।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि रेलवे लाईनों को पार करना, विशेषत: बम्बई क्षेत्र में, एक सामान्य सी बात है ? क्या रेलवे लाईनों के इस प्रकार पार करने को रोकने के लिये सरकार का कोई कठोर कानून बनाने का विचार है ताकि ऐसा करने वाले को छ: माह तक के कारावास का दण्ड दिया जा सके ? ऐसा अवश्य किया जाये....(व्यवधान)

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : हम इस बारे में लोगों को सतर्क कर रहे हैं। मैं इस मामले में माननीय सदस्य की सहायता की आशा करता हूं। कठोर कानून बनाने से बहुत लाभ नहीं होगा। इसमें तो यात्री जनता द्वारा स्वयं जिम्मेदारी महसूस करने की आवश्यकता है।

Shri R. C. Vyas : Sir, there is an organisation known as Railway Organisation Conference. Its job has been to inspect all the bogeys. Now almost all persons working in this organisation are from Railways and its independent status is no more there. This has resulted in increase in the number of accidents. May I know whether the hon. Minister will take steps to restore the status of this organisation ?

Shri R. L. Chaturvedi : It is a separate question. The question before us now concerns a particular incident and he is referring to a big problem.

Special Arrangements in Ladies Compartments to seek help in Emergency

*1420. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government would look into the question of making some arrangements in the Ladies'compartments of the trains, by which the ladies could in an emergency seek help from the adjacent Gents' compartment or inform the Guard keeping in view the incidenes of dacoities and murders taking place in the ladies compartments of the passenger trains; and

(b) if so, the time by which the said arrangements are likely to be made ?

The Minister for Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) and (b) Experiments are in progress to device some suitable arrangements in ladies compartments so that in case of an emergency they may be able to seek the help from the adjacent compartments. As soon as these prove successful they will be provided in all compartments as a regular measure.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether Government have got the figures in regard to incidents of decoities etc. in ladies compartments during the last ftve years and number of persons arrested for this and action taken by Government ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास ऐसे आंकड़े नहीं हो सकते । आप अपने प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

Shri Om Prakash Tyagi : He has stated that they are making arrangements and experiments are being made. I know that Government experiments take every long time. I want to know whethor some temporary arrangements would be made so that ladies could be near the guard's compartment.

Shri R. L. Chaturvedi : We are going to take some prompt action in this regard very shortly we are considering about posting an armed guard near it.

श्रीमती इलापाल चौधरी : एक बार यह सुझाव दिया गया था कि जनाने डिब्बे में एक बटन होना चाहिये जिसे आपात स्थिति में दबाया जा सके, क्योंकि जंजीर को खेंचना सम्भव नहीं हैं । क्या बटन के बारे में जापान के डिज़ाइन पर रेलवे प्रशासन ने विचार किया है ? क्या महिला यात्रियों के साथ एक परिचर (अटैंडेंट) की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : इसका प्रयोग किया गया था परन्तु कुछ पुर्जों आदि के चोरी हो जाने के कारण वह चल नहीं सका । अब एक शटर की व्यवस्था करने के अनेक लाइनों पर प्रयोग किये जा रहे हैं । कुछ एक महीनों के बाद इसका आम प्रयोग होने लगेगा ।

Shri S. M. Banerjee : I am happy that Shri Nanda has been travelling incognite to know the difficulties of travelling public. My friend Shri Tyagi has suggested the posting of an armed guard there. I at the same time suggest that the guard should be a man of good character otherwise there will be such more harrassment from that sepoy.

Shri Janeshwar Mishra : I want to know from the Hon. Minister whether he knows that in no other country in the world there is provision for separate compartments for ladies and whether he would consider to abolish this separate arrangement ?

Shri R. L. Chaturvedi : No. Sir, we are not thinking for on their lines

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या भारत के हालात को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि महिलाओं के लिये अलग डिब्बे हों ? क्या उनके ध्यान में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कई बार महिलाओं के मिलेजुले यात्रियों वाले डिब्बों में सीटें बुक कर दी जाती हैं, जिससे बहुत कठिनाई होती है ? क्या ऐसी हिदायतें जारी की जायेंगी कि भविष्य में इस प्रकार की चीजें न होने पायें ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : पहले प्रश्न का मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि हम अलग से जनाने डिब्बों को समाप्त नहीं करना चाहते । दूसरे मामले पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Tulsidas Jadhav : The police should be present in front of ladies compartment at railway stations so that none else should enter that compartment, May I know whether this would be provided as a temporary measure ?

Mr. Speaker : It is a suggestion.

स्वचालित घड़ियों का उत्पादन

***1422. श्री ए० श्रीधरन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा एक जापानी फर्म के साथ किए गए समझौते के अनुसार स्वचालित घड़ियों का उत्पादन आरम्भ किया जाएगा ।

(ख) फैक्टरी का वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(ग) क्या स्वचालित घड़ियों के उत्पादन द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० विदेशों में बिक्री बढ़ाकर गत दो वर्षों के अपने भारी घाटे को पूरा कर लेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) (ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने घड़ियों के उत्पादन में विस्तार करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस विस्तार से जापान के मै० सिटिजन वाच कंपनी के सहयोग से बंगलोर के विद्यमान घड़ी के कारखाने में कार तथा तिथि वाली स्वचालित घड़ियां बनाई जा सकेंगी । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा मै० सिटिजन वाच कम्पनी के साथ सहयोग करार के मसौदे पर सरकार इस समय विचार कर रही है । कम्पनी के इस प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति मिल जाने के बाद ही स्वचालित घड़ियों के उत्पादन का प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बंगलौर के विद्यमान घड़ी कारखाने में स्वचालित किस्म की वार तथा तिथि वाली 2,00,000 घड़ियों का वार्षिक उत्पादन करने का विचार है।

(ग) घड़ी परियोजना की लाभ-प्रदता तथा बिना हानि की स्थिति के विश्लेषण पर सरकार इस समय विचार कर रही है तथा इस स्तर पर यह बता सकना कि स्वचालित घड़ियों के उत्पादन का कम्पनी की समूची कार्यप्रणाली पर कितना प्रभाव पड़ेगा, संभव नहीं होगा।

श्री ए० श्रीधरन : हमारे देश में स्वचालित घड़ियों की बड़ी मांग है और चूंकि हम स्वचालित घड़ियों को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं, अतः प्रत्येक वर्ष हमारे देश में हज़ारों स्वचालित घड़ियों की तस्करी होती है। इस समस्या पर आज तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ ने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ में जैसी स्थिति है, मुझे सन्देह है कि इस योजना पर शीघ्र कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे ही प्रश्न को पूछिए।

श्री ए० श्रीधरन : यह अत्यन्त संगत है, क्योंकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ को हानि हो रही है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ के अध्यक्ष हाल में कम्पनी के खर्चे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी के सम्बन्ध में साक्षात्कार के लिए आस्ट्रेलिया में गये। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ का कार्य संचालन इस तरह से हो रहा है। अब मेरा प्रश्न यह है कि इस देश में स्वचालित घड़ियों की मांग अत्याधिक है और सरकार के उत्तर से पता चलता है कि वे क्रमबद्ध कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार कब इस समझौते को अन्तिम रूप देगी, तथा सरकार की योजना के अनुसार हिन्दुतान मशीन टूल्ज़ में पहली स्वचालित घड़ी कब तक तैयार हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह सत्य है कि स्वचालित घड़ियों की मांग है और यही कारण है कि हम निश्चित रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वचालित घड़ियों का निर्माण किस के सहयोग से हो सकता है। मैं सदन को सूचित करता हूं कि इस बारे में हमें पहले ही एक विस्तृत परियोजना विवरण प्राप्त हो चुका है तथा विस्तृत सहयोग का समझौता सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा। निर्माण कार्य आरम्भ होने में दो या तीन वर्ष लगेंगे।

ट्रैक्टरों का देश में निर्माण

***1423. श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से भारत में किस-किस विशेष किस्म के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका निर्माण न होने तक सरकार ने केवल उन्हीं किस्मों के ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति दी है जिनका भारत में निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के ट्रैक्टरों का आयात पूर्णतः निर्मित अथवा अंशतः निर्मित स्थिति में होना है; और

(घ) इस प्रकार का आयात करने वाली एजेंसी का क्या नाम है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	ट्रैक्टर निर्माण करने वाली कम्पनी	ट्रैक्टर का मार्का तथा नमूना
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा ।	एच० डब्ल्यू० डी०-50 (50 अश्व शक्ति का) ,, 30 (30 ,,)
2.	मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० मद्रास ।	मेरी फर्गुसन एम० पी० 10,35 (35 अश्व शक्ति का)
3.	मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स कं. आफ इंडिया, बम्बई ।	इन्टरनेशनल मेककोर्मिक बी०-275 (35 अश्व शक्ति का)
4.	मैसर्स स्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद ।	एस्कार्ट्स-37 (34.5 अश्व शक्ति का)
5.	मैसर्स आईशर ट्रैक्टर्स आफ इंडिया लि० फरीदाबाद ।	आइशर माडल 115/8 (26.5 अश्व शक्ति का)

(ख) विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर ट्रैक्टरों का आयात उन मार्कों तक ही सीमित है जिनके निर्माण कार्यक्रम को स्वीकृति प्राप्त हो अथवा उनके निर्माण के निकट भविष्य में स्थापित होने की आशा है । ऐसा आयात कृषि विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है ।

(ग) पूर्ण अथवा आंशिक रूप से एसेम्बिल्ड के ही आयात की सामान्यतः अनुमति दी जाती है ।

(घ) आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है जो कि ग्राहकों के बिक्री हेतु इनका वितरण विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को करता है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैंने प्रश्न के भाग (क) में पूछा था कि भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित किन विशेष किस्म के ट्रैक्टरों को लाइसेंस मिला था । विवरण से मुझे केवल देशीय नामों का ही पता चला है । इस विवरण से हमें सहयोगी नामों का पता नहीं चलता है । कौन से ऐसे देश हैं जिनसे हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है ? क्या मंत्री महोदय इसे कृपया स्पष्ट करेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मैं इसे स्पष्ट करता हूं। जहां तक ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमैंट्स, मद्रास का सम्बन्ध है, वे मैसर्ज मैसी – फर्गूसन, केनाडा और उनके सहयोगी, तकनीकी सहयोग से मैसी–फर्गूसन ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं। जहां तक इंटरनेशनल ट्रैक्टर कम्पनी आफ़ इंडिया कम्पनी का सम्बन्ध है, जिसे प्रारम्भ में लाइसेंस प्रदान किया गया था, उनकी ब्रिटेन की मैसर्ज इंटरनेशनल हारवैस्टर कम्पनी के साथ सहयोग के प्रस्ताव पर सहमति हो गयी है। मैसर्ज ईयर ट्रैक्टर फरीदाबाद का सहयोग जर्मनी की मैसर्ज गेहर की ईंचर ट्रैक्टरनफेबरिक से है और मैसर्ज हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा का सहयोग चेकोस्लोवेकिया की मोटोकोय से है। मैसर्ज एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद की सहयोग सहमति अमरीका की वेसटिंग हाउस इलेक्ट्रीकल इंटरनेशनल से है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास बड़ी संख्या में ट्रैक्टर बिना बिके पड़े हैं ? और क्या यह भी सच हैं कि इस ट्रैक्टर की कीमत 20,000 रु. है और जब सरकार किसानों को इन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए ऋण देने की भी इच्छुक है फिर भी किसान इन ट्रेक्टरों को ले नहीं रहे है क्योंकि वे ट्रैक्टर भारतीय स्थितियों में अनुकुल नहीं हैं ? क्या सरकार सर्वेक्षण करेगी कि हमारे देश में कौन से ट्रैक्टर अनुकूल हैं ? क्या इस प्रश्न पर विचार करके ही सहयोग करने की मंजूरी दी गई है अर्थात् यह पता लगाना कि जिन ट्रैक्टरों का निर्माण होगा क्या वे ट्रैक्टर भारतीय किसान को स्वीकार्य होंगे ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यदि राज्य व्यापार निगम के पास कोई ट्रैक्टर बिना बिके हुए पड़े हैं तो मैं इसकी जांच करूंगा। बाहर से ट्रैक्टरों को आयात करने की मंजूरी देने से पूर्व कृषि विभाग के सुझावों पर हम विचार करेंगे।

ओखा तथा कोहिमा में भारतीय सुरक्षा दल तथा विद्रोही नागाओं के बीच मुठभेड़

28. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अप्रैल, 1970 को ओखा तथा कोहिमा में भारतीय सुरक्षा दल तथा विद्रोही नागाओं के बीच एक मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 14 सैनिक, जिनमें एक मेजर भी था, मारे गये थे और 7 सैनिकों का उन्होंने अपहरण कर लिया था ;

(ग) क्या मार्च, 1970 से विद्रोही नागाओं की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और हमारे सुरक्षा दलों के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए हैं ;

(घ) क्या इसका कारण यह है कि विद्रोही नागा चीन और पाकिस्तान से काफी हथियार तथा गोलाबारूद लेते रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 24 अप्रैल, 1970 को प्रिफेमा के उत्तर-पूर्व में लगभग 16 मील दूर ओखा-कोहिमा सड़क पर लगभग 100 छिपे नागाओं ने एक सुरक्षा गश्ती दल पर, जिसमें एक अधिकारी तथा 15 अन्य रैंकों के सैनिक थे, छिप कर आक्रमण किया, इस घटना में उक्त अधिकारी और 13 अन्य रैंकों वाले सैनिक मारे गये थे, छिपे नागाओं द्वारा किसी भी सैनिक का अपहरण नहीं किया गया था ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : जबकि यह सच है कि विद्रोही नागाओं को हथियारों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में चीन तथा पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हुई है लेकिन इस घटना से अधिक ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने साथियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनका यह एक हताशपूर्ण प्रयास था ।

(ङ) चीन अथवा पाकिस्तान को जाने वाले तथा वहां से वापिस आने वाले छिपे नागाओं पर रोक लगाने के लिए उनको तथा हिंसात्मक कार्यवाही करने से रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : श्रीमान्, इस नागा विद्रोह को कुचलने के लिये गत दस बारह वर्षों से सरकार कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रही है । नागाओं ने लगभग गत तीन महीनों से लंदन में रह रहे अपने नेता श्री फिजो से आदेश लेकर, अपनी गतिविधियों को नागालैंड में तीव्र कर दिया है और वहां टिके हुए हमारे सैनिक कर्मचारियों को हर खतरा है । भारत सरकार ने काफिले की रक्षा करने वाले और गश्त लगाने वाले इन कर्मचारियों को पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र प्रदान नहीं किये हैं । मुझे बताया गया है कि 8 या 10 व्यक्तियों में केवल दो या तीन सैनिकों को ही स्वचालित राइफल मिली हुई है और शेष के पास केवल 303 राइफल ही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और काफिले की रक्षा करने वाले और गश्त लगाने वाले सभी सैनिकों को पूरी तरह से स्वचालित बन्दूकों से सज्जित करेगी ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चीनियों और पाकिस्तानियों द्वारा इन नागाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं दिया जा रहा अपितु उनकी धन से भी मदद की जा रही है तथा वे राष्ट्रवादी विचारधारा वाले नागाओं के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं ? वे उन्हें घूस भी दे रहे हैं और इन अवैध गतिविधियों के लिये नागाओं को भरती कर रहे हैं । इसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने हमारे आन्तरिक मामलों में दखल देने के लिए चीन सरकार तथा पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है ? यदि वह संभव नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी गतिविधियों का उनके ढंग से ही जवाब देने के लिए तिब्बतियों को जो हमारे देश में रह रहे हैं, प्रशिक्षण देगी ताकि वे तिब्बती चीन अधिकृत तिब्बत में वैसा ही करें और जो हमारे देश में पख्तून हैं उनको भी प्रशिक्षण दें ताकि वे पाकिस्तान में उपद्रव की वही स्थिति पैदा कर सकें ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने कहा है कि फौजी दस्ते की सुरक्षा के लिये हम उन्हें पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र नहीं दे रहे हैं। यह विशेष मामला फौजी दस्ते का नहीं था अपितु गश्त लगाने वाले दल का था जिसमें दल का हरेक व्यक्ति अस्त्र से लैस था।

श्री चेंगलराया नायडू : 303 राइफल से।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे विस्तृत ब्योरे नहीं मालूम हैं, अतः, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इस विशेष मामले में मैं कह सकता हूं कि हरेक को अस्त्र-शस्त्र से लैस किया गया था, यद्यपि मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि हरेक व्यक्ति के पास किस किस्म का हथियार था। फिर भी, हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उचित किस्म के हथियार प्रदान किये जायें।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, यह सत्य है कि पाकिस्तान और चीन केवल अस्त्र-शस्त्र ही प्रदान नहीं कर रहे हैं अपितु नागाओं को धन भी दे रहे हैं। हालांकि किन्हीं स्पष्ट कारणों से इसे सिद्ध करना अत्यन्त मुश्किल है। हमारे पास पक्की सूचना है कि इन गैर-कानूनी तत्वों को पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

तीसरा प्रश्न विरोध के सम्बन्ध में है। सदन को स्मरण होगा कि कुछ समय पहले विरोध पत्र की एक प्रति वैदेशिक कार्य-मंत्री द्वारा सदन के सभा पटल पर रखी गयी थी जो पाकिस्तान को दी गयी थी जिसमें कहा गया था कि प्रशिक्षण शिविरों को पाकिस्तान प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है जहां पर विरोधी नागाओं को गुरिल्ला युद्ध-कला में प्रशिक्षित किया जाता है तथा उन्हें देश में गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए भी तैयार किया जाता है। मेरे विचार से चीन को विरोध पत्र देने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा।

अन्तिम दो प्रश्नों के बारे में कि हमें उनकी गधिविधियों का उनके ढंग से ही जवाब देना चाहिए, मेरे विचार से हम अपने हितों की भली भांति तभी देखभाल कर सकेंगे यदि हम दूसरे देशों के मामलों में दखल न देने की सामान्य परम्परा पर जुटे रहेंगे : जब हम कहते हैं कि दूसरों को हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए तो उसको रोकने का केवल यही तरीका है कि हमें उसी कार्य को आरम्भ नहीं कर देना चाहिये जिसके लिए हम दूसरों को वैसा कार्य करने से मना करते हैं। इन तत्वों का प्रतिकार करने के लिए हमें प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे और इस दिशा में अधिकांश सीमा तक, कई वर्षों से, स्थिति को सामान्य लाने में हम सफल ही नहीं हुए हैं, अपितु मुझे कहना चाहिये कि सामान्य के निकट ले आये हैं।

यह एक ऐसा कार्य है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिये और घटित होने वाली घटनाओं में यह एक है। शायद, हमारे दल को इसमें फंसा लिया गया था और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अशान्ति वाले क्षेत्र में यह एक सामान्य जोखिम का कार्य होता है। मुझे खेद है कि हमें जान व माल की हानि हुई है, परन्तु हमें इस पर भी समूची कार्यवाही के एक हिस्से के रूप में ही विचार करना चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू : मंत्री द्वारा केवल खेद व्यक्त कर देने का क्या लाभ है ? इससे न ही लोगों को और न ही देश को कोई लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कोई सख्त

कार्यवाही करें जिससे नागालैंड में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गत दस वर्षों में हम लगभग 50,000 सैनिक तथा कुछ असैनिक भी बलिदान कर चुके हैं। इसके बावजूद वह न ही कोई सख्त कार्यवाही कर सके हैं और न ही इन्हें रोक सके हैं। यह सब सरकार की अप्रभाविता का संकेत देता है। सरकार की इस अप्रभाविता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय 5,6 सदस्यों की एक ऐसी संसदीय समिति बनायेंगे जिसमें प्रत्येक दल का एक एक सदस्य हो और ये सदस्य ऐसे हों जो देश के हितों की रक्षा करना चाहते हैं और जो देश के प्रति वफादार हैं जिससे हमें जान व माल की जो हानि हो रही है तथा हमारे देश के सम्मान को जो धक्का लग रहा है इसे रोकने के लिये वे कोई सख्त कार्यवाही करने की सरकार को सलाह दे सकें ?

क्या उस क्षेत्र में नक्सलवादी भी हैं और क्या उन्होंने नागाओं से सांठगांठ कर रखी है। यदि ऐसा नहीं है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई पूर्वोपाय करेगी जिससे नागा और नक्सलवादी मिलकर कोई अधिक शरारतपूर्ण कार्यवाही न करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्यों को याद होगा कि विभिन्न दलों के संसद सदस्यों के एक दल ने कुछ वर्ष पूर्व उस क्षेत्र का दौरा किया था....

एक माननीय सदस्य : गत वर्ष।

श्री स्वर्ण सिंह : इससे पहले भी ; गत वर्ष, तो एक दूसरा दल गया था। मैं उन संसद सदस्यों से विचार–विमर्श करता रहा हूं जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया था।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं चाहता हूं कि वह एक संसदीय समिति बनायें।

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार उन सदस्यों से विचार-विमर्श कर रही है जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है और इस बारे में जो भी कार्यवाही की गई है उसके लिये मुझे उन्हीं से ही प्रेरणा मिली है। हम विरोधी दलों के नेताओं तथा अपने दल के सदस्यों को नागालैंड की स्थिति के बारे में सूचित करते रहे हैं। इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है जो संसद सदस्यों की एक औपचारिक समिति कर सके। यह एक कठिन स्थिति है जो अंशतः राजनैतिक है और अंशतः सैनिक है। राजनैतिक क्षेत्र में हम लोगों द्वारा स्थापित की गई स्थानीय सरकार से विचार-विमर्श करते हैं। वहां पर एक निर्वाचित विधान सभा है और सरकार इस निर्वाचित विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : छिपे नागाओं की इस समस्या का समाधान नागालैंड सरकार तो नहीं कर रही है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की एक औपचारिक समिति बनाने का उल्लेख किया है उससे कोई लाभ नहीं होगा।

हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि नक्सलवादी उस क्षेत्र में कोई कार्यवाही कर रहे हैं। तथापि यह सच है कि हमें कुछ सूचना मिली थी कि नक्सलवादी विद्रोही नागाओं तथा छिपे मिजो विद्रोहियों के साथ कुछ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे।

श्री पीलू मोदी : क्या उन्होंने आज का समाचार–पत्र पढ़ा है ? नक्सलवादियों का नेता वहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम इन सभी बातों के सम्बन्ध में स्थिति का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम इस स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री हेम बरूआ : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और नागालैंड के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है वह इस घटना से गलत सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है। परन्तु उनका यह दावा इस घटना से गलत सिद्ध हुआ है। अपने 134 साथियों सहित जनरल मऊ अंगमी को हाल में जब वे चीन से हथियार और गोला बारूद लेकर वापस आ रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वह आसाम में नवगांव जेल में है। क्या उससे कोई पूछताछ की गई है और क्या इस पूछताछ के दौरान विद्रोही नागाओं का चीन और पाकिस्तान के साथ किसी सम्बन्ध का कोई पता लगा है ?

पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण देने के अलावा, क्या कुछ लोगों ने विद्रोही नागाओं को चीन में बने अर्थ पत्र तथा पाकिस्तान में बने अर्थ पत्र भी दिये थे और यदि हां, तो उन्हें दण्ड देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नागालैंड के मुख्य मंत्री समय समय पर वहां जो भी स्थिति थी उसके बारे में विधान सभा में तथा इससे बाहर भी बयान देते रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : यही कि अब वहां पर स्थिति सामान्य है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है, परन्तु इस घटना के पश्चात जो इस समय स्थिति है वह, कुछ वर्ष पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में अधिक अच्छी है। माननीय सदस्य इससे अवगत हैं। यह सुधार इसलिये हुआ है क्योंकि हमने राजनैतिक क्षेत्र में राज्य सरकार का समर्थन किया और सैनिक क्षेत्र में, अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा दलों की सहायता ली और यही वह नीति है जिसका हम अनुसरण करते रहे हैं। गत कुछ महीनों में आत्म समर्पण करने वाले व्यक्तियों की संख्या विशेष रूप से काफी अधिक है और इसके अलावा जो हथियार पकड़े गये हैं उनकी संख्या भी काफी है। यदि सभा चाहे, तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं, इनसे उन्हें वहां पर की जा रही कार्यवाही के बारे में कुछ जानकारी मिल जायेगी।

1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में कुल 163 छिपे नागा मारे गये और 46 जख्मी हुए। इसके अलावा 2599 छिपे नागाओं ने आत्म समर्पण किया और इस अवधि में 2957 गिरफ्तार किये गये। इसी अवधि में छिपे नागाओं से 3202 हथियार

पकड़े गए जिनमें से 295 हथियार ऐसे हैं जो चीन से लौटे नागाओं के पास पकड़े गये थे। पकड़े गये हथियारों में मध्यम मशीन गनें, मार्टर, राकेट छोड़ने के उपकरण, हल्की मशीन गनें, राइफलें, स्टेन गनें, पिस्तौल तथा भारी संख्या में असैनिक हथियार भी शामिल थे। स्पष्ट है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप भारी संख्या में छिपे नागाओं ने आत्म समर्पण किया है और भारी संख्या में छिपे नागा गिरफ्तार किये गये हैं और भारी मात्रा में युद्धोपकरण भी पकड़े गये हैं। अभी भी काफी संख्या में छिपे नागा हैं जिन पर दबाव डालने की नीति का हमें निरंतर रूप से अनुसरण करना है जिससे वे अपनी अव्यवस्था फैलाने वाली कार्यवाहियां न कर सकें। इसके साथ साथ हमें यह कार्य राज्य सरकार की सलाह से करना है जिससे राज्य सरकार का भी प्राधिकार बना रहे।

अर्थ-पत्रों के बारे में हमें यह सूचना मिली है कि पाकिस्तान तथा चीन ने कुछ धनराशि दी है। परन्तु हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पास चीन में अथवा पाकिस्तान में बने अर्थ-पत्र भी हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं जनरल मऊ अंगमी के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : जनरल मऊ अंगमी अनुवीक्षाधीन है और उससे काफी पूछताछ की गई है। **(व्यवधान)**। इस पूछताछ के फलस्वरूप, छिपे नागाओं का गिरोह चीन किस प्रकार गया ; उन्होंने किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और उनकी विचारधारा को कैसे बदला गया, इस बारे में काफी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री पीलू मोदी : इसमें बिल्कुल कोई सन्देश नहीं है कि जहां तक नागालैण्ड में विदेशी प्रभाव का सम्बन्ध है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, उसके बारे में सरकार को बहुत ही सतर्क रहना है परन्तु हम भारतीय सुरक्षा दलों तथा नागाओं के बीच मुठभेड़ की वारदातों के बारे में समाचार पढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को पता है कि पूछ-ताछ तथा जांच करने के लिये हम जिन तरीकों को अपनाते हैं उनमें से कई तरीके पाशविक होते हैं जिनके कारण कानून का पालन करने वाले नागा हमारा विरोध करने लगते हैं क्योंकि उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये उन्हें अपना मित्र बनाने तथा उन्हें शान्ति बनाये रखने के लिये राजी करने का प्रयत्न करने की बजाए हम उक्त तरीके अपनाते है।

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान् हमने सदा यह नीति अपनायी है कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे नागा लोगों में कोई गलत फहमी उत्पन्न हो और इस नीति का अनुसरण इसी कारण किया गया है यद्यपि ऐसा करते समय हम जो नरमी दिखाते हैं उसे कभी कभी गलत समझा जाता है और इसकी आलोचना भी की जाती हैं। परन्तु हम जानते हैं कि ऐसे विद्रोही नागाओं की संख्या बहुत ही कम है जो ऐसे विद्रोही नागाओं की संख्या बहुत ही कम है जो अव्यवस्था फैला रहे हैं और हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं जिससे उन नागाओं में कोई गलत भावना उत्पन्न हो, जो लोकतन्त्रात्म ढंग से रहना चाहते हैं और जो हमारे देश में उपयोगी नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं। इसी कारण हम इस नीति का अनुसरण करते रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि पूछताछ करते समय कोई पाशविक तरीके अपनाये गये है और यदि माननीय सदस्य को इस आशय की कोई सूचना प्राप्त हुई है, तो वह अनुचित और आधारहीन है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या नक्सलवादियों ने विद्रोही नागाओं के साथ सांठ गांठ कर रखी है अथवा नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान् मैने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि वहां पर इस समय जिस तरह की अव्यवस्था है वह उस स्थिति से भिन्न नहीं है जिसका बर्मा को नागा क्षेत्र में इसी प्रकार के लोगों के कारण सामना है और समूचे रूप में लगभग एक वर्ष पहिले जो स्थिति थी उसकी तुलना में अब स्थिति में कुछ सुधार हो गया है और इन लोगों के साथ हमें चाहे जिस तरह का भी व्यवहार क्यों न करना पड़ रहा है, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि स्थानीय नागालैंड सरकार के साथ सरकार के सम्बन्ध पूर्णतया सामान्य हैं और उसे उसका पूरा सहयोग प्राप्त है ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान् यह ठीक हैं ।

श्री एस० एम० कृष्णा : क्या नागालैंड सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि सेना में एक नागा रेजमेंट स्थापित की जाए जिसमें आत्म समर्पण कर चुके नागा शामिल किये जाये और यदि हो, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस आशय का एक सुझाव दिया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है और क्या उन्हें यह पता है कि विद्रोही नागा नेता श्री फिजो लन्दन, टोकियों तथा अन्य स्थानों का दौरा कर रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र से स्वतन्त्र रूप से भ्रमण कर रहा हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि श्री फिजो तथा विद्रोही नागाओं के नेताओं के बीच अब भी निरन्तर रूप से पत्र व्यवहार हो रहा है और यदि हां, तो श्री फिजो को इस देश में लाने तथा उस पर नियन्त्रण रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री स्वर्ण सिंह : ब्रिटेन सरकार ने श्री फिजो को ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान कर दी है और मुझे ऐसे किसी तरीके का पता नहीं है जिससे उन्हें भारत लाया जा सके ।

इसके साथ साथ यह ठीक है कि फिजो विद्रोही नागाओं को अब भी काफी प्रेरणा दे रहा है । हमें इसे सहन करना ही पड़ेगा । मैं नहीं जानता कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं ।

Shri Om Parkash Tyagi : Are the Government aware that a society has been established which is handling the problem of Nagaland and Mizoland in the name of security of minorities of the world and whether the Government is also aware that their private agents visited Nagaland and collected some photographs depictuing the so called altrocities committed by our security forces and are carrying an anti Indian propaganda after getting those photographs printed in a book and if so, whether Government has taken any steps to prevent the entry of such foreign agents in that area ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने ब्रिटेन में प्रकाशित हुई जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि वह इस बारे में कोई और जानकारी देगें, तो मैं इस बारे में जानकारी एकत्र करूंगा।

श्री रणजीत सिंह : हमने बार बार सदन में यह मांग की है कि नागालैण्ड की समस्या को कानून तथा व्यवस्था की समस्या मानकर नागालैंड सरकार को सौंप दी जाये परंन्तु सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। आज मंत्री महोदय ने बताया कि नागालैण्ड सरकार भी स्थिति से अवगत है तथा कोई कार्यवाही कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि नागा उपद्रवों को मिटाने के लिये नागालैंड सरकार कौनसी विशेष कार्यवाही कर रही है।

पहले सभा पटल पर यह सुझाव रखा गया था कि मिजो हिल्स जिले की तरह नागा गांवों का समूह वार विभाजन किया जाये तथा उस समय के वैदेशिक कार्य मन्त्री ने इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करने की प्रतिज्ञा की थी। क्या मैं उस सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूँ कि सरकार उस सुझाव पर विचार करके उसे शीघ्र ही लागू करेगी ? क्या मै यह भी जान सकता हूं कि मारे गये व्यक्तियों के शव प्राप्त कर लिये गये हैं अथवा उनमें से कुछ शव नागा विद्रोही ले गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस स्थिति पर काबू पाने के लिये नागालैंड सरकार द्वारा, अपने अधीन सशस्त्र पुलिस बटालियनों का प्रयोग करके, सही सही कार्यवाही की जा रही है, जब सरकार को यह मालूम चलता है कि किसी गांव में भूमिगत नागा लोग या तो बलपूर्वक पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अथवा सिपाहियों या किसी अन्य के नाम पर अपनी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल करने के लिये लोगों को भगा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तब सरकार वहां पुलिस प्रतिनियुक्त करती है तथा उचित कार्यवाही करती है। नागालैण्ड सरकार द्वारा यही सही सही उत्तरदायित्व लिया गया है।

श्री रणजीत सिंह : मन्त्री महोदय को गलत सूचना दी गयी है।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक गांवों को पुन; समूहवार बांटने का प्रश्न है, इस क्षेत्र में ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं क्योंकि जब हमने मिजो हिल्स जिले में स्वेच्छा से समूहवार गांवों का विभाजन किया था तब स्थिति कुछ और थी तथा आज की स्थिति उस स्थिति से पूर्णतया भिन्न है।

जहां तक शवों का प्रश्न है, सब के सब शव प्राप्त कर लिये गये है विद्रोहियों द्वारा कोई शव नहीं ले जाया गया है।

श्री वेदव्रत बरूआ : यद्यपि यह संतुष्टि का विषय है कि नागा क्षेत्रों में उपद्रव कम हो गये हैं, क्या यह सच नहीं है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शस्त्रों की सामान्य प्राप्यता कम होने की अपेक्षा बढ़ी ही है ? क्या यह बर्मा-सीमा मार्ग के कारण नहीं है जो नागाओं के लये खुला है ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने बर्मा मार्ग को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की है; क्योंकि इस मार्ग द्वारा चीन से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शस्त्र आ रहे है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सुरक्षा के बहुत कठोर प्रबन्ध कर दिये गये हैं तथा अब व्यवहारिक रूप में बर्मा क्षेत्रों में तथा उस रास्ते द्वारा चीन में नागा उपद्रव नहीं हो रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : My I know whether the border dispute in Sibsagar district between Nagaland and Assam has become an bundle for solving the problem of underground Nagas and if that is so what efforts are being made to solve the said dispute amicably.

श्री स्वर्ण सिंह : मै माननीय सदस्य से अपना प्रश्न सीधे गृह-मन्त्री जी से पूछने के लिये निवेदन करूंगा।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister of Home Affairs is present. It is not necessary for him not to give answer. The hon. Minister is not following the question.

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न से असम तथा नागालैण्ड का सीमा-विवाद अथवा वहां की कोई अन्य तकलीफ उत्पन्न नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह बहुत आवश्यक प्रश्न है तथापि यह इससे उत्पन्न नहीं होता है। गृह-कार्य मन्त्री की केवल यहां उपस्थिति मात्र से ही मै उन्हें उत्तर देने के लिये निवेदन नहीं कर सकता हूँ। उन्हें इसके लिये उचित सूचना दी जानी चाहिये। मुझे अफसोस है कि अब और अधिक प्रश्न पूछने के लिये समय नहीं है।

श्री पीलू मोदी : उन्हें जब सूचना दे दी जायेगी तो क्या कुछ फर्क पड़ जायेगा ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयात प्रतिस्थापन से विदेशी मुद्रा की बचत

*1414. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मन्त्रालय ने आयात प्रतिस्थापन के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की है;

(ख) आयात प्रतिस्थापन के फलस्वरूप की गई विदेशी मुद्रा की बचत किन वस्तुओं से की गई है; और

(ग) आयात प्रतिस्थापन में लगे हुए संगठनों और व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) यद्यपि आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में अपनाए गए अनेक अभ्युपायों के परिणाम-

स्वरूप विगत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन मोटे तौर पर विगत तीन वर्षों में 100 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान है।

(ख) आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त उद्याग परिक्षेत्र आ जाता है, अतएव किस किस वस्तु के आयात में कमी हुई है इसकी कोई तालिका नहीं बनाई जा सकती है। इसके परिक्षेत्र में समस्त आयात प्रतिस्थापन प्रयत्न आ जाते हैं।

(ग) आयात प्रतिस्थापन के कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है जिससे आयात मे बचत हो। ऐसे व्यावहारिक विचारों को बताने वाले संगठनों और व्यक्तियों को नकद इनाम तथा शील्ड तथा प्रमाण-पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं।

स्कूटरों सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*1415. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर के लिए एक देशी डिजायन का सुझाव देने के बारे में गत वर्ष बनाई गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने सरकार को परामर्श दिया है कि सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित स्कूटर अब देश में बनाए जा रहे लेम्ब्रेटा तथा वेस्पा स्कूटरों के मण्डल पर ही बनाए जाएं और सरकार को दोनों देशों से इनके डिजाइन उसी समय खरीद लेने चाहिए जब विदेशी फर्मों के साथ उनके सहयोग करार अगले वर्ष समाप्त हो;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) समिति के प्रतिवेदन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन बातों पर विचार कर लिया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ओद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . सरकार को अभी तक तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्राप्त हुआ है और प्रतिवेदन का द्वितीय भाग अभी प्रतीक्षित है और इसके कुछ ही सप्ताहों में प्राप्त होने की आशा है। समिति के प्रतिवेदन के दोनों भागों की सिफारिशों पर इकट्ठा विचार किये जाने का प्रस्ताव है। समूचे प्रतिवेदन पर विचार किए बिना तथा समिति की सभी सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व समिति के प्रतिवेदन के प्रथम भाग के विषयों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया को प्रकट करना समय पूर्व होगा।

बिलेट री–रौलिंग कारखानों को रोलिंग योग्य बिलेटों का उपलब्ध कराया जाना

*1418. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 तथा 1969–70 में बिलेट को री–रोल करने वाले कारखानों को रोलिंग योग्य बिलेट की कितनी वास्तविक मात्रा उपलब्ध कराई गई;

(ख) वर्ष 1970–71 में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चालू वर्ष में उपलब्ध की जाने वाली सम्भावित मात्रा का नियतन के साथ यथानुपात समायोजन करने की बजाय पुनः बैलन योग्य बिलेट वितरण की अपनी नीति में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1970–71 में पंजीकृत बिलेट पुनर्वेलकों को 6,18,000 टन का संभरण किया जायेगा लेकिन बिलेट उत्पादन में वृद्धि होने से इन आंकड़ों में भी वृद्धि हो सकती है ।

(ग) और (घ) . सामान्यरूप से समय समय पर बिलेट–आवंटन–नीति पर पुनर्विचार होता रहा है और उन सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर, जो बिलेट के आवंटन को प्रभावित करते हैं, फेर बदल कर दिया जाता है । हाल में इस विषय पर पुनर्विचार किया गया था और परिशोधित नीति को लागू करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति को लिख दिया गया है ।

Double Railway Line on Bina-Katni section (Central Railway)

*1419. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the work in respect of doubling the Bina-Katni section track is not being done expeditiously;

(b) the time by which the said work is likely to be completed; and

(c) whether Government propose to run Passenger trains, Express trains and Mail trains to Bombay, Calcutta, Jabalpur and Delhi from the said section after the completion of the above work ?

The Minister of Railway (Shri Nanda) (a) and (b) . Of the 263,35 KM long Bina–Katni section, partial doubling of 132.87 KM programmed in 1963-64 has been completed and opened to traffic. Doubling of the remaining single line portion can be considered when justified by traffic and financial considerations.

(b) **No, Sir.**

स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई पर कपाड़िया परिवार का नियन्त्रण

*1421. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई पर कपाड़िया परिवार (अर्थात मगनलाल छगनलाल परिवार) का नियन्त्रण है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व इस कम्पनी को 25,000 मीटरी टन का इस्पात का कोटा दिया गया था और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकारी कोटे वाली इस्पात की चादरों और खुले बाजार की चादरों की वर्षवार कीमतें क्या-क्या रहीं; और

(घ) उक्त कम्पनी को 25,000 मीटरी टन का इस्पात का सरकारी कोटा कैसे मिला ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . सदन के पटल पर एक विवरण–पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

(ख) गत पांच वर्षों के मध्य, कम्पनी को पीपों तथा छोटे डिबियों के लिए बांटा गया कोटा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा दी गई (टन)
1964–65	5365.32
1965–66	4184
1966–67	7899
1967–68	10453
1968–69	4430

(ग) गत तीन वर्षों के मध्य इस्पात चद्दरों (अनुवीक्षित) की अनेक किस्मों के सरकारी कोटे का मूल्य निम्न प्रकार था :—

1967	1000 रु०	–	1565 रु०
1968 (31–7–68 तक)	1005 रु०	–	1568 रु०
1968 (1–8–68 से 31–12–68 तक)	1074 रु०	–	1804 रु०
1969	1177 रु०	–	1866 रु०

गत तीन वर्षों के मध्य इस्पात चद्दरों की अनेक किस्मों का खुले बाजार का मूल्य निम्न प्रकार था :—

(प्रति टन मूल्य)

	मद्रास	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली
1967	960–2500 रु०	950–2700 रु०	860–3000	1000–2850 रु०
1968	990–3110 रु०	1020–3000 रु०	1040–2700 रु०	900–3000 रु०
1969	1300–7120 रु०	1350–3000 रु०	1400–3500 रु०	1200–3100 रु०
1970 (31 मार्च, 1970 तक)	2200–3150 रु०	2500–3000 रु०	2450–3000 रु०	2600–3150 रु०

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोकारो इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन की लागत

***1424. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में बनाये जाने वाले इस्पात की प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी कारखानों में बनाये जाने वाले समान किस्म के इस्पात से बहुत अधिक (लगभग 2800 रुपये प्रति मीटरी टन) होगी;

(ख) प्रत्येक सरकारी तथा गैर–सरकारी कारखाने में इस्पात की प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत बोकारो इस्पात कारखाने की प्रति मीटरी टन सम्भावित उत्पादन लागत की तुलना में कितनी–कितनी है;

(ग) यह कहां तक रूसी विशेषज्ञों द्वारा ली जाने वाली परामर्श सेवा की अत्याधिक ऊंची दर के कारण है; और

(घ) उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्होंने परामर्श सम्बन्धी सेवाओं की तुलना की थी उनका तुलनात्मक शुल्क कितना–कितना था ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) प्रश्न में उल्लिखित 2800 रुपये प्रति मीटरी टन का मतलब स्पष्टत: बोकारो इस्पात कारखाने की विनियोजन लागत से है। लगभग 9,00,000 टन विक्रय कच्चे लोहे को ध्यान में रखते हुए बोकारो इस्पात कारखाने की 40 लाख टन अवस्था में प्रति टन इस्पात पिण्ड के लिए 2,500 रुपये से कम की विनियोजन लागत का अनुमान है। 31–3–70 को दूसरे इस्पात कारखानों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(प्रति टन इस्पात पिण्ड)

	रुपये
भिलाई इस्पात कारखाना	1447
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1726
राउरकेला इस्पात कारखाना	2268
टिस्को	1275
इस्को	1156

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रायोजना की पूंजीगत लागत में परामर्श सेवाओं की फीस अपेक्षाकृत छोटा खर्च है और उत्पादन लागत पर इसका बड़ा मामूली प्रभाव पड़ता है।

(घ) प्रथम चरण के लिए परामर्श कार्य सोविथत संगठन त्याजप्रोमेक्सपोर्त और एक भारतीय फर्म मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी में बांटा गया है। चूंकि इन दोनों को सौंपे गए काम में बड़ा अन्तर है और उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए इन दोनों परामर्शदाता फर्मों को दी जाने वाली फीस का कोई तुलनात्मक अध्ययन करना सम्भव नहीं है।

पुनः बेलन योग्य बिलेट के वितरण सम्बन्धी नीति

1425. श्री स० चं० सामन्त : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनः बेलन करने वालों को पुनः बेलन योग्य इस्पात के बिलेट देने सम्बन्धी विवरण नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या है;

(ग) क्या नई वितरण नीति का आधार पुनः बेलन करने वालों के पहले के वास्तविक निष्पादित कार्य को बनाया जायेगा; और यदि हां, तो क्या वर्ष 1969–70 (31 मार्च, 1970 तक) में उनके निष्पादित कार्य को दृष्टि में रखा जायगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . नये तथ्यों और परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए बिलेट की आवंटन नीति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता रहा है। हाल ही में ऐसा पुनर्विलोकन किया गया है और नई नीति संयुक्त संयंत्र समिति को बता दी गई है। इस नीति के निर्धारण में देश में कमी को देखते हुए छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात को विनियमित करने की आवश्यकता साधारणतया बेलित न किये जाने वाले कठिन सैक्शन के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कई बातों को ध्यान में रखा गया है।

(ग) और (घ) . कुछ विशेष वर्गों की मांग पूरी करने के पश्चात उपलब्ध शेष बिलेटों का आवंटन पंजीकृत बिलेट पुनर्वेलकों को उनकी निर्धारित क्षमता के अनुपात से किया जायेगा। पिछले कार्य परिणाम की अपेक्षा तकनीकी समिति द्वारा सन् 1966 में सावधानी पूर्वक निर्धारित की गई क्षमता के अनुसार बिलेट का आवंटन करना अधिक न्यायोचित समझा गया है।

बोकारो इस्पात कारखाने को ढाचों का संभरण

***1426. श्री भौगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री बोकारो इस्पात कारखाने को ढांचों के सम्भरण के बारे में 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5410 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढांचों का संभरण समय पर न करने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के सप्लायरों और सरकारी क्षेत्र के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) क्या सप्लायरों ने इस कार्य को हाथ में लेते समय इस्पात के सैक्शन और शांत किस्म की इस्पात की प्लेटों और पुर्जों के भारत में अभाव को ध्यान में नहीं रखा था और यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) क्या तियाजप्रोम एक्सपोर्ट द्वारा सप्लाई में कमी उन पुर्जों की थी जिनके कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है अथवा उन पुर्जों की जिनकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5410 जिसका उत्तर 7-4-70 को दिया गया था बोकारो को उपकरणों, न कि संरचनात्मकों, की सप्लाई के सम्बन्ध में था। संरचनात्मकों के मामले में भी देरी कुछ तो अक्टूबर-नवम्बर, 1969 में बोकारो में हुई श्रमिक अशान्ति के कारण और कुछ इस्पात की प्लेटों, विशेषत: शान्त किस्म की प्लेटों, की कमी के कारण हुई है। कारखाने के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से बोकारो इस्पात कारखाने का प्रबन्धक वर्ग दण्डात्मक और उपचारात्मक दोनों तरह के उचित उपाय कर रहे हैं। दण्डात्मक उपायों में सप्लाई ठीक से न करने वालों के आर्डर रद्द कर देना तथा ठेके की शर्तों के अनुसार अन्य कार्यवाही करना शामिल है।

(ख) इस्पात की कमी का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि 1969 की कमी से मांग में अचानक वृद्धि हुई थी।

(ग) तियाजप्रोमेक्सपोर्ट से सप्लाई में कोई देर नहीं हुई है जिससे प्रायोजना के निर्माण में विशेष रूप से कुछ देर हुई हो।

मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

***1427. श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग ने हाल की अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन विधियों तथा नियमों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है।

समान सिविल संहिता के लिए भारत के मुसलमानों की मांगें

*1428. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार को हाल में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें एक समान सिविल संहिता की विशेषकर मुस्लिम स्वीय विधि में की गई परिभाषा के अनुसार तलाक (विवाह विच्छेद) पद्धति में सुधार करने की मांग की गई है;

(ख) उनकी अन्य मांगे क्या हैं;

(ग) भारत में अधिकांश मुसलमानों की इतनी बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उनकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को भारत के अधिकांश मुसलमानों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका भी प्रस्तुत की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी, नहीं ।

चौथे साधारण निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

*1429. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चौथे साधारण निर्वाचनों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्वाचनों में जाति तथा धन के प्रभाव को कम करने के बारे में उन्होंने कई सिफारिशें की है और यह भी सुझाव दिया है कि राजनैतिक दलों की संख्या कम की जाए; और

(ग) यदि हां, तो उन सुझावों तथा सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1967 में हुए चौथे साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में रिपोर्ट 15–2–1968 को सदन के पटल पर रखी गई थी ।

निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में दी गई रिपोर्ट 1968–69 में हुए मध्यावधि साधारण निर्वाचनों के बारे में थी । यह रिपोर्ट 21–4–1970 को सदन के पटल पर रखी गई थी ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्टों में जो सिफारिशें की थीं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ धन के प्रभाव की चर्चा की गई थी। मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में रिपोर्ट में उनकी सिफारिश संख्या 22, 23, 24 और 29 में वैध और अवैध निर्वाचन व्यय सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जहां तक मतदाताओं के हितों का प्रश्न है, राजनैतिक दलों का भारी संख्या में होना निश्चित रूप से बहुत बड़ी रुकावट है।

(ग) इन सिफारिशों की परीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है।

मैसूर राज्य में नए उद्योग स्थापित करना

*1430. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसूर राज्य में आरम्भ किए गए नए उद्योगों का वर्ष वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने कुछ भारी उद्योग नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में निकट भविष्य में कौन-कौन से उद्योग आरम्भ करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां। मैसूर सरकार ने होस्पेट में एक इस्पात संयंत्र तथा छोटी कार उद्योग जैसे भारी उद्योगों के आरंभन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं तथा उस पर किये जाने वाले विनियोजन का उल्लेख ड्राफ्ट फोर्थ फाइव इयर प्लान रिपोर्ट के पृष्ठ 253-260 में किया गया है। चौथी योजना काल में मैसूर में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में भी उसमें उल्लेख किया गया है। मैसूर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के निर्णय की भी घोषणा कर दी गई है।

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र में इन परियोजनाओं की स्थापना का सम्बन्ध है, उसे मुख्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों के ऊपर छोड़ दिया गया है। यह बता सकना कठिन है कि कौन सा उद्योग निकट भविष्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हां, इस राज्य को विगत तीन वर्षों में उद्योगों के लिए 6 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से दो तो बिनौला/मुंगफली के तेल का उत्पादन करने के लिए हैं, दो गेहूं के उत्पादों के लिए तथा दो चीनी एक्क के लिये हैं। इसी अवधि में 14 आशय-पत्र भी जारी किये गये हैं और अन्य आठ मशीन टूल्स, टायर बनाने की मशीन, काचाम मिट्टी की टाइलें (वाइट्रीफाइड सिरेमिक टाइल्स) फ्रीजड ड्राइड प्रान्स, इलेक्ट्रानिक पुर्जे तथा कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रीप्स जैसे विभिन्न उद्योगों के लिये हैं।

Consumption of Steel Scrap

*1431. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Steel and Heavy Eugineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that along with the increase in the consumption of steel in the country, the quantity of steel scrap, which was 25 lakh tonnes in 1967-68, had increased to 28 lakh tonnes in 1969-70 and is likely to increase to about 34 lakh tonnes by 1971-72;

(b) whether it is also a fact that the demand for steel scrap has remained almost the same in the country and its export is also negligible; and

(c) the steps being taken by Government to utilise steel scrap in large quantities ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) There are no reliable date on the total availability of scrap. The figures mentioned in the question are in accord with the forecasts on the availability of ferrous scrap in India prepared by the Metal Scrap Trade Corporation Ltd. in July 1968. However, these figures represent estimates of total arisings which are far in excess of the estimates of collection made in the same Report. The estimates of collection in the same Report are 16 lakh tonnes in 1969-70 and about 28 lakh tonnes in 1971-72.

(b) It is only for certain categories of iron and steel scrap that there is an effective demand in the country. The domestic demand for heavy melting scrap, mild steel turnings and borings and sheet cuttings, has increased substantially in 1969 and thereafter. On the other hand, there has been a slight decline in the export of scrap which amounted to 5, 8, 5.0 and 4.5 lakh tonnes during 1967, 1968 and 1969 respectively.

(c) The export policy on scrap is regulated on the principle that the export will be permitted only for such categories and in such quantities as are not required for use in the country. Thus, the export of heavy melting scrap is totally banned and of mild steel turnings and borings as also of sheet cuttings is being regulated by the Metal Scrap Trade Corporation Ltd., on the principle that the domestic demand is fully met before any exports are permitted.

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का लघु क्षेत्र पर असर

1432. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लघु उद्योग संघों के फैडरेशन ने यह आशंका व्यक्त की है कि 1 करोड़ रु० तक के नियोजन वाले उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर देने से लघु उद्योगों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या फैडरेशन ने बड़े और छोटे उद्योगों के लिए विशेषकर लाइसेंस मुक्त किए गए उद्योगों के कर ढांचे में अन्तर रखने की मांग की है जिससे बड़े पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकार समझती है कि औद्योगिक लाइसेंस में 1 करोड़ रुपये तक के विनियोजन के मामले में छूट की सीमा बढ़ा देने से लघु उद्योगों के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र के आरक्षण क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया है। कराधान में भेद के बारे में जहां तक सार्थ संघ के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध है, इस बारे में प्रस्तुत किसी ठोस प्रस्ताव पर सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी।

विवाहित रेलवे कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

*1433. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विवाहित रेलवे कर्मचारी उसी स्थान पर अपना तबादला करने के लिये आग्रह कर सकता है अथवा कर सकती है जहां उसकी पत्नि अथवा उसका पति जो सरकारी कर्मचारी हो, स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के अधीन कार्य करने वाले विवाहित दम्पतियों की रोजगार सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) विवाहित दम्पतियों के परिवारों को टूटने से बचाने के लिये ऐसे मामलों में मानवीय आधार पर क्या राहत दी जाती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). रेलों पर विवाहित दम्पतियों की नौकरी को शासित करने वाले कोई विशिष्ट आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। लेकिन, उनमें से कोई भी जब यह प्रार्थना करता है कि उसका तबादला पत्नि/पति की नियुक्ति के स्थान पर कर दिया जाये तो उस पर आमतौर से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

दिल्ली में प्रकाशन क्षेत्र में नई कम्पनियां

*1434. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री दिल्ली में प्रकाशन क्षेत्र में नई कम्पनियों के बारे में 14 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को दो विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग करार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इस कम्पनी द्वारा समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार और कम्पनी रजिस्ट्रार को पेश किये गये विवरणों में अपने विदेशी सम्बन्धियों तथा विदेशी अंशधारियों का ब्योरा न देने के लिये सरकार का विचार इस कम्पनी तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) विहित समय के भीतर कम्पनी अधिनियम की धारा 147 (1) (क) का पालन न करने के लिये समवाय कार्य विभाग ने इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा लिब्रेटर (पी) लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने, एक अमेरिकन एवं नई दिल्ली में "वाशिंगटन पोस्ट" के पहले संवाददाता को सेलिक हरिसन तथा एक ब्रिटिश राष्ट्रीय एवं अंग्रेजी समाज शास्त्री श्री कालिन रोजर नाम के दो विदेशी राष्ट्रीयों में से प्रत्येक को; 5,000 रु० मूल्य का एक हिस्सा बेचने के लिये; इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स प्रा० लिमिटेड के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

(ख) इन दो हिस्सों का बंटन कम्पनी द्वारा 30-3-70 को प्रभावी कर दिया था। सम्बन्धित वार्षिक विवरण-पत्र, जिसमें, इन हिस्सों के बंटन से सम्बन्धित सूचना दी जानी है, अभी, समाचार पत्र का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम, 1956 के साथ पठित, मुद्रणालय एवं पुस्तक पंजियन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास, मिसिल किये जाने के लिये, देय नहीं है।

श्री सेलिग हरिसन तथा श्री कालिन रोजर के नाम युक्त बंटन की विवरणी, कम्पनी द्वारा, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को अभिसांविधित अवधि के अन्तर्गत मिसिल की गई थी। तथापि, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में, हिस्सेधारियों को राष्ट्रीयता प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली ने, इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्रा०) लि० तथा लिब्रेटर (न्यूजपेपर्स, एण्ड एजेंसीज) प्राइवेट लि० को; कम्पनी अधिनियम की धारा 147 (1) (क) के उपबंधों का पालन न करने के लिये, एक कारण बताओ नोटिस दे दिया है।

रूस के तिआजप्रोमैक्सपोर्ट द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण

***1435. श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री रूस के तिआजप्रोमैक्सपोर्ट द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो परियोजना में काम कर रहे लगभग 600 रूसी कर्मचारियों में से करीब 250 "फोरमैन इन्सट्रक्टर" हैं;

(ख) क्या भारत में उपलब्ध इंजीनियरों को फोरमैन इन्सट्रक्टर बनाया जा सकता था;

(ग) यदि हां, तो बाहर से रूसी फौरमैन इन्सट्रक्टरों की भर्ती करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या तिआजप्रोमैक्सपोर्ट के साथ हमारे करार में रूसी इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों की संख्या घटाने की गुंजाइश है ताकि बोकारो परियोजना में उसी किस्म के काम के लिये भारतीय इन्जीनियर नियुक्त किये जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 31 मार्च, 1970 को बोकारो में कुल 156 रूसी विशेषज्ञ थे। इनमें केवल 24 फोरमैन इन्स्ट्रक्टर थे। बोकारो में विभिन्न विशेषज्ञों की श्रेणियां और उनकी संख्या का उल्लेख बोकारो स्टील लि० और रूसी संगठन त्याजप्रोमैक्सपोर्ट के बीच 3 मई, 1966 को हुए करार में किया गया है। संविदा में उल्लिखित विशेषज्ञों की श्रेणियों में फोरमैन इन्स्ट्रक्टर भी शामिल

है। इन फोरमैन इन्स्ट्रक्टर को इस्पात प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों का विशेष ज्ञान तथा अनुभव होता है। अत: उनकी सेवाओं को समाप्त करना न तो सम्भव ही है और न ऐसा करना बुद्धिमत्ता ही होगी।

(घ) और (ङ) बोकारो इस्पात लि० और त्याजप्रोमैक्सपोर्ट के बीच हुए समझौते में रूसी विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति के बारे में परिचालन सीमा का ही वर्णन है। विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञों की संख्या बोकारो स्टील लि० के प्रबंधकवर्ग के परामर्श से समय-समय पर निश्चित की जाती है। संविदा में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि बोकारो स्टील लि० की आवश्यकतानुसार बोकारो में रूसी विशेषज्ञों की संख्या कम से कम रखी जाय।

हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

*1436. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी और इस आयोग के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) क्या आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग का गठन 1 मार्च, 1960 को हुआ था और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1962 को प्रस्तुत की।

आयोग—

(1) स्वर्गीय डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर	अध्यक्ष
(2) श्री शंकर सरन, निवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	सदस्य
(3) श्री महाबीर प्रसाद, महाधिवक्ता, बिहार	,,
(4) स्वामी हरिनारायणन, महासचिव, भारत साधु समाज	,,
(5) श्री पी० कामेश्वर राव, निवृत्त आयुक्त, हिन्दू धार्मिक विन्यास बोर्ड, मद्रास	,,
(6) श्री के० वेंकटस्वामी नायडू अधिवक्ता, मद्रास	,,
(7) श्री के० सी० सेन, निवृत्त न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय	,,

से मिल कर बना था।

(ग) और (घ) . आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दू धार्मिक विन्यास विधेयक, 1965 के नाम से एक विधेयक तृतीय लोक सभा में पुन: स्थापित किया गया था। इसके पहले कि लोक सभा उस विधेयक पर विचार कर सके, लोक सभा का विघटन हो गया। इसलिए यह विधेयक व्यपगत हो गया। एक नया विधेयक तैयार किया गया और राज्य

सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार जानने के लिए उनके पास भेजा गया। प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर यह मामला फिर से विधि आयोग के पास भेज दिया गया है।

चितरंजन रेल इंजन कारखानों में खराब कारीगरी तथा घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण विद्युत चालित रेल इंजनों में गड़बड़ी

*1437. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फ्रान्सिसी विशेषज्ञों ने जिन्होंने चितरंजन इलैक्ट्रिक लोको फैक्टरी का दौरा किया था यह पता लगाया था कि विद्युत चालित रेल इंजनों में खराबियों का कारण खराब कारीगरी तथा घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग है;

(ख) क्या विद्युत चालित रेल इंजनों का कार्य भार इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों के स्थान पर मैकेनिकल इंजीनियरों को सौंप दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार इस कारखाने में विद्युत चालित रेल इंजनों में खराबियों के कारणों के बारे में जांच करेगी।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि वहां अच्छा काम हो रहा है।

(ख) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली रेल इंजनों के निर्माण-कार्य में यांत्रिक और बिजली दोनों प्रकार के इंजीनियर लगे हुए हैं।

(ग) सम्बन्धित रेल प्रशासन और अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बिजली रेल इन्जनों और उनके पुर्जों की हर खराबी की विस्तृत जांच की जाती है।

मैसर्स डी० मैक्रोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड का मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड में विलय

*1438. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मैसर्स मैक्रोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उक्त कम्पनी का मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड में विलय न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक हिस्सेधारी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गये एक अनामक अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई थी।

(ख) यह प्रतिवेदित किया गया था कि एकीकरण की योजना, एक लघु कम्पनी पर बलात्कारी एवं दबाव प्रक्रिया के माध्यम से थोपी गई थी, जहां इसके बहुमत हिस्सेदारी भारतीय थे, जबकि हस्तांतरी कम्पनी के लगभग 90% हिस्सेधारी विदेशी थे। यह भी बताया गया था कि कम्पनी के लेखा-परीक्षकों ने अपने मूल्यन रिपोर्ट में हस्तांतरित कम्पनी के तथ्यों की परीक्षा नहीं की थी।

(ग) हिस्सेधारी के अभ्यावेदन तथा बम्बई उच्च न्यायालय ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 क के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होने पर, एकीकरण की योजना का विरोध करते हुये एक अभ्यावेदन बम्बई उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तथापि न्यायालय ने 9-2-1970 को एकीकरण की योजना मुख्य रूप से इन आधारों पर स्वीकार कर ली कि एकीकरण की योजना का, कुल के $\frac{3}{4}$ मूल्य से कम नहीं, सदस्यों द्वारा, उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप या प्रति पत्रियों के द्वारा अनुमोदन किया था, व इस शर्त पर कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों को स्वीकृत, जिसकी स्वीकृति या अनुमोदन इस विषय में अपेक्षित थी, प्राप्त कर ली गई थी।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा फर्मों पर नियंत्रण

*1439. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारे समिति तथा दत्त समिति के प्रतिवेदनों में उल्लिखित 20 व्यापार गृहों का उन फर्मों पर, जिनका वे प्रबन्धक अभिकर्ताओं के नाते प्रबन्ध करते थे यदि कोई नियंत्रण अभी बना हुआ है तो वह किस प्रकार का है ;

(ख) क्या उन का नियंत्रण शेयरों की एक बड़ी प्रतिशतता रखने वाले अंशधारियों के एक ग्रुप द्वारा किये जाने वाले नियंत्रण तक ही सीमित है ;

(ग) सरकार को वैयक्तिक समवायों से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार उनके पांच बड़े कारखानों में से प्रत्येक में इन बड़े व्यापार गृहों के कितने प्रतिशत शेयर हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार परिवर्तित परिस्थितियों में नये कारखाने लगाने अथवा विद्यमान कारखानों के विस्तार के लाइसेन्स देने पर लगे प्रतिबन्ध को जारी रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के 3 अप्रैल, 1970 के उन्मूलन हो जाने के परिणाम स्वरूप, कम्पनियों द्वारा पसन्द किये गये प्रबन्ध के विकल्प रूपों की बाबत पूर्ण सूचना, अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) वृहद् उद्योग समूहों द्वारा, अपनी भूतपूर्व प्रबंधित कम्पनियों में हिस्सों की सीमा की बावत सूचना, जो उनके द्वारा अभी तक प्रयोग किये जाने वाले संभाव्य नियन्त्रण का सूचक होगी, पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह सूचना, कम्पनी की नवीनतम वार्षिक विवरणियों से एकत्रित की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) . औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने, अपनी रिपोर्ट के पैरा 216 में, एक गृह में संबंधित व्यक्तियों के समावेश के लिये एक मानदण्ड निर्धारित किया है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के समाप्त हो जाने पर भी, वृहद्तर उद्योग समूहों को पहचान के लिये अन्य मानदण्ड शेष रहेंगे। इस स्थिति की दृष्टि से, सरकार के पास नवीनतम लाइसेंस नीति को, जिसके अनुसार, औद्योगिक लाइसेंस देने के विषय में, नवीन एव लघुतर उद्यमकर्ताओं को, प्राथमिकता दी जायेगी, को संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दुस्तान स्टील द्वारा लघु उद्योगों को सप्लाई के बदले में नियत राशि रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन

***1440. श्री लोबो प्रभु** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 अप्रैल, 1970 के 'इकानामिक' टाइम्स में सम्पादक के नाम प्रकाशित "पी० एस० ए० पवर स्माल इन्डस्ट्री" शीर्षक के अतर्गत छपे पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने लघु उद्योगों को सप्लाई किये जाने वाले माल के बदले में स्थायी नियत राशि रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया था ; और

(ग) पहले वाली प्रक्रिया को पुनः लागू किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात के माल की कमी और परिणामस्वरूप बढ़ा चढ़ा कर मांग पत्र प्रस्तुत करने से हिन्दुस्तान स्टील लि० ने फैसला किया है कि नए व्यापारियों को स्थायी आर्थिक सुविधाएं न दी जाएं तथा इन पुराने व्यापारियों से जिनका कार्यकरण संतोषजनक नहीं रहा है, यह सुविधा वापस ले ली जाय। फिर भी, विश्वस्त लघु उद्योगों और उपभोक्ताओं से यह सुविधा वापस नहीं ली गई है।

(ग) इस बात का निर्णय हिन्दुस्तान स्टील लि० को करना है कि किन परिस्थितियों में यह सुविधा फिर से दी जाए।

दिल्ली के फोटोग्राफरों द्वारा काले बाजार की कीमतों में फोटोग्राफी का कागज खरीदना

8507. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के फोटोग्राफर फोटोग्राफी का कागज खरीदने के लिये व्यापारियों को काले बाजार की कीमतों के रूप में प्रति वर्ष 1 करोड़ 68 लाख रुपये दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में फोटोग्राफी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिये और काले बाजार की इसकी खरीद को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई फोटो व्यापारी पकड़े गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) (ग) और (घ) . फोटोग्राफी कागज पर मूल्य नियंत्रण नहीं है । अतः इस वस्तु के किसी विक्रेता को उपभोक्ताओं द्वारा काले धन देने का प्रश्न अथवा इस संबंध में किसी फोटो कागज के विक्रेता को हिरासत में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) सरकार ने वर्तमान कमी को दूर करने के लिए राजकीय व्यापार निगम के द्वारा 80 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफी कागज के आयात करने की व्यवस्था की है । लघु एककों को उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कच्चे माल के आयात हेतु अधिक विदेशी मुद्रा दी जा रही है । साथ ही, बड़े क्षेत्र में फोटोग्राफी कागज के निर्माण हेतु अग्रेतर क्षमता के लिए लाइसेंस देने पर लगे प्रतिबन्ध को भी उठा लिया गया है ।

पम्प निर्माता उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल की कमी

8508. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय पम्प निर्माताओं को उचित किस्म का कच्चा लोहा और इस्पात तथा बिजली की मोटर निर्माताओं से पत्तियां और स्टैप्पिंग आदि जैसा आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नये विचारों का विकास करने में सहायता देने के लिये अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने में पम्प निर्माताओं की सहायता करने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1969–70 में निर्यात से होने वाली आय में इस उद्योग का क्या योगदान रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . भारतीय पम्प निर्माता संघ ने एक अभ्यावेदन दिया है कि वे पम्पों के चलाने में अत्यावश्यक बिजली मोटरों के संभरण की कमी के कारण कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । अभ्यावेदन में यह भी दिया गया है कि मोटरों के निर्माताओं को भी पत्तियों के संभरण के संबंध में कठिनाई हो रही है ।

(ग) तथा (घ) . इस संबंध में पम्प निर्माताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जब कभी भी उनसे कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होगा, गुणावगुण के आधार पर सरकार उस पर विचार करेगी ।

पम्प निर्माताओं तथा दूसरों द्वारा इच्छित कच्चे लोहे (श्रेणी 1) तथा इस्पात की सामान्यतः कमी है। सरकार स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। जहां तक पत्तियों का संबंध है, सरकार ने तांबे तथा ट्रांसफार्मर श्रेणी इस्पात के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को तदर्थ आयात लाइसेंस जारी किए हैं।

(ङ) अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 की अवधि में पम्प तथा विद्युत मोटरों के निर्यात से 1.31 करोड़ रुपये की आय हुई।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

8509. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश ने किस तारीख को त्यागपत्र दिया था और उनके त्यागपत्र के क्या कारण थे ; और

(ख) उपर्युक्त कम्पनी के मामलों की जांच करने वाले जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस मंत्रालय को कम्पनी के अध्यक्ष के त्यागपत्र की बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम में, इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत की गई जांच-पड़ताल रिपोर्ट के प्रकाशन के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

रेलवे सुरक्षा दल और विशेष दल के कर्मचारियों में अन्तर

8510. श्री बाबूराव पटेल : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल और विशेष दल के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, उनमें अन्तर क्या है और रेलवे-वार उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) विभिन्न कर्मचारियों के वेतन तथा वेतन-मान क्या हैं और उपर्युक्त दल को बनाये रखने का कुल वार्षिक व्यय कितना है ;

(ग) गत वर्ष उन्होंने ज़ोनवार, कितने चोरों तथा अपराधियों को गोली मार दी थी ; और

(घ) गत तीन वर्ष में चोरियों के कारण रेलवे को वर्षवार कुल कितनी हानि हुई और हानि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक सूचना दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3408/70]**

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1969 में जितने चोरों और अपराधियों को गोली से मार दिया गया, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	10
पूर्व रेलवे	12
दक्षिण रेलवे	1
दक्षिण मध्य रेलवे	2
दक्षिण–पूर्व रेलवे	4
पश्चिम रेलवे	3
	कुल 32

(घ) बुक किये गये परेषणों और रेलवे के सामानों की चोरी होने से रेलवे को 1967, 1968 और 1969 में कुल क्रमशः 68.35,118.29 और 99.66 लाख रुपये की हानि हुई। चूंकि 1968 की तुलना में 1969 में हानि कम हुई है, इसलिए वृद्धि के कारणों का सवाल नहीं उठता।

रजिस्टर्ड गैर–सरकारी उपक्रम

8511. श्री नंजा गौडर : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तारिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्टर्ड गैर–सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं और वे कहा–कहां स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक में उद्योगवार कितनी पूंजी लगी है अथवा उनकी अंश पूंजी कितनी है ;

(ग) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) कुल वेतन कितना दिया जाता है ; और

(ङ) वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा 1969-70 में लाभ अथवा हानि कितनी हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तारिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31–3–1969 तक देश में, निजी निगम क्षेत्र में, हिस्सों द्वारा सीमित, 27707 कम्पनियां कार्यरत थीं। इन कम्पनियों के नामों तथा स्थिति की बाबत ब्यौरा इस विभाग के 'प्रकाशन' भारत में कार्यरत संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों (भाग 2) में दिये गये हैं, जो एक वार्षिक प्रकाशन है।

(ख) इन कार्यरत कम्पनियों की, 31–3–66 तक उद्योग–अनुसार प्रदत्त पूंजी संलग्न पत्र में दी गई है।

विवरण

(हजार रुपयों में)

औद्योगिक संहिता सं०	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी
0	1,166	57,20,15
1	777	65,98,35
2	2,824	3,87,65,06
3	5,640	6,06,13,32
4	2,801	2,28,61,77
5	657	63,45,71
6	9,038	3,16,06,04
7	1,762	51,21,19
8	682	10,99,41
9	1,119	19,73,01
योग	26,466	18,07,04,01

(ग) सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिये उद्योग-अनुसार अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन की बाबत सूचना, "भारत के चयन किये गये उद्योगों के उत्पादन के मासिक आंकड़े" में प्रकाशित की जाती है जो एक सरकारी प्रकाशन है।

(घ) सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों के उपक्रमों को मिलाकर, कार्य कर रहे, 400 रु० प्र० मा० से कम आमदनी वाले कर्मचारियों के कुल वार्षिक वेतन बिलों से संबंधित सूचना, 1966 के वर्ष की 617.2 करोड़ रुपयों की राशि की थी।

(ङ) निजी क्षेत्र की कम्पनियों के करारोपण की व्यवस्था से पहले के सम्पूर्ण लाभ, 1963-64 से 1965-66 के तीन वर्षों के नीचे दिये जाते है :—

वर्ष	लाभ
	(करोड़ रुपयों में)
1963-64	388
1964-65	446
1965-66	534 (अनुमानित)

Local Passenger Train Between Raebareili and Kanpur (Northern Rly.)

8512. Shri Jangeshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the local passenger train running between Rae-Bareili and Kanpur, Northern Railway, runs via Unchahar as a result of which Kanpur-bound passengers are delayed much ;

(b) whether arrangements would be made to ensure that the said train runs from Rae-Bareili to Daryaganj and there from direct to Kanpur via Dalmau ;

(c) whether it is a fact that there was a Railway track from Daryaganj to Dalmau but it was dismantled for some reason ; and

(d) If so, whether Government propose to lay the same track again and divert the said local train through this track for the convenience of the passengers and for saving their time ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) . At present Kanpur and Rae-Bareili are linked by rail via Lucknow and via Unchahar. The Dalmau-Daryapur line linking the Kanpur-Unchahar, Unchahar-Rae-Bareili lines was dismantled in 1940 for meeting urgent military requirements of track materials. The line was working at a loss prior to its dismantlement. The restoration of this line was considered from time to time in the past but was not found justified

रेलवे गुड्स शेडों, पार्सल दफ्तरों, प्लेटफार्मों तथा स्टोर डिपुओं से चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य

8513. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, माल शैडों, पार्सल दफ्तरों, प्लेटफामों, वर्कशापों तथा स्टोरों से कितने मूल्य की सम्पत्ति की चोरी हुई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इन चोरियों के सम्बन्ध में कितने रेलवे कर्मचारी पकड़े गये ;

(ग) क्षेत्र (जोन) वार इन चोरियों के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) वर्ष प्रति वर्ष चोरियां बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष चोरी के आरोपों में कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क)

वर्ष	मालगोदामों, पार्सलघरों और प्लेटफार्मों से चोरी रु०	कारखानों और भण्डारों से चोरी रु०
	(लाखों में)	(लाखों में)
1967	2.05	2.52
1968	2.22	1.78
1969	1.84	1.47

चोरी के मामलों में गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या

(ख)

वर्ष	माल गोदामों, पार्सलघरों और प्लेटफार्मों से	कारखानों और भण्डारों से
1967	53	488
1968	31	233
1969	4	119

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1967, 1968 और 1969 के वर्षों में मालगोदामों पार्सलघरों, प्लेटफार्मों और कारखानों तथा भण्डारों से हुई चोरी का क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3409/70**]

(घ) इस तरह की चोरियों की घटनाओं में कमी को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ङ) रेलवे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बर्खास्त (सेवा मुक्त) नौकरी से हटाया गया।

	1967 में	**1968 में**	**1969 में**
मध्य	68	16	7
पूर्व	—	—	–
उत्तर	18	3	1
पूर्वोत्तर	14	—	–
पूर्वोत्तर सीमा	15	4	–
दक्षिण	23	11	1
दक्षिण मध्य	10	8	1
दक्षिण पूर्व	1	—	–
पश्चिम	25	9	–

एलियापेरूमल समिति के बारे में पत्रों की प्रतियां सभापटल पर रखना

8514. श्री सूरज भान : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेगी :—

(एक) अस्पृश्यता आदि के सम्बन्ध में एलियापेरुमल समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 'X' में उल्लिखित पत्र संख्या 14/3/69 एस० सी० टी० II, तारीख कोई नहीं, जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री आर० अच्युतन को भेजा गया था, की एक प्रति ;

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ XII में उल्लिखित पत्र संख्या 14/3/69 एस० सी० टी० दिनांक 13 फरवरी, 1969, जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री नारायण दीन को भेजा गया था, की एक प्रति ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) . अपेक्षित पत्रों की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि तत्सम्बन्धी मिसिल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति के अध्यक्ष को भेजी हुई है ।

विधि मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त विक्रय-विलेख

8515. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में उनके मंत्रालय की राय जानने के लिये उसे कितने मामलों में हिन्दी में विक्रय-विलेख प्राप्त हुए; और

(ख) हिन्दी में कितने विक्रय–विलेख राजभाषा (विधायी) आयोग के पास अंग्रेजी अनुवाद के लिये भेजे गये ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख) . जानकारी संगृहीत की जा रही है ।

महाराष्ट्र में बिना जोड़ वाली ट्यूबें तथा गैस सिलेण्डर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति देना

8516. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बिना जोड़ वाली ट्यूबें तथा गैस सिलैण्डर बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित कारखाने लगाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों कारखानों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किन-किन स्थानों पर लगाने की अनुमति दी गई हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . मै० भारत पंप तथा कम्प्रेशर लि०, नैनीं, उत्तर प्रदेश के माध्यम से नैनी में सरकारी क्षेत्र में उच्च दबाव वाले गैस सिलेंडरों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने का निश्चय किया है । परियोजना की पूंजीगत लागत का अनुमान 378.07 लाख रुपये लगाया गया है । जहां तक सीमलैस इस्पाती पाइप परियोजना का सम्बन्ध है, यह अभी भी विचाराधीन है ।

मकान बनाने के लिये ऋण देने के मामलों का निपटारा करने में विलम्ब

8517. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि में उनके मंत्रालय को आकाशवाणी से मकान बनाने के लिये ऋणों के कितने मामले प्राप्त हुए ;

(ख) कितने मामलों में अन्तिम निपटारे की प्रतीक्षा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी आपत्तियां एक ही बार उठाई जाने के बदले अलग-अलग बार उठाई जाने के कारण मामलों में देरी होती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) 42

(ख) 31 मार्च, 1970 की स्थिति के अनुसार इस मन्त्रालय में कोई मामला लम्बित नहीं है ।

(ग) और (घ) . यदि सलाह मांगने वाले मंत्रालय, हक आदि के बारे में पूरी जानकारी दे दें और आवश्यक दस्तावेज भेज दें तो उन मामलों में अलग-अलग आपत्तियां उठाने के कारण कोई विलम्ब नहीं होगा ।

मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक

8518. श्री यशपाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (वी० ग्रुप) के अन्शधारियों की पिछले पांच वर्षों से बैठक नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अंशधारियों की अन्तिम बार बैठक कब हुई थी ; और

(घ) कानून के अन्तर्गत इस कम्पनी के विरुद्ध प्रति वर्ष क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों से पता चलता है कि इतहाद मोटर ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी, 1961 के वर्ष तक, मिसिल की हैं । यह पता नहीं हैं कि इस कम्पनी ने अपनी अनुवर्ती वर्षों की वार्षिक साधारण बैठकें की है अथवा नहीं, परन्तु यह यथोचित रूप से अनुमित हो सकती है कि कोई ऐसी बैठक नहीं हुई ।

(ख) 1960 अथवा इसके आस-पास, इस कम्पनी के दो समूहों के मध्य गम्भीर मतभेद थे । एक समूह श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में था व दूसरा जो प्रश्न में स्पष्टत: "वी समूह" के

नाम से निर्देशित किया गया है, का नेतृत्व श्री वीर सिंह कर रहे थे। यह मतभेद, श्री बलेतेज सिंह तथा 29 अन्यों द्वारा कम्पनी तथा श्री वीर सिंह व 20 अन्यों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम की धारा 397/398 के अन्तर्गत, एक याचिका में, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गये। कथित याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश के एक आदेश द्वारा, 12-5-1961 को निपटान हो गया था। उच्च न्यायालय के कथित आदेश से मतभेद वाले दलों के मध्य, एक समझौता स्वीकार किया गया था, तथा समझौते का लागूकरण अनिर्णीत रहा, क्योंकि इसमें इन दोनों समूहों द्वारा दो भिन्न कम्पनियों का बनाना, मनसंक्षण था। कम्पनी रजिस्ट्रार को, बैठकें न करने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही जब तक न करने का निषेध किया गया, तब तक कि यह विषय समझौते की शर्तों के अनुसार अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाये। इस विधि का अभी निर्णय नहीं हुआ है, व यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रभाग बैंच के समक्ष अनिर्णीत है।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि कम्पनी की अन्तिम वार्षिक बैठक, 10 जनवरी, 1961 को हुई थी।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार ऊपर वर्णित उच्च न्यायालय के आदेशों की दृष्टि से, कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है।

मैसर्स इतहाद मोटर ट्रान्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को हुई हानि

8519 श्री यशपाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इतहाद मोटर ट्रान्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (वी ग्रुप) पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि इस कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक अंशधारियों की पसीने की कमाई का दुर्विनियोजन कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या जनता के धन की सुरक्षा के लिये सरकार का विचार इस कंपनी के कार्यों के बारे में जांच कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मै० इतहाद मोटर ट्रान्सपोर्ट प्रा० लि० द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली को मिसिल किया गया अन्तिम तुलन-पत्र 31-12-59 को वर्ष समाप्ति का था। इससे पता चलता है, कि कुल हानि 78,803 रु० की थी। कम्पनी ने अनुवर्ती नौ वर्षों के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, इस कारण अन्तिम स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी की निधियों के अपहरण सम्बन्धी कोई सामग्री नोटिस में नहीं आई है।

(ग) और (घ). कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच-पड़ताल करने का कोई प्रस्ताव, 5 मई, 1970 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या, 8518 के उत्तर के अनुसार विशेषत: उच्च न्यायालय में याचिका के अनिर्णीत होने की दृष्टि से, वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नारी निकेतन, दिल्ली

8520. श्री अचल सिंह : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री नारी निकेतन, दिल्ली के बारे में 17 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जिस पत्र द्वारा दिल्ली राज्य नारी निकेतन में निम्नलिखित पदों की मंजूरी दी थी उनकी संख्या और तारीख क्या है तथा ये पद किस ग्रेड में है :—

(1) खादी लूम अध्यापक (2) सिलाई सिखाने वाला (3) स्टोर कीपर (4) ड्राइवर (5) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (6) प्रौढ़ शिक्षा अध्यापक (7) संगीत अध्यापक (8) डाक्टर तथा रसोइया ;

(ख) क्या इनमें से किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उन्हें नौकरी से किस अधिकारी द्वारा निकाला गया और उन पर क्या आरोप थे ; और

(घ) सम्बन्धित कर्मचारियों ने कितनी अवधि तक नारी निकेतन में काम किया और क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया था ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की मंजूरी देने वाले पत्र की संख्या तथा तारीख	वेतन मान
1	2	3	4
1.	खादी खड्डी अध्यापक	सुलभ नहीं है ।	110–180 रुपये
2.	सिलाई प्रशिक्षिक	सचिव (गृह) दिल्ली प्रशासन का पत्र संख्या एफ 22 (14)/54 गृह दिनांक 31 मार्च, 1955	118–225 रुपये
3.	स्टोर कीपर	–यथोपरि–दिनांक 7 अप्रैल, 1955	110–180 रुपये
4.	ड्राइवर	सुलभ नहीं है ।	110–139 रुपये
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सचिव (गृह), दिल्ली प्रशासन का पत्र संख्या एफ–22 (14)/54–गृह दिनांक 31 मार्च, 1955	70– 85 रुपये

1	2	3	4
6.	वयस्क साक्षरता अध्यापक	—यथोपरि—	110–139 रुपये
7.	संगीत अध्यापक	—यथोपरि—	118–225 रुपये
8.	डाक्टर	समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन का पत्र संख्या–12 (3)/67–देव/ डी० एस० डबल्यू/6161 दिनांक 30 मार्च, 1968	100 रुपये प्रति मास (नियत)
9.	बावर्ची	सचिव (गृह) दिल्ली प्रशासन का पत्र संख्या एफ–22 (14)/54–गृह दिनांक 31 मार्च 1955	45 रुपये प्रति मास

(ख) से (घ) . नारी निकेतन बोर्ड ने सिलाई तथा शिल्पकि अध्यापिका कुमारी मनोरमा भार्गव को जिसने 1 अप्रैल, 1964 से 11 दिसम्बर, 1968 तक नारी निकेतन में नौकरी की थी, नौकरी से निकाल दिया गया था। उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

एल० एल० बी० के छात्रों के लिये प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें

8521. श्री एन० शिवप्पा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल० एल० बी० के छात्रों के लिये हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अब तक कितनी मानक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिन्हें हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के रूप में स्वीकार किया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : विधि मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने एल० एल० बी० के छात्रों के लिए कुछ मानक पाठ्य पुस्तकों के केवल हिन्दी में प्रकाशन की सिफारिश की है। ऐसी किसी पाठ्य पुस्तक को सरकार ने अभी तक न तो स्वीकृत किया है और न प्रकाशित किया है

दिल्ली में बहुपत्नीत्व पर प्रतिषेध

8522. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् ने हाल में एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से राजधानी में बहुपत्नीत्व पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा जैसा कि अपेक्षित है महानगर परिषद् की सिफारिश कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिए जाने के पश्चात्, विचारों के साथ यदि कार्यकारी परिषद् ने उस पर कोई व्यक्त किए हों, प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती है। ऐसा कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी उपक्रमों में अनिर्णीत विवाद

8523. श्री हुचे गोडा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन काम कर रहे अनेक सरकारी उपक्रमों में अवमूल्यन के बाद से ठेके सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत भुगतान के बारे में अनेक विवाद अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) भुगतान न किये जाने सम्बन्धी विवादों की संख्या कितनी है;

(घ) इन विवादों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ङ) इन विवादों के हल के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सूती और पटसन के कपड़ों की बुनाई की मशीन का निर्माण

8524. श्री चेंगल राया नायडू :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सूती कपड़े तथा पटसन के कपड़े के लिये बुनाई मशीनों के निर्माण से प्रथम बार धन की बचत तथा विदेशी मुद्रा की कमाई होगी;

(ख) यदि हां, तो कितनी बचत होगी; और

(ग) देश में ऐसी मशीनों के निर्माण को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूती व पटसन के वस्त्रों की बुनने की मशीनों का उत्पादन कार्य देश में काफी समय से जम चुका है। अतः सूती वस्त्रों व पटसन के वस्त्रों की बुनने की मशीनों

का देश में पहली बार बनाये जाने और उनका उत्पादन करके विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सूती वस्त्रों तथा पटसन के वस्त्रों की बुनने की मशीनों की अधिकांश बड़ी-बड़ी चीजें देश में ही बनायी जा रही हैं। आन्तरिक मांग की पूर्ति करने के अलावा देश में बनने वाली कुछ मशीनों का निर्यात भी किया जा रहा है।

(ग) सूती वस्त्रों तथा पटसन के वस्त्रों की आधुनिक किस्म की बुनने की जिन थोड़ी सी मशीनों की उत्पादन क्षमता अभी देश में स्थापित नहीं हुई है, उनके बारे में आवश्यकतानुसार उपयुक्त विदेशी सहयोग से देश में आवश्यक उत्पादन क्षमता की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

सौराष्ट्र में सिक्का पत्तन पर गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पोत प्रांगण की स्थापना

8525. श्री रा० की० अमीन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क के सहयोग से 14000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता तक के पोतों का निर्माण करने के लिए जामनगर के निकट सौराष्ट्र में सिक्का पत्तन पर गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पोत प्रांगण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां; तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सिक्का में एक पोत प्रांगण स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मे० दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लि० बम्बई ने 25000 डी० डब्ल्यू० टी० वार्षिक क्षमता वाला एक शिप बिलिडग यार्ड, सिक्का (गुजरात) में स्थापित करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 29-4-1969 को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। बाद में उन्होंने सूचित किया कि यदि 10000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित है तो वे अपनी योजना में सुधार कर इससे कम के लघु आकार के पोतों का निर्माण करना चाहते हैं। चूंकि शिप बिल्डिग उद्योग को सरकारी क्षेत्र में विकसित करने के लिए आरक्षित किया गया है। अतः आवेदन को अन्तिम रूप से रद्द कर दिया गया था। कोचीन शिप यार्ड तथा विशाखापत्तनम शिपयार्ड का विस्तार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् दूसरे शिपयार्ड की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

प्रशिक्षित अन्धे व्यक्तियों को रोजगार

8526. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विभिन्न एककों में प्रशिक्षण प्राप्त अन्धे पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार देने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) 1969 में कितने अन्धे पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार दिया गया है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी तक रोजगार नहीं दिया हुआ है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:—

1. विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, रोजगार दिलाने में सहायता करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 9 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गए हैं।
2. नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून के एक भाग के रूप में एक शेल्टर्ड वर्कशाप स्थापित की गई है।

(ख) 105.

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर 31 दिसम्बर, 1969 को 768 नेत्रहीन व्यक्तियों के नाम थे।

इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयर में निवेश

8527. श्री स० चं० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को कार्य आरम्भ करने का प्रमाणपत्र कब दिया गया था;

(ख) क्या एक वर्ष पूरा होने पर कम्पनी ने अपने अन्शधारियों की सूची प्रस्तुत की है;

(ग) क्या जापान निवासी एक अमरीकी राष्ट्रक मि० सेलिक हरीसन को इस कम्पनी का एक शेयर दिया गया हैं;

(घ) क्या मैसर्स बैनट कोलमेन कम्पनी लिमिटेड के एक अधिकारी तथा मैसर्स दुर्गादास (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी डा० राम तरनेजा ने भी इस कम्पनी के शेयरों में 5,000 रुपये की पूंजी लगाई है; और

(ङ) क्या डा० तरनेजा तथा मि० हरीसन ने इस कम्पनी के स्टाक में पूंजी लगाई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मै० इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, 26–2–1969 को समामेलित हुई थी। एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने के नाते, इसके लिये व्यापार के प्रारम्भण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं था, व यह अपने समामेलन के पश्चात किसी भी समय अपना व्यापार आरम्भ कर सकती थी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार, एक कम्पनी अपनी निगमन की तिथि से 18 मास के अन्दर अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक कर सकती है। मै० इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स प्रा० लि० 26–2–1969 को समामेलित हुई थी, अत: यह 25–8–1979 तक

अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक कर सकती है। चूंकि इसने अभी तक अपनी कोई वार्षिक साधारण बैठक नहीं की है, अतः इसने अपने हिस्सेधारियों की कोई सूची नहीं दी है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) सरकार के पास, बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० के एक अधिकारी तथा दुर्गादास प्रा० लि० के हिस्सेधारी डा० राम तरनेजा द्वारा इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स प्रा० लि० को जमा में, 5,000 रु० के नियोजन की बाबत कोई सूचना नहीं है।

(ङ) श्री हरिसन के पास, 5,000 रु० के मूल्य का एक हिस्सा है। इस बाबत डा० तरनेजा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

ईरान में माल डिब्बा बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए करार

8528. श्री जो० वाई० कृष्णन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में वैगन बनाने का एक कारखाना लगाने के लिये भारत और ईरान के बीच एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)जी, नहीं।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में सरकारी उद्योग

8529. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में सरकारी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न राज्यों तथा संघ के राज्य क्षेत्रों में जिन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापित करने का विचार है उनके रूप, स्थान तथा उस पर किए जाने वाले प्रस्तावित विनियोजन के बारे में 'ड्राफ्ट फोर्थ फाइव इयर प्लान की रिपोर्ट' के पृष्ठ 253–260 पर दिया गया है। जहां तक परियोजनाओं के स्थान का सम्बन्ध है, जिसके बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया गया है, इस अवस्था में अभी यह बता सकना सम्भव नहीं है कि इनकी स्थापना कहां की जाएगी। हां, हिन्दुस्तान

मशीन टूल्स लि० ने काश्मीर घाटी में घड़ी का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है तथा सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया हिमाचल प्रदेश के पौंटा में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के मामले पर विचार कर रहा है ।

विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ एक पृथक निधि की स्थापना

8530. श्री न० रा० देवघरे : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विकलांग व्यक्तियों के सहायतार्थ एक पृथक निधि की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है, और इस उद्देश्य के लिये आय का साधन क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची तैयार करने में अपनाये गये सिद्धान्त

8531. श्री कार्तिक उरांव : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एच० एन० कुंजरू, ससद सदस्य, तथा पन्द्रह अन्य संसद सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने 15 फरवरी, 1951 को स्पष्ट रूप से यह बताया था कि 'यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि जिन आदिम जातियों को 1931 की पुरानी आदिम जातियों की सूची में तथा 1935 की पिछली आदिम जातियों की सूची में नहीं रखा गया है उनको अब भारत में "अनुसूचित आदिम जातियां नहीं समझा जायेगा;" और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने तथा तदनुसार काम करने के कारण क्या हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) इस प्रकार के उत्तर का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 342 में उपबन्धित किए अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों के राज्यपालों के साथ परामर्श करके अनुसूचित आदिम जातियों को उल्लिखित किया गया था । संसद ने 1956 में इन सूचियों का संशोधन किया था । इन सूचियों में संशोधन करने का एक विधेयक (जैसा कि उसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने भेजा है) संसद के सामने है ।

Complaint against New Delhi Railway Station Telegraph Office for non-acceptance of Telegrams in Hindi.

8532. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the complaints made against the New Delhi Railway Station Telegraph Office during some months back to the effect that some employees of the said Telegraph Office refused to entertain telegram in Hindi;

(b) whether Government have looked into the said complaints ;

(c) if so, the outcome thereof ; and

(d) the punishment awarded by Government to the guilty persons ?

The Minister of Railways (Shri Nanda). (a) to (d) . One complaint about non-acceptance of telegram in Hindi was made in the Complaint Book at New Delhi Station on 21.7.69. The complaint was enquired into and the Signaller on duty warned to be careful against similar lapses in future.

भारतीय सीमेंट निगम में हरिजन आदिवासियों के लिए पदों का आरक्षण

8533. श्री रामसिंह अयरवाल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम में हरिजन आदिवासियों के लिये स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि कोई स्थान आरक्षित किये गये हैं तो कितने प्रतिशत आरक्षित पद भरे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1 जनवरी, 1970 तक अनुसूचित जातियों । जन जातियों के प्रत्याशियों से भरे गये पदों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

	अनुसूचित जाति	जन जाति
तृतीय श्रेणी के समान पद	2,6 प्रतिशत	1,9 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी के समान पद	8,6 प्रतिशत	5,5 प्रतिशत

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकार का हटाया जाना

8534. श्री सूरज भान :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकारों को हटाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ;

(ग) इसकी जटिलताएं क्या होंगी ; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रश्न के विधिक पहलू पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों के अपंग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां

8535. **श्री मंगलाथुमाडाम** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में अनुसूचित जातियों के अपंग/विकलांग व्यक्तियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य के कितने आवेदन–पत्रों पर अभी निर्णय किया जाना शेष है; और

(ग) केरल में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) . ये छात्रवृत्तियां विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर दी जाती हैं :—

(1) असमर्थता का प्रकार ;

(2) वालदेन/अभिभावकों की आय; तथा

(3) पिछली वार्षिक परीक्षा का परिणाम ।

जाति पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही विहित किए गए आवेदन पत्र फार्म में इस बारे में सूचना मांगी जाती है । अलबत्ता, किसी भी विद्यार्थी से कोई भी आवेदन–पत्र अनिर्णीत नहीं है ।

Rehabilitation of tribals in District Sholapur.

8536. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a tribal lady, Shrimati Sonabai Lakshman Chavan, went on hunger strike at Oval Ground, Southern Bombay demanding the rehabilitation of the residents of Pandharpur, District Sholapur and after 8 days she died on the 7th April, 1970; and

(b) if so, the attitude of the Central and State Governments for the rehabilitation of the tribals ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) (a) and (b) . In 1964–65, about 32.37 hectors of

land was given by the Government of Maharashtra on eksal leas to Singla Girijan Cooperative Farming Society consisting of 100 Paradhis of which late Shrimati Sonabai Lakshman Chavan was a member. The Society unauthorisedly cut Government trees from leased and adjoining land. Society was therefore, asked to pay Rs. 1.37 lakhs towards cost of trees. Paradhis started hunger strike from 31st March 1970. The amount was reduced to Rs. 15,000 and the hunger strike was given up by Paradhis including late Sonabai Chavan on 6th April 1970 Late Sonabai felt sick and died in GT Hospital on 7th instant at 5.45 a. m. According to Hospital report, the death was due to de-hydration followed by gastro entritis. The land is still with Paradhis and they have not been evicted from land cultivated by them. The subject matter is entirely the concern of the State Government.

गुड़ में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध

8537. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गुड़ के वायदे के सौदों को वायदा बाजार (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सदस्यों द्वारा आपस में अथवा उनके माध्यम से किये जाने तक सीमित रखने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस कार्यवाही के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . वायदा बाजार आयोग के परामर्श से सरकार सम्पूर्ण मामले पर विचार कर रही है ।

Price of cold drinks.

8538. **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of cold drinks like Coca Cola, Fanta etc. range from 60 paise to 70 paise in the Cinema houses in Delhi and New Delhi ;

(b) if so, the reasons therefore ;

(c) whether Government propose to take immediate action to ensure the supply of said cold drinks at reasonable prices in the cinema houses ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) : Yes, Sir.

(b) : The reasons for higher prices in the Cinema Houses are stated to be inclusion of service and establishment charges, etc.

(c) and (d) . Since cold soft drinks are not covered under the Essential Commodities Act, the question of statutory control of prices does not arise.

Shortage of Ticket Collectors at Allahabad Railway Station.

8539. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that shortage of Ticket Collectors is being experienced at Allahabad Railway Station consequent to the increase in the number of trains passing through that station ; and

(b) if so, whether Government propose to augment the strength of Ticket Collectors there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Irregularities in Sale of Tickets and other Matters at Bhatani Station (North Eastern Railway)

8540. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum regarding irregularities in the sale of tickets and other matters at Bhatani Station of the North Eastern Railway has been submitted to Government ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No memorandum regarding irregularities in the sale of tickets at Bhatani station has been received, but a memorandum for providing cover over new goods platform at Bhatani has been received by the General Manager of North Eastern Railway.

(b) It is proposed to include this work in the Works Programme for 1970–71;

चंडीगढ़ स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर प्रतीक्षालय तथा जलपान–गृह

8541. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक बार यह आश्वासन दिया था कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अधिक प्रतीक्षालय बना कर और एक जलपान–गृह चालू करके इस स्टेशन में सुधार किया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान कैंटीन चंडीगढ़ स्टेशन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है;

(ग) क्या यह भी सच है कि काफी संख्या में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विदेशी पर्यटक यात्रा के लिए और अपने अतिथियों को विदाई देने के लिये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सुधार करने के अपने वचनों और आश्वासनों को पूरा करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (घ) . जी नहीं । लेकिन, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय, चाय की दुकान और अन्य सुविधाओं के साथ चंडीगढ़ में स्टेशन की नयी इमारत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) इस समय इस स्टेशन पर केवल एक चाय–कक्ष है जिसमें नमकीन और चाय आदि मिलती है । इस स्टेशन पर कोई उपयुक्त भोजनालय नहीं है जहां भोजन मिलता हो । चूंकि 10 सवारी, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी इस स्टेशन से खाने के समय गुजरती है, इसलिए भोजनालय की व्यवस्था करना उचित नहीं समझा जाता ।

(ग) जी हां ।

(घ) इसका उत्तर भाग (क) के उत्तर के अन्तर्गत दे दिया गया है ।

भारतीय रेलों में रेलपथ निरीक्षकों तथा सहायक रेलपथ निरीक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान

8542. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार पोर्ट कमिश्नर के अधीन काम कर रहे रेलपथ निरीक्षकों तथा सहायक रेलपथ निरीक्षकों को रेलवे के रेलपथ निरीक्षकों से और सहायक रेलपथ निरीक्षकों से बेहतर वेतनमान मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के रेलपथ निरीक्षकों तथा सहायक रेलपथ निरीक्षकों ने उन्हीं वेतनमानों की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) पोर्ट ट्रस्ट रेलों की तुलना में भारतीय रेलों पर कुछ मामलों में रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल पथ निरीक्षकों के वेतनमान अधिक हैं और कुछ मामलों में कम ।

(ख) और (ग) . इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि पोर्ट ट्रस्ट रेलों के समान कर्मचारियों की तरह, भारतीय रेलों पर भी रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन किया जाना चाहिए । सरकार, रेल कर्मचारियों सहित, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर विचार करने के लिए एक नया वेतन आयोग नियुक्त कर चुकी है और अब इस समय अलग–अलग कोटियों के वेतनमानों में संशोधन करना उचित नहीं समझा जाता ।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग

8543. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने यह मांग की है कि एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . रेल कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग या वेतन बोर्ड गठित करने का प्रश्न यूनियनों द्वारा, जिनमें आल इन्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन भी शामिल है, उठाया गया है। रेल कर्मचारियों के मामले पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और उनकी सेवा की शर्तों या वेतनमानों में परिवर्तन करने से अन्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।

रेलवे की कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मुफ्त बीमा पालिसियों का जारी किया जाना

8544. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रमिकों, गार्डों, ड्राइवरों, फायरमैनों, टिकट निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए एक हजार से पांच हजार रुपयों तक की मुफ्त बीमा पालिसी देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

छपाई के सफेद कागज की कमी दूर करने के लिए समिति

8545. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में छपाई के सफेद कागज की कमी की समस्या पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए समिति ने क्या निर्णय दिया है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या छपाई के सफेद कागज की कमी चालू मौसम से समाप्त हो जायेगी;

(घ) गत तीन वर्षों में भारत में कागज बनाने वाले प्रत्येक कारखाने ने कितने छपाई के सफेद कागज का उत्पादन किया है; और

(ङ) क्या सरकार इन कारखानों को अधिक कागज का उत्पादन करने के लिए बाध्य करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (ङ) . 17 व 18 अप्रैल, 1970 को नयी दिल्ली में तथा 23 अप्रैल 1970 को कलकत्ता में कागज के बारे में गठित तदर्थ समिति की बैठक हुई। समिति ने निम्न-लिखित निर्णय लिये जिन्हें पेपर इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड ने स्वीकार कर लिये थे :—

1. हल्के वजन वाले कागज (56 जी० एस० एम०) का उत्पादन आने वाले दो तीन मासों में देश के पेपर मिलों द्वारा अधिकाधिक किया जायेगा जिससे कि आने वाले सत्र (सीजन) में पाठ्य पुस्तकों तथा लिखित सामग्री के लिए अत्याव-श्यक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जा सकता है।
2. अगले तीन मासों में पेपर मिल प्रति मास हल्के प्रकार के कागज (56 जी० एस० एम०) की अतिरिक्त 5000 मी० टन मात्रा उपलब्ध करायेगा । यह आपूर्ति सामान्य रूप से होने वाली आशा के अतिरिक्त होगी।
3. पेपर उद्योग किस्म, अधिक मूल्य लेने, आपूर्ति की कमी तथा अन्य सम्बद्ध भ्रष्टा-चारों के बारे में तमाम उचित शिकायतों पर विचार करने के लिये कलकत्ते में अपने मुख्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा।
4. व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया कि वे उद्योग में किसी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम आवश्यक कदम उठायेंगे तथा इस सम्बन्ध में शिकायत को सुनने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे।
5. समिति की समय–समय पर बैठकें हुआ करेंगी, फिलहाल वह समय–समय पर कागज की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मासिक बैठकें करेगी तथा जहां कहीं आवश्यक होगा शिकायतों के कारणों को दूर करने के लिए उचित निर्णय लेगी।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

सूआखेड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित सीमेंट कारखाने के लिए कच्चे माल की खोज

8546. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में नीमच के निकट सूआखेडा में स्थित एक सीमेंट कारखाने के लिये कच्चे माल की खोज की थी;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की किस्स के बारे में तकनीकी रिपोर्ट क्या थी;

(ग) इस खोज पर कितना खर्च आया था;

(घ) क्रियान्वित के लिए पूरी परियोजना के तैयार होने पर भी परियोजना के शीघ्र आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार परियोजना को शीघ्र ही क्रियान्वित करेगी और उसके लिए मशीनों का आदेश देगी जिससे उस क्षेत्र में रोजगार बढ़े तथा वहां आर्थिक स्थिति में विकास हो ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट कोटि का चूने का पत्थर सूआखेडा तथा बीसलवास जो कि नीमच से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है दोनों ही में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ग) 6.22 लाख रुपये।

(घ) तथा (ङ) . माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में 24 मार्च, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3842 के भाग (ग) के मेरे उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश सीमेंट के उत्पादन के मामले में सीमेंट बहुल प्रदेश है।

केरल में मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने वाला कारखाना स्थापित किया जाना

8547. श्री मुरासोली मारन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने वाले दो या तीन कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से एक कारखाना केरल में स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने भी इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . सरकार ने ऐसे नये उद्यमियों से जो कि मोटर गाड़ी टायर तथा ट्यूबों के निर्माण के लिए नये एकक स्थापित करने के इच्छुक हैं प्रत्येक से कुल 15 लाख नग प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया था कि उन आवेदनों को वरीयता दी जायेगी जो कि अपने एकक देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना चाहेंगे इस प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दो आवेदन केरल में और 3 तमिलनाडु में क्षमता स्थापित करने के लिए हैं। यह सभी आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत के संविधान के उपबन्धों का कार्यान्वित न किया जाना

8548. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान के अनेक उपबन्धों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और उन्हें कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इन उपबन्धों के कार्यान्वित करने के मार्गोपायों का पता लगाने के लिए क्या विधि आयोग की भांति किसी आयोग की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो आयोग की नियुक्ति की कब तक सम्भावना है; और

(घ) यदि इस आयोग की नियुक्ति का कोई विचार नहीं है तो इन उपबन्धों को किस प्रकार लागू किया जाएगा ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (घ) . यह प्रश्न इतना अस्पष्ट तथा व्यापक है और इसमें नीति का इतना बड़ा प्रश्न उठाया गया है कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यदि संविधान के किसी उपबन्ध विशेष के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाए, जिससे विधि मन्त्रालय का सम्बन्ध है, तो उसका उत्तर दिया जाएगा।

अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन

8549. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात के लिये उत्पादन में वृद्धि करते हुए अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि संसाधनों को यथावत रखा जाय;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में उद्यमियों का क्या मार्गदर्शन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात करने के लिए उत्पादन की किस्म में सुधार और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे माल के निर्माण का प्रश्न निरन्तर विचाराधीन रहता है और सरकार की यह नीति रही है कि ऐसे उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये। घरेलू बाजार तथा निर्यात दोनों के लिये अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल, उपकरणों तथा फालतू पुर्जों का आयात करने में सहुलियत पहुंचाने की दृष्टि से 1970-71 की आयत नीति में कुछ राहत दी गई है। साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा, जिनमें राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, भारतीय मानक संस्था, सूती वस्त्र समिति आदि हैं, बहुत से उत्पादों की किस्म पर ध्यान रखा जाता है। कृषि विपणन सलाहकार खाद्य तथा फल उत्पादों के उत्पादन तथा उनकी किस्म को देखता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा चीनी के सम्बन्ध में मानक तैयार किये जाते हैं तथा सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं और उन्हें लागू करने का कार्य चीनी तथा वनस्पति निदेशालय द्वारा देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय इंजीनियरी संघ जैसे संघों द्वारा ऐसी वस्तुओं की उत्पादिता तथा किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी पहलू पर विचार किया जाता है जिनसे वे सम्बन्धित हैं। विभिन्न उत्पादों के किस्म स्तरों को बनाये रखने के लिए कई कानून भी बनाये

गये हैं जिनमें कुछ है—भेषज तथा प्रसाधन अधिनियम, सूती वस्त्र समिति अधिनियम, सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, 1962, तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य मिलावट को रोकने का अधिनियम और फल उत्पादों व चीनी नियन्त्रण आदेश। इसके अतिरिक्त निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, जो 1 जनवरी, 1964 से लागू हुआ है, निर्यात वस्तुओं के लिए एक व्यापक अधिनियम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कोई वस्तु का तब तक निर्यात नहीं किया जा सकता जब तक उसके साथ एक प्रमाण पत्र न हो अथवा वस्तु या पैकेज पर मान्यता प्राप्त यह चिन्ह न हो कि यह वस्तु मान्य विशिष्ट मानकों के अनुरूप है। यह प्रमाणपत्र सरकार के द्वारा उस काम के लिए विधिवत रूप से मान्यता दिये जाने पर निरीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी किये जाते हैं। निर्यात योग्य वस्तुओं के कोटि नियंत्रण और जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए इस अधिनियम में निर्यात निरीक्षण परिषद् की भी व्यवस्था की गई है। व्यवसाय और उद्योग के प्रतिनिधियों तथा विख्यात तकनीशियनों को परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया गया है। और श्रेणीकरण, प्रमापीकरण और निरीक्षण के क्षेत्र में देश के विभिन्न अभिकरणों के तकनीकी जानकर समन्वयकारी कार्य करने वाली इस परिषद में एकत्र कर दिये गये है ताकि जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण का कार्य कुशलता पूर्वक तथा वैज्ञानिक रूप से चलता रहे।

लुधियाना में बीयर बनाने के कारखाने की स्थापना

8550. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय—कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना, पंजाब में बीयर बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) उस कारखाने की क्षमता क्या होगी तथा उस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या यह कारखाना किसी विदेशी फर्म के सहयोग से स्थापित किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय—कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा—पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात प्रौद्योगिकी का निर्यात

8551. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात प्रौद्योगिकी के निर्यात को आरम्भ करने में सफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय किन-किन देशों को परामर्श दिया जा रहा है; और

(घ) यह सेवा किन परियोजनाओं के लिये दी गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्द शफी कुरेशी) : (क) और (ख) . इस्पात प्रौद्योगिकी (टैक्नालोजी) के निर्यात के मामले में अभी तक भारत शक्यता प्रतिवेदन प्रायोजना प्रतिवेदन मांग और तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने में परामर्श देने का कार्य करता है।

(ग) आजकल भारतीय परामर्श संगठन सीरिया, मिश्र, युगोस्लाविया, सिंगापुर, नाइजीरिया और पूर्वी अफ्रीका में सेवा कर रहें है।

(घ) भारतीय परामर्श संगठनों द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या इस प्रकार है :—

देश	सौंपे गए कार्य का विवरण
1	2
पाकिस्तान	सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए कराची स्टील प्रोजेक्ट के बारे में नेशनल स्टील आफ पाकिस्तान लि० को परामर्श देना।
लेटिन अमेरिका	छोटे सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की लाभदायिकता स्तर का अध्ययन। यह कार्य लेटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयोग (ई० सी० एल० ए०) द्वारा सौंपा गया था।
श्री लंका	सिलोन स्टील कार्पोरेशन के ओरूवाला, श्री लंका में इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करना।
ईरान	(क) लोहे-मिश्र कारखानों और मिश्र इस्पात कारखानों के लिए प्रतिवेदन तैयार करना।

1	2
	(ख) साधारण इस्पात, मिश्र और विशेष इस्पात की मांग के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। ये रिपोर्टें राष्ट्र संघ तैयार करवा रहा है।
थाईलैण्ड	थाई–इण्डिया स्टील कं० लि० वैकांक को नये बैलन मिल स्थापित करने के लिए इंजीनियरी सेवाएं अर्पित करना।
अर्जनटाइना	जर्मन फर्म के सहयोग से कोक ओवन प्लांट का रूपांकन करना।
मडागास्कर	एक बैलन मिल स्थापित करने के लिये अन्वेषण करना।

इनके अतिरिक्त दूसरे देशों से भी बातचीत चल रही है।

भारत के उच्च न्यायालयों के साथ सम्बन्ध सरकारी परिसमापक

8552. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों के साथ कितने सरकारी परिसमापक सम्बद्ध है तथा उनके कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं तथा उनका वेतन निर्धारित करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि उनका वेतन मनमाने ढंग से निर्धारित किया जाता है, और यदि हां तो, उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके वेतनमान अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर निर्धारित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास. आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सरकारी समापकों की संख्या = 15

कुल व्यक्तियों की संख्या	सरकारी कर्मचारी वर्ग	परिसमापित कम्पनियों को निधियों से वेतन पाने वाला कर्मचारी वर्ग
	221	268

(ख) सरकारी कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तें, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के अन्य सरकारी कर्मचारी वर्ग के ही समान हैं। इस कर्मचारी वर्ग का वेतन, वित्त मन्त्रालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किये गये नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार निश्चित किया गया है।

परिसमापित कम्पनियों को निधियों से वेतन प्राप्त कर्मचारी वर्ग, कम्पनी (न्यायालय) नियम 1956 के नियम 308 के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के अनुमोदन से नियुक्त किया जाता है। उनका पारिश्रमिक उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है।

(ग) सरकारी कर्मचारी वर्ग का वेतन, वित्त मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये गये नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार निश्चित किया जाता है। परिसमापित कम्पनियों को निधि से पाने वाले कर्मचारी वर्ग का वेतन, परिसमापन के अन्तर्गत कम्पनियों को निधियों की उपलब्धता पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है।

(घ) जहां तक सरकारी कर्मचारी–वर्ग का सम्बन्ध है, उनके वेतन–मान अन्य सरकारी कर्मचारियों के ही समान है। परिसमापित कम्पनियों को निधियों में से वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी–वर्ग, संबंधित उच्च न्यायालयों के अनुमोदन से बिल्कुल अस्थाई एवं विराम–अन्तर व्यवस्था पर लगाया जाता है। सरकार इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का वेतन मान निर्धारित नहीं कर सकती। क्योंकि इसकी स्वीकृति करने वाला प्राधिकारी, कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1956 के नियम 308 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय है।

भिलाई इस्पात कारखाने के आस पास ढ़लवां लौहे के कारखाने की स्थापना

8553. श्री दे० वि० सिंह : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भिलाई इस्पात कारखाने के आस पास लौह–अयस्क वाले क्षेत्र में ढलवां लोहे के कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी क्षमता क्या होगी और उन पर कितनी लागत आयेगी तथा अब तक इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर बिहार में चमकदार टाइलों का कारखाना स्थापित करना

8554. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार में चमकदार टाइलों का निर्माण करने वाला एक कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वहां कच्चे माल की कमी है तथा बिक्री का क्षेत्र अच्छा क्षेत्र नहीं है ।

खादी की वस्तुओं का उत्पादन

8555. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में खादी की वस्तुओं का उत्पादन उनकी बिक्री की तुलना में अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खादी की फालतू वस्तुओं का विक्रय करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल से बिड़ला समवायों के कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने पर रोक

8556. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार बिड़ला बन्धुओं द्वारा अपनी फर्मों के मुख्य कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में ले जाने पर रोक लगाने के बारे में की जाने वाली कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना हैं; और

(ग) क्या बिड़ला बन्धुओं ने उस राज्य में राष्ट्रपति के शासन को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्यनिषेध के बारे में गांधी शताब्दी सम्बन्धी स्थायी समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन

8557. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्य निषेध के बारे में गांधी शताब्दी सम्बन्धी स्थायी समिति के प्रधिनिधि मण्डल ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गई है कि सरकार मद्यनिशेध के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमति) फूलरेण गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता क्षेत्र से अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति

8558. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह उनके मन्त्रालय की नीति है कि जो अधिकारी एक क्षेत्र में लगातार 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक कार्य कर लेता है उसका अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कलकत्ता क्षेत्र में कार्य करने वाले लेखा कर्मचारियों में से अपवाद स्वरूप कितने अधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तबादले तभी किये जाते हैं जब ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होता है इस सम्बन्ध में कोई कड़ी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मगर साधारणतया महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को अनुचित रूप से लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता क्षेत्र में लेखा विभाग के अधिकारियों का बना रहना

8559. श्री ई० के० नायनार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, उप वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी कितने वर्षों से कार्य रहे हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक ने अपने पूर्ण सेवा काल में तथा रेलवे की कुल सेवा की अवधि में से कलकत्ता क्षेत्र में कितने वर्ष बिताये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Service of condition for Coal Khalasis working under contractors in Loco Shed, Danapur

8560. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Coal Khalasis work under contractors in the Danapur Loco shed and, if so, the number of such Khalasis and the amount of daily wages paid to them;

(b) whether it is also a fact that there are no prescribed conditions of service for them and, if so, the reasons therefor;

(c) whether it is further a fact that these Khalasis have presented a charter of demands and, if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

फरीदाबाद के निकट सदर्न एक्सप्रेस की मालगाड़ी के साथ टक्कर

8561. श्री दे० अमात :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंह का :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1970 को सदर्न एक्सप्रेस फरीदाबाद मुख्य स्टेशन से गुजरने के बाद मालगाड़ी के दो डिब्बों से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी; और

(ग) उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 11-4-70 को 21-40 बजे जब नं० 22 अप नयी दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस फरीदाबाद स्टेशन से गुजर रही थी, तो वह 5 माल डिब्बों से टकरा गयी जो मुख्य लाइन पर थे।

(ग) दुर्घटना का कारण जानने और उसकी जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच की गयी है।

Extension of Railway Line upto Cape Comorin

8562. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend the Railway line upto Cape Comorin in view of the religious and political importance of the said place;

(b) if so, the time by which the Railway track is likely to be completed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Updating of the earlier survey reports of 1964 for the Tirunelveli-Nagercoil-Trivandrum-M. G. rail link with an extension to Cape Comorin and fresh surveys for an alternative Broad Guage rail link are already in progress. A decision regarding its construction will, however, be taken after the surveys are completed and the results thereof become known.

Waiting Rooms and Platforms for Railway Stations

8563. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations in India where no Waiting Room has so far been constructed for the passengers;

(b) the number of Railway Stations in the country where platforms have not so far been constructed; and

(c) the time by which Government propose to make arrangements for the Waiting Rooms and Platforms on all the stations in the country ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Waiting rooms are provided for upper class passengers only at those stations, where the upper class traffic dealt with justifies the provision of the same. However, waiting halls for passengers which is one of the basic amenities to be provided at all stations (including flag stations but excluding halt stations) have yet to be provided in only 100 stations on Indian Railways out of a total of 7487.

(b) Nil.

(c) Waiting rooms are provided on a programmed basis at stations where these are considered necessary on the basis of the upper class passenger traffic dealt with, in consultation with Railway Users' Amenities Committee and according to availability of funds. As regards waiting halls, the Railway administrations have been directed to provide the same at the remaining 100 stations by 31-3-1971.

Good quality Coal for Railway Engines

8564. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Colliery awners supplying coal at places like Dhanbad etc. supply inferior quality coal as good quality coal in collusion with the Government employees and as a result thereof, the performance of Railway engines is adversely affected;

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for the testing of the coal at Mughal Sarai also apart from Dhanbad; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) and (c) Does not arise.

मैसर्स कमाडिया ब्रदर्स द्वारा नियन्त्रित उद्योग समूह

8565. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किल्लिक उद्योग समूह पर बम्बई के "मैसर्स कमाडिया बन्धुओं" का वास्तव में नियन्त्रण है;

(ख) यदि हां, तो किल्लक उद्योग समूह के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी में कमाडिया बंधुओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों पर पहले किसका नियंत्रण था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि कपाडियों ने "किलिक इन्डस्ट्रीज लि०, जो प्रबन्ध अभिकर्ता की हैंसियत से किलिक उद्योग समूह को नियन्त्रित करती है, में खुले बाजार में हिस्से खरीदने के माध्यम से सारवान हिस्सेधारिता हित प्राप्त कर लिये हैं, व इस प्रकार इस कम्पनी के नियन्त्रण में है ।

(ख) किलिक उद्योग समूह के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी में कपाडियों द्वारा हिस्सेधारिता के ब्योरे शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है ।

(ग) किलिक इन्डस्ट्रीज लि० पहले ब्रिटिश नागरिकों के नियन्त्रण में थी, जिससे कुछ भारतीय हिस्सेधारियों ने कम्पनी पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये हिस्से खरीद लिये ।

बालीगंज से बरानगर तक तथा बालीगंज से बेलघारिया तक के स्टेशनों के मासिक टिकट रखने वालों के लिये किराये में अंतर

8566. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सयालदह डिवीजन में बालीगंज से बरानगर स्टेशन तथा बालीगंज से बेलघारिया स्टेशन बरास्ता सियालदह स्टेशन तक की दूरी किलोमीटरों में कितनी कितनी है;

(ख) उपरोक्त दोनों मार्गों का मासिक टिकटों का चालू तथा प्रस्तावित किराया अलग-अलग कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि एक सी दूरी होने के बावजूद भी एक मार्ग के मासिक टिकट किराया दूसरे रूट से मासिक टिकट के किराये की अपेक्षा अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) दोनों ही मामलों में दूरी 18 किलोमीटर है।

(ख) बालीगंज से बरानगर का पहले और तीसरे दर्जे का मासिक सीजन टिकट का वर्तमान किराया क्रमशः 28 और 9 रुपये 35 पैसे हैं। बालोगंज से बैलघरिया का पहले और तीसरे दर्जे का मासिक सीजन टिकट का किराया क्रमशः 24 रुपये और 7 रुपये 40 पैसे है। इन किरायों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) मासिक सीजन टिकटों के प्रयोजन के लिए बालीगंज से बैलघरिया को एक खण्ड माना जाता है और किराया टेलिस्कोपिक दरों के आधार पर कुछ दूरी पर लिया जाता है। लेकिन बालीगंज से बरानगर को दो खण्डों अर्थात् बालीगंज से दमदम और दमदम से बरानगर पर माना जाता है। बालीगंज से बरानगर के लिए एक अन्तर-खण्डीय मासिक सीजन टिकट जारी करने के लिए इन दो खण्डों के सीजन टिकट के किरायों का अलग-अलग हिसाब लगाया जाता है और ऐसा करते समय सचूची दूरी पर टेलिस्कोपिक दरें लागू नहीं की जातीं।

Security arrangements in train for Government Cash

8567. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the special security arrangements made for carrying Government cash in the railway trains; and

(b) the arrangements made for the protection of railway employees from goondas and ticketless travellers in trains ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Government cash such as Treasure of Bank, Treasure of Mint and Treasure of State Governments carried in trains is escorted by the Armed Police of the State Governments.

Railway earnings are deposited in cash chests and carried by passenger trains under the charge of the guard.

Pay Clerks however sometimes carry by goods train money for distributing salaries to Railway employees at way side stations. R. P. F. escorts are provided for this.

(b) The Railway Police make suitable provision on important passenger trains to protect railway employees from goondas and ticketless travellers and to maintain law and order. R. P. F. assistance is given whenever special drives against ticketless travel are undertaken. R. P. F. reinforcement is also sometimes given for escorting of passenger trains on special occasions.

Demand for Decrease in Railway Freight

8568. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state whether Government are looking into the question of reducing the railway frieght keeping in view the loss to Railways in goods traffic on account of increase in road transport, and also to attract large number of persons to send their goods by Rail ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : A revised frieght structure was introduced only recently, with effect from 1-4-1970 and there is at present no proposal for a general reduction in railway freight rates.

However, reduced station to station rates are quoted in specific cases to meet road competition wherever justified.

विजयवाड़ा तथा राजामुंडुरी में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति

8569. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यालय के स्थानान्तरण, माल तथा यात्री गाड़ियों के चलने में आम वृद्धि तथा तृतीय श्रेणी में आरक्षण आरम्भ करने आदि के कारण विजयवाड़ा में तार-कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेडपाडु तथा जग्गयापालम के बीच राजामुंडुरी के रास्ते (जो कि वाल्टेयर के रास्ते होता था) तार-मार्ग में परिवर्तन करने के कारण राजामुंडुरी में यातायात बढ़ गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विजयवाड़ा तथा राजामुंडुरी में कार्य-विश्लेषण किया गया था और अतिरिक्त कर्मचारी रखने के लिये प्रस्ताव बहुत पहले दे दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) अतिरिक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रस्तावों को रोक रखा गया था, क्योंकि माइक्रोवेव और टेलीप्रिंटर सेवाएं लागू होने के फलस्वरूप कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यकताओं की ओर आगे समीक्षा करने की जरूरत थी। अब यह समीक्षा पूरी कर ली गयी है और अतिरिक्त पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव की अब जांच की जा रही है।

Departmental action against officers held responsible for irregularties by Madhya Pradesh High Court, Indore

8570. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh High Court, Indore has given its judgement in the case against Shri Narsimallu, Inspector of Works and other officers in respect of irregularities committed at Bhavani Mandi, Kota Division;

(b) if so, the names of the persons against whom the said judgement has been made; and

(c) the departmental action taken against them ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Pay Scales of Teachers in Railway Schools

8571. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have raised the pay scales of all the teachers under the Central Government with effect from the 21st December, 1967; and

(b) if so, the reasons for which the pay scales of the teachers in the Railway Department have been raised from the year 1970 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The scales of pay of Teachers in schools in Centrally administered areas have been revised by Government (Ministry of Education) from 21. 12. 1967 on the basis of Kothari Commission's recommendations.

(b) On the basis of the recommendations of the Kothari Commission as adopted by the Ministry of Education for schools in Centrally-administered areas, the scales of pay of Teachers working in Railway Schools have been revised upwards with effect from 1-5-1969 and not from the year 1970. It took some time to examine the recommendations of Kothari Commission with a view to their adoption in Railway schools and orders were given effect to as soon as decision was taken. There is no justification to implement the decision from the same date as made applicable to teachers in schools in Centrally-administered areas, as the adoption of the scales for Railway schools was not an automatic process.

Cultivation of land adjacent to Railway Medical Hospital, Kota (Rajasthan)

8572. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons engaged on behalf of the Medical Department in the cultivation of land adjacent to the Railway Medical Hospital in Kota, Rajasthan

(b) the quantity of rice and vegetables supplied to the Hospital; and

(c) the quantity of wheat likely to be produced from the said land ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Two.

(b) Rice-6 quintals
Vegetables-Worth Rs. 5/- per day.

(c) 10 quintals.

अमरीका द्वारा प्लास्टिक के पुर्जों से कारों का निर्माण

8573. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने इस वर्ष ऐसी कारों का निर्माण करने का निर्णय किया है जिसमें 300 पौंड के प्लास्टिक के पुर्जे होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी भारत में यह तरीका आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है जो कि बहुत उपयोगी होगा और जिससे देश में बड़ी दुर्घटनायें होने के अवसर कम हो जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इस बारे में अमरीकी सरकार के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है। फिर भी, हाल ही में अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है कि अमरीका में कार निर्माता इस वर्ष 300 पौण्ड के प्लास्टिक के पुर्जे लगाएंगे।

(ख) यात्री कारों में प्लास्टिक पुर्जे लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) देश में आटोमोबाइल तथा प्लास्टिक उद्योगों के वर्तमान विकास स्तर पर भारत में यात्री कारों में प्लास्टिक पुर्जों का किसी बड़े पैमाने पर प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा।

24 परगना (पश्चिम बंगाल) में सुन्दरवन क्षेत्र का विकास

8574. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुन्दरबन पश्चिम बंगाल, का एक तीन सदस्यीय दल पर 24 परगना के इस बहुत दिनों से उपेक्षित पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये एक समेकित योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर देने के लिये प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने यह कहा था कि वहां लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सम्भावनायें हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त स्थानों का पता लगाने तथा उस क्षेत्र के लोगों के लाभार्थ वहां कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मुरादाबाद-चंदौसी-अलीगढ़ यात्री गाड़ी के तीसरे दर्जे के यात्रियों को मझौला बहजोई (उत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच लूटा जाना

8575. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च–1 अप्रैल, 1970 की रात को मुरादाबाद चंदौसी-अलीगढ़ यात्री गाड़ी के तीसरे दर्जे के यात्रियों को रिवाल्वर, खन्जर, छुरों और लाठियों से लैस छः डाकुओं ने मझौला और बहजोई के स्टेशनों के बीच लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ यात्री महिलाओं का शील भंग किया गया और यात्रियों की नकदी और जेवरात चुरा लिये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है;

(घ) यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल में सुधार करने के लिए क्या उपाय उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सुरक्षा पुलिस के लिये आरक्षित रेल के डिब्बों का दुरुपयोग किया जाता है और उस आरक्षित डिब्बे में अतिरिक्त धन लेकर यात्रियों को जगह दी जाती है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) महिला यात्रियों का शीलभंग किये जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक यात्री से जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था, कलाई घड़ी, नकदी और उसकी पत्नी के जेवर जिसका मूल्य 5000 रु० था, छीन लिये गये ।

(ग) जी हां ।

(घ) गाड़ियों में यात्रियों की जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व और साथ ही गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था का काम एक अपराध ड्यूटी है जो राज्य पुलिस/राज्य रेलवे पुलिस का उत्तरदायित्व है। फिर भी, कार्य साधकता के उपाय स्वरूप व्यावहारिक होने पर सरकारी रेलवे पुलिस को रेलवे सुरक्षा दल की टुकड़ियां भी दी जाती है ताकि उनका प्रबन्ध सुदृढ़ हो सके। रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जाता है ।

(ङ) राज्य रेलवे पुलिस के लिए कोई डिब्बा आरक्षित नहीं किया जाता, इसलिए यात्रियों को दी गयी सीटों के लिए अतिरिक्त धन वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Non-payment of arrears to employees of Office of Divisional Superintendent, Allahabad (Northern Railway)

8576. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether there is any such employee in the Divisional Superintendent's Office Allahabad who has not so far been paid the arrears of difference in pay for the period from 1st January, 1947 to 23rd March, 1947 on the implementation of the-recommendations of First Pay Commission ;

(b) if so, the name of the said employee and the reasons for not paying him the arrears so far ; and

(c) the time by which he is likely to be paid the said arrears ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) . The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha in due course.

Re-imbursement of tuition fees to Railway employees of offices under Divisional Superintendent, Allahabad

8577. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount of tuition fee for the Childern of many employees working in the offices under the Divisional Superintendent, Allahabad, has not

been reimbursed to them for the periods from July, 1967 to September, 1967 and from July, 1969 to December, 1969 ;

(b) if so, the number of such employees ;

(c) the reasons for not making payment of the tuition fee to the said employees so far ; and

(d) the time by which the said tuition fee is likely to be reimbursed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Number of employees in whose favour tuition fees have not been re-imbursed is as under :-

Period	No. of employees
(i) July, 1967 to September, 1967.	23
(ii) July, 1969 to December, 1969.	58

(c) Reimbursement of tuition fee could not be arranged due to late and incorrect submission of bills by the staff concerned.

(d) By the end of May, 1970.

उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

8578. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेनोग्राफर की 130--300 रुपये से 210--425 रुपये के ग्रेड में पदोन्नति के लिए हाल में किये गये चयन में अनेक रिक्त स्थानों को शामिल न किये जाने के बारे में संसद में पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों तथा विभिन्न अधिकारियों को भेजे गये अर्ध-सरकारी पत्रों के उत्तरो में दिये गये विभिन्न आश्वासनों को पूरा करने में उत्तर रेलवे प्रशासन तथा रेलवे बोर्ड असफल रहे हैं जिसके अनेक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी तालिका में आने से वंचित हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में समाज कल्याण कार्य

8579. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामाजिक कार्य समाज के दुर्बल वर्ग के लिए सेवा का साधन बनने की बजाय समाज के कुछ उच्च वर्गों के लोगों के लिए एक फैशन मात्र बन रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों और अन्य गन्दी बस्तियों तथा दूसरे स्थानों में जहां समाज कल्याण कार्यों की आवश्यकता है, की सरकार तथा सामाजिक कार्य में लगे गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायः उपेक्षा की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की समाजवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के समाज कल्याण कार्यों को नया मोड़ देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग) . साधनों की सीमाओं को देखते हुए दिल्ली में समाज कल्याण सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इस मामले में किसी क्षेत्र के प्रति भेदभाव नहीं बर्ता जाता है ।

दिल्ली के लिये परिवहन सुविधायें तथा वृत्ताकार रेलवे

8580. श्री बलराज मधोक : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये वृत्ताकार रेलवे की योजना को अन्ततोगत्वा स्थगित कर दी गई है और उसके स्थान पर दिल्ली के लिये एवाइडिंग लाइन की योजना स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक पटरी होने, उपरिपुल तथा विद्युतीकरण न होने के कारण इस रेलवे का दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में नाममात्र का अंशदान है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली की जनसंख्या 40 लाख तक पहुंच चुकी है और परिवहन की वर्तमान सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त हो गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राजधानी में परिवहन की स्थिति में सुधार करने के लिये रिंग रोड को पूरा करने तथा उस पर बिजली से चलने वाली रेल तेज उपनगरीय ट्राम चलाने के लिये कार्यवाही करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . दिल्ली परिहार लाइनें तथा सम्बन्धित यातायात सुविधा योजना, हाल ही में पूरी की गई है और यातायात के लिए खोली गयी है । यद्यपि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नयी दिल्ली और दिल्ली जंकशन के भीड़-भाड़ वाले यार्डों से गये बगैर सीधा माल यातायात करना था लेकिन इसे यात्री यातायात के लिये खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इसका विनिश्चिय परियोजना के अनेक महत्वपूर्ण ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण पूरे हो जाने पर किया जायेगा । विद्युतीकरण के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब टूण्डला दिल्ली खण्ड का विद्युतीकरण हो जाये और बिजली दिल्ली तक पहुँच जाये ।

(ग) से (ङ) . दिल्ली महानगर क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन योजना आयोग द्वारा गठित परिवहन दल कर रहा है । इस दल के निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद रेलवे के भाग का सर्वेक्षण जिसमें व्यापक दुत परिवहन प्रणाली भी शामिल है, रेलवे द्वारा हाथ में लिया जायेगा ।

दिल्ली में रेलवे भूमि का सर्वेक्षण और दिल्ली स्थित रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

8581. श्री बलराज मधोक : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे भूमि का जिस पर रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण अनाधिवासी कब्जा किये हुए हैं अथवा कर रहे हैं, कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो क्या रेलवे भूमि तथा सम्पत्ति के समुचित संरक्षण के लिये ऐसा सर्वेक्षण किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से रेलवे कर्मचारियों को इसलिए रिहायसी आवास नहीं मिला है कि उनके लिये क्वार्टर बनाने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो अनाधिवासियों से रेलवे भूमि खाली करवाने और उस पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें ब्यौरा बताया गया है। लेकिन ये अतिक्रमण रेल प्राधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही के कारण नहीं हुए बल्कि लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से और जबरदस्ती कब्जा कर लिये जाने के कारण हुए हैं।

विवरण

क्रम सं०	बस्तियां	क्वार्टरों की कुल सं०
1	2	3
1.	मिंटो रोड	516
2.	एम० के० रोड	16
3.	गैस फैक्टरी	23
4.	सलीम गढ़	42
5.	मोर सराय	24
6.	लोको शेड, काश्मीरी गेट	48
7.	बंगला नं० 101	16
8.	श्री राम रोड	7
9.	दिल्ली जं० रेलवे अस्पताल	10
10.	हेमिल्टन रोड	23
11.	तीस हजारी	22
12.	मोतिया बाग	10
13.	सब्जी मण्डी	75
14.	शक्ति नगर	38

1	2	3
15.	राणा प्रताप बाग	168
16.	हार्डिंग ब्रिज रेलवे कालोनी	23
17.	हरि नगर आश्रम (हजरत निजामुद्दीन)	92
18.	दिल्ली किशनगंज	211
19.	दया बस्ती रामजस हिल	955
20.	ओखला (हरकेश नगर सहित)	19
21.	शकूर बस्ती	425
22.	आजादपुर	77
23.	तुगलकाबाद	52
24.	धोला कुआं	127
25.	दिल्ली सराय रोहिल्ला, किलो मीटर 3/7–10	92
26.	दिल्ली सराय रोहिल्ला बस्ती	41
27.	दिल्ली क्वीन्ज रोड हेमिल्टन रोड	27
28.	दिल्ली क्वीन्ज रोड	28
29.	दिल्ली क्वीन्ज रोड टोकरी वाला कालोनी	6
30.	दिल्ली छावनी रेलवे कालोनी	12
31.	पालम रेलवे कालोनी	1
	जोड़	3232

(ग) और (घ) . रेल कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के प्रश्न का अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को हटाये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को भूमि से हटाने का काम दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और इस मामले में तत्परतापूर्वक इनसे लिखा पढ़ी की जा रही है।

Bridge over Narmada River in Onkareshwar (Madhya Pradesh)

8582. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have urged upon the Central Government to make a provision in the Fourth Five Year Plan for the construction of a bridge over the Narmada river in Onkareshwar ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इटारसी भुसावाल सेक्शन में हरसुद पर वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना

8583. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी भुसवाल सेक्शन में हरसुद (मध्य प्रदेश) में वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ी के हाल्ट की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : जी, हां ।

(ख) 1–4–1969 से 27 डाउन 28 अप बम्बई वाराणसी एक्सप्रेस को हरसुद स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

Closure of III Class Passenger Lavatory on the side of Banapura Railway Station (Central Railway)

8584. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the III Class passengers' lavatory on the other side of Banapura Railway station (Central Railway) has been closed for the last many days as a result of which all the passengers are using the lavatory meant for the 1st Class passengers ;

(b) whether it is also a fact that on the said station the board pointing towards the 1st Class passengers' lavatory does not contain any notice to the effect that the lavatory is meant only for the upper class passengers ; and, if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the wells of the said stations become dry particularly in summer season and they cannot cater to the needs of the Railway employees and passengers and these employees and the passengers are supplied with unfiltered water from a nallah which is stagnant ;

(d) whether it is also a fact that complaints were made many a time in this regard but to no effect ; and

(e) if so, whether Government propose to take some action in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Due to misuse by outsiders of the lavatory block on the Dn platform this has been closed and the passengers now use the lavatory block on the up platform, which is meant for all passengers and not exclusively for upper class passengers.

(b) Does not arise.

(c) The yield of water in the station well drops during summer season, and on such occasions the second well located by the side of the river, where the water comes by percolation, requiring no filteration, is utilised. There is also a third well by the side of the nallah which is only used in grave emergency and that too for meeting the unfiltered water requirements.

(d) There have been no complaints on this account.

(e) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियों का निर्माण

8585. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती)फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) . ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जावेगा ।

मध्य रेलवे में रेलवे दुर्घटनाएं

8586. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में गत वर्ष कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये तथा जख्मी हुए और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) क्या जान अथवा माल के नुकसान के लिये मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1969–70 के दौरान मध्य रेलवे पर टक्कर, पटरी से उतरने, गाड़ियों के समपारों पर सड़क यातायात से टकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की कोटि की 105 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 10 व्यक्ति मरे तथा 25 घायल हुए । रेल सम्पत्ति को लगभग 21,22,322 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) . एक रेल कर्मचारी, जो ड्यूटी पर मर गया था, के मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत, 10,000 रुपये की रकम प्रतिकर आयुक्त के पास जमा की गयी थी । फिर भी, भारतीय रेल अधिनियम और दुष्कृति नियम के अन्तर्गत अब तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ।

राजस्थान के लिये बी० पी० चादरों का कोटा

8588. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे तथा इस्पात की कमी वाली चादरों अर्थात् बी० पी० चादरों, जी० पी० चादरों तथा जी० सी० चादरों का राजस्थान राज्य को जो आवंटन किया गया है वह उसकी आवश्यकता से कम पड़ता है और राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा राजस्थान सरकार का यह अनुरोध स्वीकृत न किये जाने के कारण कई पुनर्वेलन मिलों को मजबूरी में बंद होना पड़ा है ;

(ग) क्या इन मिलों की कठिनाइयों को देखते हुए तथा राजस्थान का औद्योगिक रूप से विकास करने के लिये क्या केन्द्र शीघ्र ही अपेक्षित कोटा आवंटित करेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क), (ग) और (घ) . इस समय देश में इस्पात की विशेषत: चादरों, प्लेटों और तार छड़ जैसे माल की सामान्य कमी है अत: इन पर आश्रित उद्योगों की मांग की पूरी मात्रा में पूर्ति नहीं की जा सकती है । राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रेषणों के पिछड़ने विशेषत: इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा प्राथमिकता दी गई वस्तुओं के प्रेषण के पिछड़ने के सम्बंध में लिखा है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि काली सादी चादरों, जस्ती सादी चादरों और जस्ती नालीदार चादरों के न मिलने से राजस्थान में किसी पुनर्वेलन मिल को मजबूरन बंद करना पड़ा है ।

रेलवे के चल टिकट निरीक्षकों को वेतनमान देना

8589. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के चल टिकट निरीक्षकों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . जी हां । एक विवरण (अनुबन्ध "क") संलग्न है जिसमें दूसरे वेतन आयोग ने चल टिकट परीक्षकों के लिए जिन वेतन मानों की सिफारिश की थी वे वेतनमान और 1-7-1959 से इन कर्मचारियों को नियत किये गये वेतन मान दिखाये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3410/70]**

Expenditure Incurred on Gazetted officers of Indian Railways and Railway Board.

8590. **Shri Naraynan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of the Gazetted officers in the offices of the Indian Railways their Headquarter offices and in the Railway Board, separately, and the total amount of expenditure incurred on them during the year 1969-70 together with the percentage thereof tc the total Railway budget ;

(b) the total amount of expenditure incurred on the air-conditioned offices for officers during the year 1969-70 ;

(c) the total number of the Officers on all the Railways and in the Railway Board provided with air-conditioned saloons during the year 1969-70 along with the number of the said saloons and the total expenditure incurred on them ;

(d) whether there is any proposal to ensure that the air-conditioned saloons are not misused by the Officers ; and

(e) if so, by what time and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (e) . The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Measures to Avoid Collisions of Trains

8591. Shri Narayan Swarcop Sharma : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to make some arrangement to provide a 'last stop signal' on the Railway lines from the safety point of view, so as to stop the trains from entering the station on those lines where other trains are already standing as most of the accidents generally occur when an incoming train collides with the standing train ;

(b) whether Government propose to issue orders to the effect that arrangements should be made to ensure that the green signal does not appear for the incoming train when a train is already standing at the station and that as soon as a train enters the station the green signal automatically changes into a red one ; and

(c) if so, by when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) 'Last Stop Signal' is provided to control movement of trains leaving the station and proceeding to next station, and not to govern the entry of trains coming into the station. The question of providing 'last stop signal' to prevent reception of a train into a station on a line which is already occupied by another train, therefore, does not arise. Such movement of trains into the station lines is controlled by reception signals.

(b) and (c) . Provision of track circuits on the running lines at a station prevents clearing of a reception signal for receiving an incoming train on a line which is already occupied by another train. This also ensures that a signal automatically goes back to 'ON' as soon as the train for which it was cleared enters the reception line. It is the accepted policy of the Railways to provide track circuits on passenger running lines at all stations on trunk routes and main line routes and at important junction on branch lines. However, in view of the very large investment involved, this work will perforce have to be carried out in phases. In the first phase, as a matter of priority, track circuits are being provided on a programmed basis, on run through lines at stations on trunk routes where trains run at high speeds.

संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचक लड़ने के लिये निर्धन लोगों को सहायता

8592. श्री यशपाल सिंह : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धन वर्गों को संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचन लड़ने के लिये वित्तीय सहायता देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप–मंत्री (श्री मु० यूनुम सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाणिज्यिक शाखा के रेलवे निरीक्षकों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

8593. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में केन्द्रीय श्रम न्यायालय ने 1969 में निर्णय दिया था कि वाणिज्यिक शाखा के रेलवे निरीक्षकों को समयोपरि भत्ता दिया जाये ;

(ख) क्या रेलवे के अन्य वाणिज्यिक कर्मचारियों ने भी जोनल रेलों को अपना अभ्यावेदन दिया था और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे की अथवा अन्य जोनल रेलों को इस सम्बन्ध में हिदायतें दी थीं और यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड के आदेश उक्त श्रम न्यायालय के निर्णय की भावना के विरुद्ध हैं ; और

(ङ) उक्त निर्णय के अनुसार कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कुछ वाणिज्यिक निरीक्षकों द्वारा दायर की गयी याचिका बम्बई में श्रम न्यायालय के न्यायाधीन है और न्यायालय ने मामले का अभी फैसला नहीं किया है ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के कुछ कर्मचारियों ने, लेकिन वाणिज्यिक निरीक्षकों ने नहीं, हाल में समयोपरि के भुगतान के लिए अभ्यावेदन दिया है और रेल–प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है ।

(ग) से (घ) . जी नहीं ।

(ङ) सवाल ही नहीं उठते ।

भीलाखंड़ी यार्ड से इटारसी स्टेशन को भेजी गई सागौन की लकड़ी के लट्ठों की चोरी

8594. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री भी लाखेड़ी यार्ड से इटारसी स्टेशन को भेजी गई सागौन की लकड़ी की चोरी के बारे मे 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2361 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय खाली वेगन उपलब्ध थे जब बाक्स वेगन प्रयोग में लाये गये और क्या इन बक्सों को उतारने में क्रेन को चार दिन लग गये थे ;

(ख) क्या शहतीर खंडवा भेजे गये थे और इटारसी में वापिस लाये गये तथा नीलाम किये गये ;

(ग) क्या किसी शहतीर पर निशान पड़े हुए थे ;

(घ) इन शहतीरों के ढोने, बाक्स वैगनों के रुकने, चढ़ाने–उतारने, स्थान शुल्क, विलम्ब शुल्क आदि के रूप में कुल कितना व्यय हुआ और नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ङ) क्या इन अनियमितताओं तथा हानि के लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। क्रेन तीन दिन इस्तेमाल किया गया था, चार दिन नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ)

कुल ढुलाई प्रभार	3280.00 रुपये
विलम्ब प्रभार	23556.00 रुपये (लगभग)
लादने/उतारने और क्रेन का प्रभार	4656.00 रुपये
नीलामी से प्राप्त रकम	9640.00 रुपये

(ङ) जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कर्रवाई की जा सके।

पार्सल गाड़ियों तथा माल गाड़ियों को इटारसी स्टेशन से दूर रोक लेना

8595. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी में स्थान न होने के कारण पार्सल गाड़ियां तथा माल गाड़ियों को डलारिया तथा पावरखेडा स्टेशनों पर रोक दिया जाता है ;

(ख) क्या इटारसी में स्थान न होने के कारण चारों ओर से आने वाली यात्री गाड़ियों को इटारसी के साथ वाले स्टेशनों पर अथवा दूर के सिगनलों के पास रोक दिया जाता है ;

(ग) क्या माल गाड़ियों को 4 से 6 घंटे तक रुकना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कैसे कहा जाता है कि इटरासी में पर्याप्त लाइन क्षमता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इटारसी जंकशन से थोड़ा पहले सवारी/माल गाड़ियों को कभी–कभी उस स्थिति में रोक लिया जाता है जब अनेक गाड़ियां लगभग एक ही समय इकट्ठी आ जायें अथवा जब कोई दुर्घटना हो जाये अथवा परिचालन सम्बन्धी कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो जाये।

(ग) माल गाड़ियों को 4 से 6 घटे तक रोकने के अवसर बहुत कम आते हैं।

(घ) इटारसी यार्ड में इस समय आने–जाने वाली माल/सवारी गाड़ियों के लिए आदान और प्रस्थान की वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इटरासी

से पहले गाड़ियों को केवल कभी-कभी ही रोका जाता है जब कोई ऐसी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

जनता के दावों के निपटारे में विलम्ब के कारणों सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशें

8596. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा जनता के दावों को निपटारों में विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिये श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की गई थी और क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और क्या इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(घ) क्या वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों के पद का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, और यदि हां, तो मध्य तथा पश्चिम रेलवे द्वारा उक्त सिफारिश पर अमल न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . 'क्षतिपूर्ति के दावे' के लिए अन्य बातों के साथ क्षतिपूर्ति के दावों के निपटारे में बिलम्ब के कारणों की जांच करने के लिए 1 अगस्त, 1969 को एक व्यक्ति (श्री आर० बी० लाल) की विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति ने अपना काम 29-4-1970 को पूरा कर लिया।

(ग) इस समिति के विचारों और सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण (अंग्रेजी के साथ संलग्न है।) में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3411/70**] चूंकि समिति की रिपोर्ट 29-4-1970 को पेश की गयी है, इसलिए अभी सिफारिशों पर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(घ) इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गयी है इसलिए, मध्य और पश्चिम रेलों द्वारा इनके क्रियान्वित न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Cases Pending Against Companies Under Companies Act 1956.

8597. Shri Deven Sen : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of the Companies against whom cases are pending for the last three years under the Companies Act, 1956; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) . Information is being collected and will be laid on the. Table of the House.

Consequences of Drinking

8598. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any programme to acquaint the public with the grave consequences of drinking ;

(b) if so, the details there of ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt) Phulrenu Guha) : (a) Prohibition being a State subject, it is for the State Government to chalk out-programmes for acquainting the public with the consequences of drinking. The Government of India have brought out few documentaries showing ill effects of drinking and are also giving grants-in-aid to All India Prohibition Council for doing educational propaganda in various ways in favour of prohibition.

(b) and (c). Do not arise.

Civil Code for Certain Religion.

8599. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the names of the religions in the country for whose followers Government have formulated a Civil Code after the attainment of freedom ;

(b) the reasons for which no Civil Code has been formulated for the followers of the remaining religions and they have been kept out of the ambit of social justice ; and

(c) the extent to which the failure in formulating a common Civil Code is in consonance with the policy of secularism ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) After the attainment of freedom a Code of personal laws was formulated for Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.

(b) The remaining minority communities are governed by their respective personal laws. However, a common Civil Code has not yet been enacted for all the citizens as there is no uniformity of views among the different sections of the society.

(c) Want of a Common Civil Code is not considered to be inconsistent with the policy of Secularism ?

गोथी कोया कोंडा कोया, डोलीकोया, कट्टी कापू, कम्मारा, वाजुलू, मन्नीडोरा एजेंसी बाल्मिकि और कोंडा मालु को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

8600. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 दिसम्बर, 1969 को नेस्ता समाज, जिला विशाखापत्तनम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या सरकार ने गोथी कोया, कोंडा कोया, डोली कोया, कट्टी कापू, कम्मारा, वाजुलू-मन्नी डोरा, एजेंसी बाल्मिकि कोंडा माला तथा उनके समवर्गी नाम कोंडा पेडी, कोंडा डोंबु, कोंडा जनजम, कोंडा कुम्मारी, यूरिया, जादिया, दूलिया ; मुसारी को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने पर विचार किया है ;

(ग) क्या अनुसूचित आदिम जाति से ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को सामान्य अनुसूचित आदिम जातियों के समान स्तर पर समझा जाता है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को पट्टा देने के बारे में कोई निदेश जारी किये हैं और क्या वे इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार के आदेशों से भिन्न हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा : (क) नेस्ता समाज, विशाखापत्तनम से एक अभ्यावेदन दिनांक 3 दिसम्बर, 1969 को प्राप्त हुआ है ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभी हवालों पर विचार किया गया है ।

(ग) हां ।

(घ) आंध्र प्रदेश मुट्टा (उन्मूलन तथा रेयतवारी में परिवर्तन) विनियम, 1969 तथा आंध्र प्रदेश मोहाला (उन्मूलन तथा रेयतवारी में परिवर्तन) विनियम, 1969 के लिए राष्ट्रपति की अनुमति भेजते समय यथाविधि औपचारिक संशोधन करके विनियमों का संशोधन करने के हेतु उपयुक्त अगली कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ आलोचन किए गए थे ।

Revision of grades of Assistant Permanent Way Inspectors

8601. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Grades of the Assistant Permanent Way Inspectors are being revised ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the time by which the said Grades would be revised ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : The existing scale of Rs. 205-280 for Assistant Permanent Way Ins-pectors is based on the recommendation of the Second Pay commission for allied categories of staff and is considered commensurate with the duties and responsibilities attach to the posts. Government have since appointed a new pay commission to make recomme-ndations on the principles which should govern the structure of emoluments and condi-tions of service of Central Government employees including Railway employees. Therefore, it would not be appropriate to consider revision of scales of pay of individual cate-gories of staff at this stage.

Disparity between percentages on certain posts on North Eastern Railway

8602. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) the percentage of Telegraph Clerks, Train Clerks and Commercial Clerks to the categorised posts on the North Eastern Railway and the percentage of Ticket Collectors and the Travelling Ticket Inspectors to the said posts ;

(b) whether it is a fact that there is much disparity between the said two percentages ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to remove this disparity ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) statement giving the percentages laid down by the Railway Board is attached. (Annexure A). **[Placed in Library See No. L.T. 3412/70].**

(b) to (d). As the duties and responsibilities, pay structure as well as channel of promotion of each of these categories are different, it is not possible to adopt a uniform percentage distribution of posts in various grades for all these categories of staff.

Railways Accidents on North-Eastern Railway

8603. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place during the last six months on the North Eastern Railway ;

(b) the number of persons killed and injured as a result of the said accidents ;

(c) the extent of loss to the Railway property in the said accidents ; and

(d) the number of accidents enquired into and the number out of them of those which took place on account of human failure and departmental lapses separately ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1. 10. 69 to 31. 3. 70 there were 29 train accidents in the-categories of collisions, derailments, trains running in-to road traffic at level crossings and fires in trains on the North Eastern Railway.

(b) In these accidents 7 persons were killed and 29 injured.

(c) The cost of damage to railways property was estimated at approximately Rs.2,71,087/-.

(d) All the 29 accidents were enquired into and 21 cases have been finalised. Twelve of these cases were due to failure of railway staff and 1 due to failure of railway equipment. No accident was attributable to departmental lapses.

Railway accidents on Eastern Railway

8604. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place during the last six months on the Eastern Railway ;

(b) the number of persons killed and injured as a result of the said accidents ;

(c) the extent of loss to the Railway property in the said accidents ; and

(d) the number of accidents enquired into and the number out of them of those which took place on account of human failure and departmental lapses separately ?

The Minister of Railway (Shri Nanda): (a) During the period 1. 10. 69 to 31. 3. 70 there were 24 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Eastern Railway.

(b) In these accidents 4 persons were killed and 39 injured.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 6,16,232/-.

(d) All the 24 accidents were enquired into. Fourteen of these cases were due to failure of railway staff and 3 due to failure of railway equipment. No accident was attributable to departmental lapses.

Railway Accidents on Central Railway

8605. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place during the last six months on the Central Railway ;

(b) the number of persons killed and injured as a result of the said accidents ;

(c) the extent of loss to the Railway property in the said accidents ; and

(d) the number of accidents enquired into and the number out of them of those which took place on account of human failure and departmental lapses separately ?

The Minister of Railway (Shri Nanda): (a) During the period 1. 10. 69 to 31. 3. 70 there were 53 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Central Railway.

(b) In these accidents 10 persons were killed and 11 injured.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 19,82,392/-.

(d) All the 53 accidents were enquired into and enquiries into 50 accidents have been finalised. Of these 50 cases, 30 were due to failure of railway staff and 8 due to failure of railway equipment. No accident was attributable to departmental lapses.

लेखा विभाग, मध्य रेलवे के कर्मचारियों का दक्षिण मध्य रेलवे में स्थानान्तरण

8606. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के लेखा विभाग के कितने कर्मचारियों ने, श्रेणीवार, दक्षिण मध्य रेलवे में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है और तदनुसार अब तक कितने कर्मचारी स्थानान्त-

रित किये गये है और मध्य रेलवे में अभी कितने कर्मचारियों को स्थानान्तरण आदेश दिये जाने हैं ; और

(ख) रेलवे बोर्ड मध्य रेलवे के लेखा विभाग के उन शेष कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रहा है जो दक्षिण मध्य रेलवे में जाना चाहते हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिये क्या ठीक तिथि निश्चित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) विकल्प देने वालों की संख्या 228
(कोटिवार वितरण सलग्न विवरण में दिया गया है।)
स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की संख्या 30
स्थानान्तरित न किये गये कर्मचारियों की संख्या 198

विवरण

क्रम सं०	विकल्प देने वालों की कोटि	विकल्प देने वालों की संख्या
1–	सीनियर अकाउण्टेंट	18
2–	सीनियर आई० एस० ए०	2
3–	जूनियर अकाउण्टेंट	42
4–	जूनियर आई० एस० ए०	6
5–	सब–हैड	22
6–	ए० एस० वी०	14
7–	स्टेनो	6
8–	टाइपिस्ट	5
9–	सी० जी० 1	82
10–	सी० जी० 2	23
11–	गेस्ट आपरेटर	1
12–	दफतरी	2
13–	चपरासी	2
14–	हम्माल	3
	जोड़	228

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार विकल्प देने वाले सभी कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के लिये बाध्य नहीं है।

जयपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के बुकिंग क्लर्कों को आरोप-पत्र देना

8607. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) के लगभग 20 बुकिंग क्लर्कों को कठोर दंड देने के लिये आरोप-पत्र दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक कर्मचारियों को दंड दिये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है, और कर्मचारियों को क्या दंड दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत पहले से कर्मचारी अपनी शिकायतें पेश कर रहे हैं परन्तु अब तक प्रशासन ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : जयपुर के 15 बुकिंग क्लर्कों (20 नहीं) को हल्का दण्ड देने के लिए अनुशासन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी क्योंकि बार-बार हिदायत देने के बावजूद उन्होंने मासिक विवरणी नहीं भेजी थी जिसे वे पहले भेजा करते थे। 13 मामलों में चेतावनी दे दी गयी है और शेष दो मामले विचाराधीन हैं।

कर्मचारियों के इस अनुरोध का औचित्य नहीं पाया गया कि विवरणी तैयार करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी दिये जायें। लेकिन, जहां औचित्य है वहां समयोपरि कार्य की अनुमति है। और किसी कठिनाई के बारे में अभ्यावेदन नहीं आया है।

रतलाम स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को ज्ञापन दिया जाना

8608. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक से रतलाम स्टेशन पर मिला था जबकि वे 12 मार्च, 1970 को वहां गये थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन दिया गया था,

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . महाप्रबन्धक के वार्षिक निरीक्षण के दौरान, कुछ खंडीय यूनियनों ने मंडल अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया जो कि महाप्रबन्धक के नाम था।

(ग) मांग यह थी कि प्रशासन के साथ वार्ता करने के लिए इन यूनियनों के लिए औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व की सरणि की व्यवस्था की जाये।

(घ) चूंकि ये मान्यताप्राप्त यूनियनें नहीं हैं, इसलिए ऐसी किसी सरणि की अनुमति नहीं दी जा सकती ; विविध कोटियों के आधार पर गठित यूनियनों को मान्यता देने का भी विचार नहीं है।

भारतीय रेलवे में नियुक्त टाइपिस्ट

8609. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में, जोनवार कुल कितने टाईपिस्ट कार्य कर रहे हैं ;

(ख) कितने टाइपिस्टों ने लिपिक संवर्ग के लिये अपना विकल्प दिया है ; और

(ग) कितने टाइपिस्टों को वास्तव में लिपिक संवर्ग में लिया गया है और कितने टाइपिस्टों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं और उन कार्यालयों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे टाइपिस्ट कार्य कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) से (ग) इस तथ्य को देखते हुए कि सूचना सभी क्षेत्रीय रेलों के सम्बन्ध में मांगी गयी है अपेक्षित विस्तृत सूचना इकट्ठी करने में जो श्रम और समय लगेगा वह कदाचित उपलब्ध परिणामों के अनुरुप नहीं होगा। लेकिन यदि यह सूचना किसी रेलवे के किसी मण्डल विशेष के सम्बन्ध में अपेक्षित हो तो इकट्ठी करके दे दी जायेगी।

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लिपिक संवर्ग के मामले में कार्यान्वयन

8610. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की है कि रेलवे में कार्य कर रहे टाइपिस्टों को लिपिक संवर्ग में विलय किया जाये क्योंकि भारत सरकार के किसी अन्य विभागों और स्टेट बैंक आफ इंडिया, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और सचिवालयों में कोई अलग संवर्ग विद्यमान नहीं है।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूसरे आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार अब टाइपिस्टों के संवर्ग को, जो कि भारतीय रेलवे के लिपिक संवर्ग का एक छोटा संवर्ग है और जैसे कि रेलवे के लिये सिफारिश की गई थी, विलय करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें 450 रुपये से 575 रुपये (ए) ग्रेड तक की पदोन्नति के अच्छे असर प्राप्त हो सकें, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) जी हां।

(ख) प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण टाइपिस्टों के संवर्ग को लिपिक संवर्ग में विलय करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी नहीं, फिर भी टाइपिस्टों को सेवा के पांच वर्षों के भीतर अपने विकल्प से लिपिक वर्ग में जाने की अनुमति है और यदि वे अपना संवर्ग बदल देते हैं, तो वे लिपिक संवर्ग में 130-300 रु०. 210-380 रु०, 325-425 रु०, 350-475 रु० और 450-575 रु० के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं। वे 130-300 रु० के ग्रेड में स्टेनोग्राफर होने के भी पात्र हैं और इससे उच्चतर ग्रेडों जैसे 210-425 रु० और 380-530 रु० के ग्रेड में पदोन्नति पाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों, सेवा की शर्तों आदि की समीक्षा करने के लिए एक वेतन आयोग नियुक्त किया है। इसलिए इस अवस्था में किसी कोटि विशेष की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं समझा जाता।

जगाधरी (उत्तर रेलवे) के निकट पट्टे पर दी गई रेलवे की भूमि

8611. श्री सूरज भान : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगाधरी रेलवे यार्ड (दिल्ली डिवीजन) के उत्तर की ओर की लगभग 5,000 वर्ग गज रेलवे भूमि गत लगभग 14 वर्षों से प्रति वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दी जाती है जो किसी प्रकार से भी रेलवे से सम्बन्धित नहीं है और कि ऐसा करना रेलवे संहिता (इन्जीनियरिंग विभाग) के अध्याय 8 के पैरा 813–क का उल्लंघन करना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्ति ने वहां पर चिराई मिल (स्थायी निर्माण) स्थापित की हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस गलत कार्य को ठीक करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जगाधरी स्टेशन पर मैसर्स सम्पूर्ण सा मिल्स को 6500 वर्ग गज रेलवे की भूमि सामान के चट्टे लगाने के लिए दी गयी है। इस पार्टी ने इस भूमि पर एक ढांचे के रूप में एक सा मिल खड़ा किया है जिसे अस्थायी निर्माण माना गया है। चूंकि पट्टे के करारनामे और इंजीनियरिंग संहिता के पैरा 813–क की शर्तों के अन्तर्गत अस्थायी निर्माण की अनुमति है। इसलिए वर्तमान अदेशों का उल्लंघन नहीं होता।

(ग) सवाल नहीं उठता।

उत्तर भारत में फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों की मांग

8612. श्री नंजा गौडर : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में मैसर्स ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित फर्ग्यूशन ट्रैक्टरों की उत्तर भारत में बहुत मांग है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन अच्छे ट्रैक्टरों का प्रयोग उत्तर में भी हो तथा इन्हें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध किया जा सके क्योंकि चोर बाजारी किये ऊंचे मूल्य पर बेचे जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कृषि उद्योग निगम, मद्रास को कोई निदेश जारी किये गये हैं।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) समूचे देश में मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों की मांग है। देश के शेष भागों की अपेक्षा उत्तर भारत में मांग सबसे अधिक है। वर्ष 1969 में बनाये गये मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों का काफी प्रतिशत भी उत्तर भारत में बेचा गया था।

(ख) ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1967 के अन्तर्गत देशी ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य को निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप कोई विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता है।

(ग) जी, नहीं।

बिलपुर स्टेशन (उत्तर रेलवे) को लूटा जाना

8613. श्री राम किशन गुप्ता : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकुओं ने 14 मार्च, 1970 को उत्तर रेलवे के बिलपुर रेलवे स्टेशन को लूटा था; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार कीहानि हुई और उसका ब्योरा क्या है तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). बताया जाता है कि 13/14–3–1970 की रात को पांच डाकुओं ने पिस्तौल और छुरे दिखाकर स्टेशन की आमदनी लूट ली जो 2482 रु० 30 पैसे थी। इस घटना में कोई मरा नहीं और न घायल हुआ। इस सम्बन्ध में 22–4–1970 को मुरादाबाद की रेलवे पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। 14–3–1970 को बरेली जंक्शन पर रेलवे पुलिस में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत अपराध नं० 54 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच अभी चल रही है।

बिहार सरकार द्वारा नियुक्त मधोलकर जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप संसद सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता

8614. श्री रा० की० अमीन : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मधोलकर आयोग ने किसी व्यक्ति को संसद् सदस्य अथवा विधान सभा का सदस्य बनने के लिये अयोग्य ठहराने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) और (ख). जी हां । बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मधोलकर जांच आयोग के प्रतिवेदन में से एक उद्धरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मधोलकर जांच आयोग के प्रतिवेदन में से उद्धरण ।

× × × ×

सिफारिश

किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी ने किसी भी स्तर पर एक मन्त्री के रूप में कार्य किया हो कुछ अवधि तक के लिये किसी भी निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने के लिये अयोग्य ठहराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाये ।

(क) जिसने जानबूझ कर या अपनी चूक से राज्यकोष को हानि पहुंचाई हो, या

(ख) जो राज्य अथवा किसी व्यक्ति के अहित में प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का सामान्यतया उल्लंघन करता हो, या

(ग) जिसे किसी न्यायालय या जांच आयोग ने भ्रष्टाचार के लिए या किसी अन्य तरीके से स्वार्थवृद्धि करने के लिए दोषी पाया हो या जो ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें उसे दिलचस्पी है, अनुचित तरीके से आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ पहुंचाता है, या

(घ) जो जानबूझकर अपने पद की शपथ या गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करता है, या

(ङ) जो एक ऐसी सरकार के जिसका कि वह खुद सदस्य है पतन के लिए उत्तरदायी बनता है और जो एक ऐसी सरकार को, जिसमें वह स्वयं एक मन्त्री था, अपदस्थ करा के अपने इस योगदान के एवज में अनुवर्ती सरकार में कोई पद ग्रहण करता है ।

(ग) सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

Memorandum by Switchmen-Cabin Men-Levermen Association of Eastern Railway Zonal Unit.

8615. Shri Ramavatar Shastri : Will the Ministr of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Switchmen-Cabinmen-Levermen Association of the Pooravi Railway Zonal Unit had submitted a memorandum to him during his visit to Patna on the 4th April, 1970;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Governmet have since looked into the said memorandum; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) The demands of the Association include the recognition of the union besides improvement of service conditions such as revision of existing grades of pay, avenue of promotion, need for measures to avoid stagnation of staff etc.

(c) and (d). So far as the question of recognition to this union is concerned it is stated that as a policy such category-wise associations are not eligible for recognition. In regard to the other demands, a Pay Commission has been appointed who will examine the conditions of service of these categories of employees among others.

Memorandum submitted by Danapur Branch of Indian Railways Signal and Tele-Communications to Divisional Superintendent

8616. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Danapur Branch of the Department of the Indian Railways Signal and Tele-communications, has submitted a memorandum to their Divisional Superintendent;

(b) whether it is also a fact that a copy of the said memorandum was also sent to him;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reactions of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

1 अप कालका मेल (भूतपूर्व हावड़ा) का दिल्ली में देर से पहुंचना

8617. रामावतार शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में 1 अप कालका (भूतपूर्व हावड़ा) एक घंटा देर से कितनी बार दिल्ली पहुंची ;

(ख) क्या यह सच है कि यह गाड़ी मार्च, 1970 में कई बार दिल्ली देर से पहुँची और विशेष कर 8 मार्च, 1970 को यह लगभग एक घंटा देर से पहुँची क्योंकि इस गाड़ी में एक केन्द्रीय मंत्री यात्रा कर रहे थे और उनके प्रशंसकों द्वारा उनका प्रत्येक स्टेशन पर अभिनन्दन किया जाता रहा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस गाड़ी पर दोपहर की भोजन व्यवस्था सेवाएं आधे घंटे के पश्चात ही बन्द कर दी गई थीं, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी अतिप्रतिष्ठित व्यक्ति का सत्कार करने में व्यस्त थे और कई यात्रियों को बड़ी कठिनाई हुई थी और इसके फलस्वरूप उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि अति-प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा गाड़ी से यात्रा करते समय यात्री जनता को ऐसी कठिनाई न हो ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जनवरी से मार्च, 1970 तक की तीन महीने की अवधि में, 1 अप डाकगाड़ी दिल्ली स्टेशन पर कुल 14 बार 1 घंटे या इससे अधिक देरी से पहुँची ।

(ख) मार्च, 1970 में यह गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर 18 बार देर से पहुँची। 8–3–70 को यह गाड़ी कई कारणों से, जिनमें वातानुकूल डिब्बे में खतरे की जंजीर का खींचा जाना भी शामिल है, 40 मिनट देर से पहुँची। केन्द्रीय मंत्री के अभिनन्दन के कारण गाड़ी को विलम्ब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) जी नहीं। 8–3–70 को 1 अप हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल में दोपहर का भोजन सुबह 11 बजे से दिया जाना प्रारम्भ हुआ और बिना किसी व्यवधान के 14–30 बजे तक दिया जाता रहा। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिये भोजन की सामान्य सर्विस रोकी नहीं गयी ।

(घ) सवाल नहीं उठता।

भिखारी गृह

8619. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने भिखारी गृह हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने भिखारी हैं ; और

(ग) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण संलग्न है। (विवरण) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3413/70]**

(ख) हाल में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 1961 की जनगणना रिपोर्ट में आवारा तथा भिखारियों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3413/70]**

(ग) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए कार्य गृहों तथा भिखारी गृहों में कपड़ों की सिलाई, कपड़ों की धुलाई, बेकरी, कपड़ों की बुनाई, मुद्रण, खिलौने बनाने इत्यादि विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि भिखारी गृहों से छुट्टी पाने के बाद वे लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें।

औद्योगिक संस्थानों में आग लगने की घटनाएं

8620. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक संस्थानों में आग की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये गये हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनसे आग की घटनाओं में कहां तक कमी हुई है ; और

(घ) 14 अप्रैल, 1970 को राष्ट्रीय दमकल सेवा दिवस का मनाया जाना कहां तक सफल हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों को औद्योगिक सुरक्षा योजना के अधीन लाया गया है और ऐसे उपक्रमों के लिये अग्नि शमन अभ्युपाय निकाले गये हैं। सुरक्षा, परामर्शदाता इसके कार्यान्वयन का सुनिश्चत करता है और वह यह देखने के लिये कि अग्निशमन कक्ष आग के समय कैसे काम करता है कभी कभी इसके पूर्वाभ्याम की व्यवस्था भी करता है। आग बुझाने की सेवाओं के प्रतिमान तय कर लिये गये और प्रत्येक संयंत्र मे अग्निशमन योजना उन पर आधारित की गई है। प्रतिमान सामान्यत: यह है :—

(1) प्रत्येक संयंत्र में नियमित अग्निशमन सेवा स्कंध होगा और उसकी संख्या संयंत्र की आवश्यकतानुसार होगी।

(2) अग्निशमन सेवा स्कंध का प्रमुख एक प्रशिक्षित तथा अनुभवी अग्नि अधिकारी होगा।

(3) आवश्यक स्थानों पर अपेक्षित संख्या में अग्निशमक रखे जायेंगे।

(4) अग्निशामक उचित प्रकार के होंगे और उनका समय समय पर इस उद्देश्य से परीक्षण किया जायेगा कि वह पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं।

(5) बड़े संयंत्रों में अग्निशमन दल रखे जायेंगे और आवश्यक जलोत्सारियों की व्यवस्था की जायेगी।

(6) शीघ्र आग पकड़ने वाली सामग्री को संयंत्र में ध्यानपूर्वक चौकसी से रखा जायेगा और उन्हें उन वस्तुओं से पृथक रखा जायेगा जिससे आग लगने का भय हो।

(7) कर्मचारियों में अग्नि के प्रति जागरुकता का संचार किया जायेगा और साविधक अग्नि प्रदर्शन भी किये जायेंगे।

(8) अग्नि बुझाने के अन्य विविध अभ्युपाय।

(ग) इस समय हमारे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु यह कहा जा सकता है कि उपक्रमों में शायद ही अग्नि की वारदात हुई हो और किये गये अभ्युपायों से अग्नि की वारदातों को कम करने में उल्लेखनीय सहायता मिली है।

(घ) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल, 1970 को संलग्न विवरण में उल्लिखित ढंग से मनाया गया था और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह आयोजन सफल रहा।

विवरण

विगत वर्षों की भांति अग्नि शमन सेवा दिवस इस बार भी समूचे देश में 14 अप्रैल, 1970 को मनाया गया था ताकि अग्नि कांडों को रोकने के लिये जनता में जागरूकता का संचार किया जाये।

2. प्रतिवर्ष एक विशिष्ट विषय को प्रधानता दी जाती है और 14 अप्रैल, 1970 का विशिष्ट विषय उद्योगों में अग्नि कांडों की रोक था। उपयुक्त विज्ञापन जिनमें विषय का दिग्दर्शन कराया गया था छपवाये गये और उन्हें राज्य सरकारों को प्रदर्शनार्थ प्रेषित किया गया था। इसी प्रकार उपयुक्त चित्रों तथा आग रोकने के संकेतों को दिखाने वाली पत्रिकाएं भी छापी गइ थो और उन्हें सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया गया था।

3. राज्य सरकारों को 14 अप्रैल, 1970 से एक सप्ताह पूर्व स्थानीय चल चित्र गृहों में प्रदर्शनार्थ उपयुक्त सिनेमा स्लाइड तैयार कराने का परामर्श दिया गया था।

4. 14 अप्रैल, 1970 को अग्निरोध और विशेषकर उद्योगों में अग्निरोध सम्बन्धी लेखों वाले परिशष्ठ विभिन्न समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर में छापे गये थे। राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश दिये गये थे कि वह स्थानीय अग्नि शमन सेवाओं को परामर्श दें कि वे जनसाधारण की भलाई के लिये अग्नि रोध तथा अग्निशमन पर भाषण मालाओं तथा प्रदर्शनों का आयोजन प्रमुख स्थानों पर करें। उन्हें इस बात का अनुरोध किया था कि वह उस दिन अग्मिशमन केन्द्रों पर रोशनी करें।

5. आकाशवाणी से भी अनुरोध किया गया था कि वह देश में अपने विभिन्न केन्द्रों से अग्नि के खतरों तथा अग्निशमन सम्बन्धी छोटे रूपकों का प्रसारण करें।

6. डाक तार विभाग ने 'अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल की विशिष्ट मोहर का प्रयोग देश के प्रमुख डाकघरों में 1 अप्रैल, 1970 से 14 अप्रैल, 1970 तक किया था।

7. इस दिवस के आयोजनों की न्यूज रील भी तैयार की गई है और इसे देश भर के छविगृहों में प्रदर्शित किया जायेगा।

8. राज्य सरकार के तत्वावधान में औद्योगिक नगर बम्बई में अग्निरोध तथा अग्निशमन के विशिष्ट प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था और अग्नि रोधण तथा अग्निशमन सेवाओं के प्रयोजनों के महत्व की ओर जनसाधारण के ध्यान को केन्द्रित करने हेतु इसका खूब प्रचार किया गया था। वर्ष 1969 में इस प्रकार का प्रदर्शन कलकत्ता में किया गया।

9. इसके अतिरिक्त दिल्ली में इसका प्रसारण टेलीविजन से भी किया गया था। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संगीत तथा नाट्य प्रखण्ड ने दिल्ली के अग्निशमन केन्द्रों में एक नाटक खेला और इस दिवस के महत्व को दिखाने के लिये जनता को भी आमंत्रित किया गया। अग्नि-रोधक संकेतों के पर्चे दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में विमानों से गिराये गये।

10. अग्निशमन सेवा दिवस के पिनों से लगाये जाने वाले झण्डे अग्निशमन सेवा दिवस पर देश भर में बेचे गये थे और उनसे होने वाली आय का प्रयोग अग्निशमन सेवा कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा मृत अग्निशमन कार्यकर्ताओं के लाभ के लिये किया जाता है।

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच डीलक्स रेलगाड़ियों के साथ जोड़े जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बों की दशा

8621. **श्री समर गुह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा तथा नई दिल्ली के बीच चलने वाली डीलक्स रेल गाड़ियों के साथ अन्य रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे प्रायः जोड़ दिये जाते हैं ;

(ग) क्या ये डिब्बे प्रायः गन्दे रहते हैं और इनमें रात को कोई परिचर नहीं होता हैं तथा मुगलसराय और भाभा स्टेशनों के बीच इनमें सफाई कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं होती है ;

(ख) प्रथम श्रेणी के डिब्बे अधिकांशतः अन्त में अथवा इंजन के साथ जोड़े जाते है ;

(घ) क्या इसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के यात्री तथा इन डीलक्स रेलगाड़ियों में प्रायः यात्रा करने वाले संसद सदस्यों को भोजन कार तथा डिब्बों के बीच गलियारे से वंचित रखा जाता है जिससे उन्हें परोसे जाने वाला भोजन, चाय तथा नाश्ता ठंडा हो जाता है और उन्हें मन मर्जी के भोजन तथा उचित सेवाओं से वंचित रखा जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगी कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि भोजन कार तक गलियारे की सुविधा उपलब्ध रहे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं। केवल जब डीलक्स वातानुकूल एक्सप्रेस रेल का नियमित गलियारेदार सवारी डिब्बा खराब हो, तभी उसकी जगह सवारी डिब्बा कारखाने में बना पहले दर्जे का कोई दूसरा सवारी डिब्बा लगाया जाता है।

(ख) जी नहीं। इन डिब्बों को समुचित रूप से साफ किया जाता है और इनमें डिब्बा परिचरों की व्यवस्था रहती है। मुगलसराय और भाभा के बीच उन सभी स्टेशनों पर इन डिब्बों में सफाई आदि के लिये सफाई वाले भी तैनात किये जाते हैं जहां यह गाड़ी रुकती है।

(ग) और (घ). डीलक्स रेक के सभी सवारी डिब्बों में 400/110 वोल्ट ए० सी० बिजली के तार लगे हैं जिनसे गाड़ी के अन्त में लगे जनित्र-यानों से बिजली सप्लाई होती है। जनित्र यानों के केवल एक ओर ही गलियारा होता है। गाड़ी की इस रचना में जब नियमित सवारी डिब्बा खराब होता है तो उसकी जगह लगाये जाने वाले डिब्बे को अनिवार्यतः गाड़ी के अन्त में लगाना पड़ता है क्योंकि उनमें 25 वोल्ट डी० सी० बिजली के तार लगे होते हैं।

ऐसे अवसरों पर यात्रियों से भोजन आदि के आर्डर पहले से ले लिये जाते हैं और उन्हें ट्रे में भोजन आदि परोसा जाता है और धूल से बचने के लिए उसे समुचित रूप से ढका जाता है। यह भोजन यथासम्भव गर्म ही परोसा जाता है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे कि जहां तक हो सके, वातानुकूल डीलक्स रेल का पहले दर्जे का नियमित सवारी डिब्बा ही लगाया जाये जिससे यात्रियों को असुविधा न हो।

महाराष्ट्र में नए उद्योगों की स्थापना

8622. श्री न० रा० देवघरे : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किये गये नये उद्योगों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) इन दोनों क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निकट भविष्य में कौन कौन से नये उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) नये उद्योगों में आरम्भ होने से रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्लेटफार्म टिकट लेकर रेलवे प्लेटफार्मों पर जाने के सम्बन्ध में नियम लागू करना

8623. श्री न० रा० देवधरे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लेटफार्म टिकट लेकर रेलवे प्लेटफार्मों पर जाने के नियम को देश में कई छोटे तथा मध्यम रेलवे स्टेशनों पर लागू नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) जी हां । जिन छोटे स्टेशनों पर यात्री यातायात अधिक नहीं होता, उनके प्लेट फार्मों पर बिना प्लेट फार्म टिकट के प्रवेश की अनुमति है ।

(ख) छोटे स्टेशनों पर यात्रियों के अलावा प्लेटफार्मों पर प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या नाम–मात्र होती है, इसलिए प्लेटफार्म टिकट लेकर प्रवेश करने पर मजबूर नहीं किया जाता और गाड़ियों के आने जाने के समय ड्यूटी पर तैनात, सम्बन्धित रेल कर्मचारियों द्वारा प्लेटफार्म पर प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और जिन स्टेशनों पर औचित्य होता है, प्लेटफार्म टिकट लागू किये जाते हैं ।

गांधीधाम के सफाई कर्मचारियों (क्लीनरों) द्वारा पश्चिम रेलवे के महा–प्रबन्धक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना

8624. श्री जि० मो० विश्वास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांधी धाम में डीजलीकरण करते समय भर्ती किये गये सफाई कर्मचारियों (क्लीनरों) ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को हाल में कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मुख्य शिकायत यह है कि भाप और डीज़ल संवर्गों को मिलाकर एक कर देने के कारण कुछ कर्मचारियों को क्लीनर के रूप में परावर्तित कर दिया गया है।

(ग) 12–10–64 तक मूल डीजल क्लीनर को, 12–10–64 को यथावर्तमान मूल डीज़ल संवर्ग (एन०बी०एल०) में पदोन्नति देकर शंटर के स्तर तक के मूल डीज़ल कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गयी है। उन्होंने अपने परावर्तन के विरुद्ध न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है और यह मामला न्यायाधीन है।

पश्चिम रेलवे में 'सी' गार्डों के ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारित करना

8625. श्री भोलानाथ मास्टर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'सी' गार्डों के ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नत कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये यदि कोई मूल सिद्धान्त हैं, तो वे क्या हैं;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे में इन दोनों श्रेणियों की परस्पर वरिष्ठता इन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जिन पदों को आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, उनमें अराजपत्रित कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता निश्चित करने की कसौटी पदोन्नत होने वाले कर्मचारी के मामले में पदोन्नति की तारीख है और सीधी भर्ती वाले कर्मचारी के मामले में उस पद पर कार्यभार सम्हालने की तारीख है लेकिन शर्त यह है कि क्रमशः पदोन्नत होने वाले और सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता में कोई व्यतिक्रम न हो। जिन मामलों में पदोन्नत होने वाले और सीधी भर्ती कर्मचारी उस पद पर एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो एक के बाद दूसरे को रखा जाना चाहिये लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों कोटियों की पहले से निर्धारित पारस्परिक वरिष्ठता में कोई व्यतिक्रम न हो।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नहीं उठता।

जोन के सामान्य तथा यातायात वरिष्ठ यूनिटों के लेखा विभागों में ग्रेड एक के क्लर्क

8626. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री नम्बियार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे के प्रत्येक जोन में लेखा विभाग के ग्रेड 1 के कुल कितने क्लर्क सामान्य लेखा वरिष्ठता यूनिट तथा यातायात लेखा वरिष्ठता यूनिट में, अलग अलग कार्य कर रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जोन में ग्रेड 2 के यातायात तथा सामान्य लेखा वरिष्ठता यूनिट क्लर्कों की पदोन्नति

8627. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री के० रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन ;

क्या **रेलवे** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में यातायात लेखा वरिष्ठता यूनिट में ग्रेड 2 के श्रेणीवार कुल कितने अर्हता प्राप्त तथा अनर्ह क्लर्क हैं;

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन में सामान्य लेखा वरिष्ठता यूनिट में ग्रेड 2 के श्रेणीवार कुल कितने अर्हता प्राप्त तथा अनर्ह क्लर्क हैं; और

(ग) उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एपेंडिक्स II ए परीक्षा, 19 70 में उत्तीर्ण हुए ग्रेड II के क्लर्क

8628. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में 1970 में हुई एपेंडिक्स II ए परीक्षा में ग्रेड II के कुल कितने क्लर्क बैठे ; और

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन में उक्त परीक्षा में कुल कितने रेलवे कर्मचारी उत्तीर्ण हुए ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण सलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3414/70]**

पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय में फालतू कर्मचारियों की समाविष्टि

8629. **श्री उमानाथ :**
श्री पी० एस्थास :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय में फालतू कर्मचारियों को खपाने का मामला कई वर्षों से विचाराधीन है ;

(ख) क्या एक वर्ष से अधिक समय से सदा यही उत्तर दिया जाता रहा हैं "यह मामला विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका अन्तिम रूप से निर्णय कब किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . 1965 में यांत्रिकरण के कारण दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के इतर लेखा कार्यालय में 117 पद फालतू हो गये। यद्यपि इस कार्यालय तथा दिल्ली स्थित दूसरे कार्यालयों में रिक्त अन्य पदों से समायोजन करने के बाद, सम्बन्धित कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित न होने देने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, फिर भी दिल्ली स्थित इतर लेखा कार्यालय में 19 फालतू कलर्क अभी भी काम कर रहे हैं सितम्बर, 1969 में, पश्चिम रेलवे से दिल्ली स्थित इतर लेखा कार्यालय में क्लर्क के पदों का सृजन करने और उन पर उपर्युक्त फालतू क्लर्कों को लगाने का एक प्रस्ताव मिला था, जिसकी जांच की जा रही है। बहुत शीघ्र ही कोई विनिश्चय किया जायेगा।

रेलवे मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मौन धारण करने के घंटों का पालन करना

8630. श्रीमती सुशील गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमनी :

क्या **रेलवे** मन्त्री दिल्ली स्थित इतर यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) तथा अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालय में मौन धारण करने के घंटों के बारे में 9 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल पश्चिम रेलवे के कुछ कार्यालयों में प्रतिदिन लगभग दो घंटों के लिये कर्मचारियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उनके अपने मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से इन आदेशों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . कार्य-कुशलता सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों की सुविधा के लिए केवल पश्चिम रेलवे के कुछ कार्यालयों में, कार्य के सामान्य समय में, प्रतिदिन लगभग दो घंटों के लिये, इधर उधर फिरने पर पाबन्दी लगाने के आदेश मान्यता प्राप्त यूनियनों की सलाह से जारी किये गये हैं। इन आदेशों को रेल मंत्रालय के कार्यालयों में भी लागू करना आवश्यक नहीं समझा गया।

त्रिचूर रेलवे कुली संघ द्वारा ज्ञापन

8631. श्री अ० कु० गोपालन : **श्री प० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिचूर रेलवे कुली संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उनकी मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

त्रिचुर रेलवे पोर्टर्स यूनियन द्वारा की गयी मांगें

(1) "लाइसेंसदार पोर्टर" नाम बदलकर "रेलवे पोर्टर" कर दिया जाये और उन्हें रेल कर्मचारी माना जाये।

(2) एक पोर्टर का न्यूनतम वेतन पचास रुपये निर्धारित किया जाये।

(3) पोर्टरों को वर्दी के रूप में तीन कमीजें और तीन पगड़ियां प्रतिवर्ष दी जाये।

(4) सिर के फी बोझे की दर 30 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे कर दी जाये।

(5) प्रति ट्राली असबाब की दर 90 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये कर दी जाये।

(6) पोर्टरों और उनके परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, आवास संबंधी सुविधाएं और मुफ्त यात्रा की रियायत दी जानी चाहिये।

(7) पोर्टरों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता दी जाये और रेल सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित पदों के लिये उन्हें वरीयता प्रदान की जाये।

(8) रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत बंजर जमीन देते समय पोर्टरों को वरीयता प्रदान की जाये।

(9) पोर्टरों को निर्वाहनिधि और उपदान योजनाओं के लाभ भी दिये जाने चाहिये।

(10) यात्रियों की सुविधा के लिये पोर्टरों को 6 ट्रालियां दी जानी चाहिये।

(11) 1968–69 और 1969–70 के लिये वर्दियों की सप्लाई।

(12) दो महीनों तक की गयी लदाई-उतराई के काम के लिये भुगतान।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

पूर्व रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों, भिश्तियों) की छुट्टी तथा वर्दी सम्बन्धी सुविधाएं फिर से देना

8632. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने पूर्व रेलवे के कलकत्ता स्थित मुख्यालय में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों, भिश्तियों आदि) को कुछ सुविधाएं (छुट्टियां) फिर से दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वर्दी की सुविधा अभी तक नहीं दी गई; है और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार जल्दी निर्णय करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . इस कोटि के कर्मचारियों को कार्यालयों में नियुक्त अन्य कर्मचारियों के समान मानकर इन्हें छुट्टियों का लाभ देने के लिए सितम्बर 1969 में हिदायत जारी की गयी थी ।

(ग) और (घ) . 1955 में नियुक्त की गयी विभागीय वर्दी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1963 में रेल कर्मचारियों की वर्दियों का मानकीकरण किया गया था । इन आदेशों के अनुसार सफाई कर्मचारियों और भिश्तियों सहित अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विशिष्ट कोटियों को वर्दी पाने का पात्र बना दिया गया था । 1966 में, किफायत के उपाय के रूप में, इन आदेशों के प्रवर्तन को आस्थगित कर दिया गया ।

यह उल्लेखनीय है कि मार्च, 1969 में एक दूसरी विभागीय वर्दी समिति नियुक्त की गयी । समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है ।

पूर्व रेलवे के मुख्यालय के अधीन कर्मचारियों का स्थायीकरण

8633. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में पूर्व रेलवे के मुख्यालय के अधीन 1958 से कार्य कर रहे लगभग 20 व्यक्तियों को स्थायी नहीं बनाया गया है यद्यपि वे स्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । लेकिन इन पदों पर अन्यत्र काम करने वाले व्यक्तियों का लियन है ।

(ख) कर्मचारियों की पुष्टि के लिए जिस सीमा तक हो सकता है, अस्थायी पदों को स्थायी किया जा रहा है ।

उत्तर रेलवे के चार बाग, लखनऊ स्थित इंजन वाले कारखाने में रिक्त स्थायी स्थानों पर नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी रुप से रखना

8634. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1968 को 10 नैमित्तिक मजदूर उत्तर रेलवे के चार बाग, लखनऊ स्थित इंजन कारखाने में 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 5 अप्रैल 1968 तथा 6 अप्रैल, 1968 को एक तालिका बनाई गई थी और 28 अप्रैल 1968 को परिणाम घोषित किया गया था और इन मजदूरों को साक्षात्कार के लिए जून, 1969 में बुलाया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मजदूरों को योग्य घोषित किया गया था और उन्हें डाक्टरी परीक्षा के लिए भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन सबको रिक्त स्थानों पर न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रेकमेन की अनुपस्थिति में लुमडिंग हैडक्वार्टर के गार्डों की कठिनाइयां

8635. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग हैडक्वार्टर के गार्डों को ब्रेकमेन के बिना 3 अप/ 4 डाऊन आसाम मेल और 201 अप/ 202 डाउन कचार मेल का काम करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन गाड़ियों में ब्रेकमेन के बिना 2 मिनट ठहरने के अल्प समय में गाड़ी के अगले हिस्से में पेटियां उतारने और चढ़ाने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उन गार्डों को केवल गाड़ी की सुरक्षा की देखभाल करने के लिये मुक्त रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . 3/4 असम मेलऔर 201/202 गुवाहाटी सिलचर सवारी गाड़ियों में कोई ब्रेकमेन तैनात नहीं किया गया क्योंकि इन गाड़ियों में ढोये जाने वाले पार्सल पैकेजों की संख्या बहुत कम होती हैं और इन गाड़ियों के गार्ड बिना कठिनाई के उन पैकेजों को सम्हाल सकते हैं ।

3/4 असम मेल अपेक्षाकृत काफी लम्बी गाड़ी है । इसमें दो गार्डों की व्यवस्था होती है और पार्सल पैकेजों को दूसरा गार्ड आसानी से सम्हाल सकता है ।

मालदा और कटिहार डिवीजनों (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के गार्डों को स्थायी बनाना

8636. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मालदा तथा कटिहार डिवीजन के कुछ रेलवे गार्डों को उनकी सेवाओं में स्थायी नहीं बनाया जा रहा है यद्यपि उनको इस वर्ग में कार्य करते हुए 6 वर्षों से अधिक समय हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थायी गार्डों की सूची डी० एस० के० आई० आर० द्वारा सितम्बर, 1963 में परिचालित की गई थी;

(ग) संगचल कर्मचारियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में कौन-कौन सी मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अन्य बातें हैं; और

(घ) यदि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार डिवीजन के रेलवे गार्डों को गार्ड के पद पर 6 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने पर भी स्थायी नहीं किया जा रहा है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) कटिहार डिवीजन में, मालदा सहित, गार्डों की कुल स्वीकृत संख्या 259 है जिसमें से छः वर्ष से अधिक की सेवा वाले केवल 24 गार्डों को 130–225 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के प्रारम्भिक ग्रेड में स्थायी नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं। 1963 के बाद कटिहार डिवीजन में दस बार गार्डों को स्थायी करने के आदेश जारी किये गये हैं।

(ग) अन्य कर्मचारियों की तरह रनिंग कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी रिक्त पदों की उपलब्धता और अन्य निर्धारित कसौटियों के पूरा होने पर निर्भर है।

(घ) जहां कहीं औचित्य है, प्रशासन द्वारा अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिए कार्रवाई की जा रही है और पात्र कर्मचारियों को उन पदों पर स्थायी किया जायेगा।

तिनसुकिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के मरियानी के गार्डों को बकाया राशि भुगतान न किया जाना

8637. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिनसुकिया डिवीजन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मरियानी के एक गार्ड को 14 अक्तूबर, 1965 के बी. आर. संख्या 925 की 441 रुपये और 4 मई, 1967 को बी. आर. संख्या 189 की 841 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बकाया राशि वाले बिल वर्ष 1964 की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के जनरल मैनेजर (पी) ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डी० सी० एस०/डी० बी० आर० टी० को अपने 17 मई, 1969 के पत्र संख्या डब्ल्यू बी/एच० क्यू०/टी० 335 में इस मामले के निपटान के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित की थी और वह भी बीत चुकी है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग). के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस मामले के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . जी हां।

(घ) बिना और बिलम्ब किये, मामले को तय करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

पश्चिम बंगाल से उद्योगों को हटाना

8638. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष श्री ए० के० जैन ने कलकत्ता में हाल ही में एक सम्मेलन में बताया था कि लगभग आधी दर्जन राज्यों ने कारखानों को पश्चिम बंगाल से

हटा कर उनके राज्यों में लगाने के आकर्षक प्रस्ताव वाणिज्य मंडल को प्रस्तुत किये हैं और कुछ राज्यों ने तो इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए कलकत्ता में सम्पर्क कार्यालय भी खोल दिये हैं;

(ख) क्या उनका वक्तव्य तथ्यों की दृष्टि से सही है;

(ग) यदि हां, तो जिन राज्यों ने इस सम्बन्ध में वाणिज्य मण्डल को लिखा है, उनके नाम क्या हैं, और इस सम्बन्ध में इन राज्यों द्वारा रखे गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में कोई कारखाना पश्चिम बंगाल से इन राज्यों को स्थानान्तरित किया जाने वाला है; और

(ङ) कारखानों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . 13-4-70 को कलकता में संवाददाता सम्मेलन में इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष श्री ए० के० जैन ने जो कहा बताया जाता है उसके बारे में 14 अप्रैल, 1970 की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति सरकार के ध्यान में आ चुकी है। इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं कहा गया है जिसने पश्चिमी बंगाल से उद्योगों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव चैम्बर के समक्ष रखा हो।

(ङ) सरकार की नीति तो एक राज्य से दूसरे राज्य में औद्योगिक उपक्रमों के स्थानान्तरण को हतोत्साहित करने की रहती है। केवल दोनों सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारों पर सोच विचार करने के पश्चात दृढ़ तकनीकी आर्थिक आधार पर स्थानान्तरण की बात पर विचार किया जा सकता है।

Collision of Toofan Express with a compartment at Patna Station.

8639. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some persons were killed and many others injured recently at Patna Station in a collision between the Toofan Express bound for Delhi and a compartment standing on the line;

(b) if so, whether a Station Master and other employees of Patna Station have been absconding after that accident;

(c) whether Government have made enquiries about the causes of the accident; and

(d) if so, the conclusions arrived at in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) In the collision which occurred at Patna station on 17-4-70 no one was killed. However 16 persons were injured of whom one sustained grievous injuries.

(b) It is reported that the Assistant Station Master and the Leverman absconded after being released on bail by Government Railway Police, Patna.

(c) and (d) . The accident has been enquired into by a Committee of Railway Officers and their report is awaited.

रेलवे हाई स्कूल खुरदा रोड के लिए चारदीवारी और प्रयोगशाला उपकरण

8640. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को इस बात का पता है कि रेलवे हाई स्कूल खुरदा रोड की कोई चारदीवारी, सांझा कमरा नहीं है और न प्रयोगशाला में कोई उपकरण हैं;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात का पता है कि अपर्याप्त फर्नीचर के कारण विद्यार्थियों को जमीन पर बैठना पड़ता है; और

(ग) इस स्कूल पर वार्षिक व्यय कितना आया है; और

(घ) उपर्युक्त स्कूल में सुधार करने और उसमें आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री-नन्दा) : (क) जी हां। इस स्कूल में विज्ञान के विशिष्ट विषय के रूप में शिक्षा नहीं दी जाती; अतः वहां विज्ञान प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य विज्ञान की शिक्षा के लिए वहा वैज्ञानिक उपस्कर उपलब्ध हैं।

(ख) टूट-फूट जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप फर्नीचर की अस्थायी कमी हो जाने के कारण प्राइमरी सेक्शन के कुछ विद्यार्थियों को फर्श पर बैठना पड़ता है। इस फर्नीचर को बदलने की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) 1969-70 में 1,68,187 रुपये 24 पैसे।

(घ) समुचित मात्रा में फर्नीचर की व्यवस्था का प्रबन्ध कर दिया गया है। स्कूल के अहाते को अस्पताल के क्षेत्र से अलग करने के लिए एक ओर सीमेन्ट के खम्भे लगाकर कटीले तारों का बाड़ा लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

हसन मंगलोर रेलवे लाइन के लिए भूमि अर्जित करने से वहां से हटाये गए व्यक्तियों को सरकारी खाली भूमि देना

8641. श्री लोबो प्रभु : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों की भूमि हसन मंगलोर रेलवे लाइन के लिये अर्जित की गई है उन को खाली पड़ी सरकारी भूमि न दिये जाने के क्या कारण हैं जैसा कि पेरम्बूर पत्तन परियोजना के मामले में किया गया था;

(ख) इस प्रकार के तबादले के लिए रेलवे के राजस्व अधिकारियों के साथ परामर्श न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिण कनारा जिले में हसन मंगलोर परियोजना के लिये कुल कितनी गैर-सरकारी भूमि अर्जित की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . रेल परियोजनाओं के लिए भूमि राज्य सरकार की ऐजेन्सी के माध्यम से अर्जित की जाती है और सम्बन्धित भूमि मालिकों में वितरण करने के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया जाता है। मुआवजे की वैकल्पिक रीति पर विचार करना राज्य सरकार का काम है।

(ग) दक्षिण कनारा जिले में, हसन–मंगलोर रेल परियोजना के लिए अर्जित कुल भूमि 1384 एकड़ है ।

तंजावर–त्रिची रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण

8642. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार के माध्यम से तंजावर नगरपालिका से तंजावर–त्रिची रेलवे लाइन पर उपरि पुल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है;

(घ) क्या देश में किसी अन्य पुल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . तांजाऊर के पास, अधिक चौड़ी सड़क की व्यवस्था के साथ, किलोमीटर 355/12–13 पर ऊपरी पुल को फिर से बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया था । यह पुल अन्यथा मजबूत है; लेकिन सड़क यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उसे फिर बनाना अपेक्षित है । अतएव राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार इस पुल को फिर से बनाने का कुल खर्च उसे ही वहन करना पड़ेगा । इस स्थिति की जानकारी राज्य सरकार को दी जा चुकी है ।

(घ) जी हां, लेकिन उसी आधार पर जो इस मामले में अपनाया गया है;

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

डिवीजन के आधार पर "ए" ग्रेड के गार्डों की वरिष्ठता तथा पदोन्नति

8643. **श्री भोलानाथ मास्टर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे को छोड़कर "ए" ग्रेड के गार्डों की वरिष्ठता तथा पदोन्नति डिवीजन के आधार पर होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रेड "सी" से ग्रेड "बी" में गार्डों की पदोन्नति के अवसर जो डिवीजनवार हैं, प्रत्येक डिवीजन में भिन्न भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दोहरी प्रणाली से न चाहते हुए भी कुछ डिवीजनों के गार्डों को लाभ पहुँचता है जिन्हें पहले उनके डिवीजन में ग्रेड 'बी' बनाया जाता है और फिर "बी" ग्रेड में शीघ्र पदोन्नति के कारण ग्रेड "ए" कर दिया जाता है;

(घ) ग्रेड 'बी' में डिवीजनवार पदोन्नति करने के आधार पर ग्रेड "ए" में पदोन्नति के सम्बन्ध में समानरूप से लागू नहीं होते; और

(ङ) क्या "ए" ग्रेड में भी पदोन्नति सम्बन्धी आदेश डिवीजन के आधार पर जारी कर के अथवा पश्चिम रेलवे में 'बी' ग्रेड में भी चार डिवीजनों के आधार पर पदोन्नति करने के आदेश जारी करके इन असंगतियों को दूर करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंन्दा) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

खुरदा स्टेशन पर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट न करना

8644. श्री स० कून्दू : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुरदा रोड पर.नई विकास बस्ती में टाइप (I) के क्वार्टर ब्लाक संख्या में 228 (ए० बी० सी० और डी०) का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था और ठेकेदार ने ये क्वार्टर अधिकारियों को किस तारीख को सौंपे थे और कर्मचारियों को क्वार्टर किस तारीख को अलाट किये गये थे;

(ख) क्या खुरदा रोड पर रेटांग कालोनी में निम्नलिखित क्वार्टर कर्मचारियों को अलाट नहीं किये गये थे यद्यपि वे काफी समय पहले ही पूरे बन चुके थे (एक) ब्लाक डी 1 से डी 9 –35 क्वार्टर, टाइप 2 (दो) ब्लाक संख्या डी० 10 से डी 24–60 क्वार्टर टाइप 1 क्वार्टर टाइप तीन ब्लाक संख्या 524 । बी एक क्वार्टर टाइप 3;

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों का निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा हुआ था और ठेकेदारों ने विभाग को किस तारीख को सौंपे थे और कर्मचारियों को किस तारीख को अलाट किये गये थे; और

(घ) ये क्वार्टर कर्मचारियों को अलाट न करने के कारण सरकार को किराये के रूप में कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) ठेकेदार द्वारा क्वार्टर सौंपे जाने की तारीख 30-6-65 आनुषंगिक निर्माण कार्यों सहित हर तरह से पूरे होने की तारीख 22–8–65 आवंटन की तारीख:– मार्च, 1968 से मार्च, 1970 के बीच विभिन्न तारीखों को, जैसे और जब इन क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों को हटाया गया, वैसे ही सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों का, जिनके लिये ये क्वार्टर बने थे, आवंटन आदेश जारी कर दिये गये थे ।

(ख) और (ग) . सूचना नीचे दी गई है :—

क्वार्टर	ठेकेदार द्वारा सौंपे जाने की तारीख	सभी तरह से पूरे होने की तारीख	आवंटन करने की तारीख
डी0 1 से डी०9 तक	सितम्बर, 68	नवम्बर, 68 से सितम्बर, 69 तक	नवम्बर, 68 से दिसम्बर, 69 तक
डी 10 से डी 24 तक	सितम्बर, 68	नवम्बर, 68 से दिसम्बर, 68 तक	
524–बी	मार्च, 69	8–12–1969	

(घ) किराये की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि अनधिकृत कब्जा करने वालों से और क्वार्टरों के सभी तरह से पूरे होने से पहले कब्जा करने वाले कर्मचारियों से, दण्डस्वरूप लिये गये किराये के रूप में 13,002 रु० वसूल किये गये थे जबकि निर्धारित किराये पर आधारित अनुमानित किराया 9624 रु० था।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

8645. श्री लोबो प्रभु : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने, जो छोटे उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करती है अपने वार्षिक सम्मेलन में घोषणा करदी है कि वे अर्थव्यवस्था के विषय में योगदान देने वाले सभी उद्योगों के पक्ष में हैं तो सरकार द्वारा 20 बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस मुक्ति का लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) कोयले, कपड़े, आटा पीसने की रोलर मिलें, चमड़े और माचिसें बनाने वाले उद्योगों को एक करोड़ रुपये के मूल्य तक लाइसेंस मुक्त क्यों नहीं किया गया है;

(ग) इस बात को देखते हुए कि अखिल भारतीय निर्माता संगठन के अध्यक्ष लघु तथा सहायक उद्योगों के लिए उत्पादों के कानूनी तौर पर आरक्षण के विरुद्ध थे और स्वैच्छिक आधार पर किया गया वर्गीकरण मोटर गाड़ी उद्योग की तरह सफल सिद्ध हुआ है, अन्य 25 उद्योगों पर इस वर्गीकरण को लागू करने के क्या कारण हैं;

(घ) ये उद्योग कौन-कौन से हैं और उनके आरक्षण के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपभोक्ताओं को सभी आधार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबन्ध नियन्त्रण तथा आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रीकरण को रोकने का काम सुनिश्चय करने की दृष्टि से हाल ही में घोषित लाइसेंस नीति में परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) 1964 से इन उद्योगों को लाइसेन्स से छूट नहीं दी जा रही है क्योंकि इन्हें विशेष सहायता और समर्थन की आवश्यकता है;

(ग) और (घ). कई सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से छोटे उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना सरकार की नीति है। प्रौद्योगिकीय एवं अन्य कारणों से बड़े उद्योगों के विरुद्ध कुछ छोटे उद्योगों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ उद्योगों की केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकास करने के लिये इनका आरक्षण करने तथा ऐसे उद्योगों की संख्या में यथासम्भव और वृद्धि करने की अपनी नीति को जारी रखने का निर्णय किया है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित किये गये उद्योगों की सूची सरकार को 19 फरवरी, 1970 की उस अधिसूचना में दी हुई है, जिसे 24 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के साथ एक संलग्न पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखा गया था;

(ङ) जी; हां।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में भूमि पर जबरन कब्जा करने के कारण मुठभेड़ का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के शब्दों की ओर ध्यान दें। इसमें उल्लेख किया गया है कि "पश्चिम बगाल के मिदनापुर जिले में भूमि पर जबरन कब्जा करने के कारण जोतदारों तथा कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक भीड़ के बीच मुठभेड़, जिसमें अनेक जोतदार मारे गये, के समाचार की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलायेंगे।"

लगभग 6 या 7 दिन पूर्व तीन किसानों की जिसमें एक गर्भवती स्त्री भी शामिल थी जोतदारों ने निर्दयता से हत्या की.....

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार छः या सात दिन पूर्व किसानों की हत्या की गई थी। कृपाकर हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाड) : कुछ दिन पूर्व जब पश्चिम बंगाल में तीन किसानों की हत्या की गई थी तथा अनेक सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई थी। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : While accepting this notice you might have considered on two matters. Firstly, on the law and order situation in state and secondly, whether the Central Government have responsibility in this matter.

Mr. Speaker : Only these things were considered.

Shri Madhu Limaye : In the case of Manipur, we have got a direct responsibility. A calling attention notice regarding the situation prevailing in Manipur was submitted about fifteen days back and we were informed that the matter was under consideration. But no reply has been given. The impression should not be created that we are here for the protection of the rights of Zamindars and the Capitalists and not for the protection of the rights Harijans, Adivasis or of the people of Manipur.

अध्यक्ष महोदय : सभा में सब वर्गों और दलों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। इस विषय पर 20 सदस्यों के नोटिस प्राप्त हुए थे। जहां तक आपके प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसे अस्वीकार नहीं किया गया है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यदि आप कुछ सदस्यों को इस प्रकार अनुमति देते हैं तो आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं जिस विषय को अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय समझता हूँ उस विषय को स्वीकार कर लेता हूं। इसी सम्बन्ध में कोई किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाता।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें ।

"पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में भूमि पर जबरन कब्जा करने के कारण जोतदारों तथा कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक भीड़ के बीच कथित मुठभेड़ में अनेक जोतदार मारे गये ।"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1 मई को मिदनापुर जिले के चकमक रामपुर क्षेत्र में भूमि का जबरन कब्जा लेने के इरादे से एक जलूस निकाला गया । श्रीधर बैरा नामक एक व्यक्ति ने इस भय से कि उसकी भूमि पर जबरन कब्जा किया जायेगा, तीन बेटों और एक निजी शिक्षक के साथ दो बन्दूक लेकर इसका विरोध करने के लिये निकल आये । उन्हें प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जिससे दो व्यक्ति मरे और छः व्यक्ति घायल हुए । इसके बाद भीड़ ने उनकी बन्दूकें छीन लीं और श्रीधर बैरा, उसके तीन लड़के और निजी शिक्षक की हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : पश्चिम बंगाल में असुरक्षता, भय और हिंसा का वातावरण विद्यमान है । वहां सामान्य व्यक्ति शांति और कानून और व्यवस्था देखना चाहता है । लेकिन नक्सलवादियों और साम्यवादियों (मार्क्सवादियों) का हिंसा में विश्वास है और जिसकी अयोग्य राज्यपाल के समय में वृद्धि हुई है (**अन्तर्बाधाएं**) वहां कोई दिन ही ऐसा गुजरता होगा जब बम विस्फोट न हो या हथियारों से लड़ाई न हो । पहले सरकार यह कहकर अपने दायित्व से छुटकारा पा लेती थी कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाने का दायित्व राज्य सरकार का है । लेकिन अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन है और वहां शांति तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व संसद् का है ।

केन्द्रीय सरकार ने वहां की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की ? श्री चव्हाण ने वहां घटने वाली घटनाओं के लिये सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दोषी ठहराया है । क्या पश्चिम बंगाल में आप 20 वर्ष तक शासन नहीं करते रहे ? आपने वहां सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की ? क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति और अराजकता को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया है यदि हां तो उक्त कानून को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

क्या राज्य की स्थिति को सफलता से हल करने और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने के कारण सरकार वहां के राज्यपाल का स्थानान्तरण करेगी ?

क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि नक्सलवादियों और मार्क्सवादी साम्यवादियों में आपस में सम्बन्ध हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दण्ड प्रक्रिया संहिता और कलकत्ता पुलिस अधिनियम का पूरी तौर से प्रयोग किया गया है । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या किसी व्यक्ति को हथियार, भाले और छुरे लेकर बाहर निकलने के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया गया है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें । आप अपने प्रश्न पहले पूंछ चुके हैं । मै माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बीच हस्तक्षेप न करें । यदि माननीय सदस्य दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं देंगे तो इस सभा का क्या लाभ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पश्चिम बंगाल प्राधिकारी ने राज्य के लिये कुछ नये कानून बनाने का सुझाव दिया है । उन सुझावों को पश्चिम बंगाल के लिये बनी परामर्शदात्री समिति के सम्मुख रखने का विचार है ।

राज्यपाल को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की जायेगी कि नक्सलवादियों और मार्क्सवादी साम्यवादियों में कोई सांठ-गांठ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जांच करने के लिये यह बहुत साधारण प्रश्न है ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न तर्कसंगत है । पश्चिम बंगाल की भूमि सम्बन्धी समस्या इस समय बहुत विस्फोटक और पेचीदा है । दुर्भाग्य से आप इस विषय पर कानून और व्यवस्था के रूप में चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं । इससे पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत अहित होगा । पश्चिम बंगाल की भूमि सम्बन्धी समस्या के बारे में कुछ समय तक चर्चा की जानी चाहिये ताकि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि उक्त चर्चा में भाग ले सकें ।

अध्यक्ष महोदय : उक्त विषय पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री समर गुह : इससे केवल उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा । इससे पश्चिम बंगाल की समस्या हल नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सब प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिये मेरे पास प्रस्ताव आते हैं । मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा और अन्य विषयों पर भी चर्चा की अनुमति दूंगा । लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है **(अन्तर्बाधाएं)** ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : लोगों का विश्वास था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद वहां भी स्थिति में सुधार हो जायेगा । लेकिन दुर्भाग्य से वहां के राज्यपाल राजनीतिज्ञ हैं । वह एक अच्छे प्रशासक नहीं हैं । वहां राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद भी किसान किसानों की हत्याएं कर रहे हैं, कर्मचारी कर्मचारियों की हत्याएं कर रहे हैं और विद्यार्थी विद्यार्थियों की हत्याएं कर रहे हैं ।

हमारे देश के भूमिहीन व्यक्ति समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं । विशेषकर आदिवासी और हरिजनों को भूमि दी जानी चाहिये । वे भूमिहीन निर्धन व्यक्ति हैं । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने के लिये भूमि आयोग की

नियुक्त करेगी जिससे भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि मिल सके। क्या सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में सलाहकार विचार कर रहे हैं। भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में संयुक्त मोर्चा सरकार ने दो कानून बनाये हैं।

श्री हेम बरुआ : यह दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त मोर्चा सरकार अपने 13 महीने के शासन के दौरान उक्त समस्या को हल नहीं कर सकी।

श्री यशवंतराव चव्हाण : बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। अतः यह गम्भीर समस्या है। जिस पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में कार्यवाही की जायेगी। हमारा अन्तिम उद्देश्य है कि बेनामी भूमि या फालतू भूमि, जिसका अधिकार सरकार को प्राप्त है, भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी जाये।

हमें भूमि सम्बन्धी नीति इस बात पर आधारित करनी होगी। संसद् और केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखी जाये और भूमि सम्बन्धी नीति को क्रियान्वित किया जाये।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूंच-बिहार) : पश्चिम बंगाल में कृषि समस्या बहुत विस्फोटक स्थिति में है। 1953 के अधिनियम के अन्तर्गत 25 एकड़ कृषि भूमि को रखने की सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन भूस्वामियों और जोतदारों ने अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि अपने पास रखी हुई है। इससे कठिनाई उत्पन्न हुई है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने भूमिहीन किसानों को भूमि पर कब्जा करने के लिये प्रोत्साहन दिया है जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि सरकार वास्तव में इस समस्मा का हल करना चाहती है तो इसे इस समस्या का अध्ययन करना चाहिये।

सरकार का विश्वास था कि वर्ष 1953 में राज्य अधिग्रहण अधिनियम के पारित होने तक सरकार के पास लगभग 10 लाख एकड़ फालतू या बेकार भूमि होगी। लेकिन 1966 के अन्त तक सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसके लिये तीन लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। वास्तव में 1966 के अन्त तक कांग्रेस सरकार केवल कुछ हजार एकड़ भूमि प्राप्त करने में सफल हो सकी। इसी आधार पर संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह निर्णय किया कि इस समस्या का हल किया जाना चाहिये और भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि पर बसाना चाहिये।

इस समस्या का हल करने को एक मात्र उपाय यही है कि वर्तमान निर्धारित सीमा में कमी कर दी जाये। कांग्रेस सरकार को 10–12 वर्ष में जो भूमि प्राप्त हुई वह उसे वितरित करने में सफल नहीं हुई है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह तत्काल ही एक अध्यादेश जारी करेगी जिसके अनुसार जिन भूमिहीन किसानों ने उन किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया है जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है, तो उस भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों का अधिकार माना जायेगा।

हिंसा को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार एक ऐसा अध्यादेश जारी करे जिसके अन्तर्गत उन कानूनों पर प्रतिबन्ध लगा दे जिन पर परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार करना है। क्या सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर प्रतिबन्ध लगायेगी या वह उन लोगों को भूमि पर बसने के शीघ्र अधिकार दे देगी जिनका भूमि पर कब्जा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भूमि सम्बन्धी कानून और इस बारे में प्रयोग किये जाने वाले उपाय सरकार और पश्चिम बंगाल के सलाहकारों के विचाराधीन हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ निर्णय किये हैं और उन निर्णयों से हमें अवगत कराया है। हम उन पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में लिये गये निर्णयों के बारे में हमारे खाद्य तथा कृषि मन्त्री अध्ययन करेंगे।

इस समय देश में प्रति व्यक्ति को एक एकक के रूप में मानकर भूमि की सीमा निर्धारित की गई है। इस बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या भूमि की सीमा परिवार को आधार मानकर निर्धारित की जा सकती है। इस समय ऐसा कोई अध्यादेश जारी करने का इरादा नहीं है।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3407/70**]

1970 में होने वाले राष्ट्रमडलोय खेलों में भारत द्वारा भाग लेना

INDIAN PARTICIPATION IN COMMONWEALTH GAMES 1970

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : महोदय ! माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि एडिन वर्ग में नौवें राष्ट्रमण्डलीय खेल 16 से 25 जुलाई, 1970 तक खेले जाने हैं। भारतीय ओलम्पिक एसोशियेसन ने सरकार से भारतीय दल द्वारा इन खेलों में भाग लेने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने का सरकार से अनुरोध किया है। सरकार को यह भी ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रमण्डल के 13 अफ्रीकी देशों ने यह धमकी दी है कि यदि एम०

सी० सी० के साथ मैच खेलने के लिये दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को ब्रिटेन का दौरा करने दिया गया तो अफ्रीका के सभी देश राष्ट्रमण्डलीय खेलों का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस दौरे को रद्द करने की मांग की है। यह भी ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने एम० सी० सी० से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस दौरे के परिणाम स्वरूप यदि काउंटी क्रिकेट क्लब के खेल के मैदान को और उनकी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति हुई जिसकी भारी आशंका है, तो स्वयं क्लब को ही समस्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। ब्रिटेन में अधिकतर व्यक्ति इस टूर को रद्द करने के पक्ष में हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये तथा किसी भी क्षेत्र में रंग भेद की नीति का विरोध करने की अपनी दृढ़ और स्थाई नीति को ध्यान में रखते हुये सरकार ने होने वाले राष्ट्रमण्डलीय खेलों में इस प्रश्न पर गम्भीर विचार किया है कि भारत उन खेलों में भाग ले अथवा न ले। हमें पता है कि राष्ट्रमण्डलीय खेलों में दक्षिण अफ्रीकी देश भाग नहीं लेंगे किन्तु साथ ही खेलों के क्षेत्र में रंग भेद की नीति को अपनाने की स्वीकृति देने से जो प्रभाव पड़ेगा हम उसे भी नहीं भुला सकते। एम० सी० सी० एक महत्वपूर्ण संगठन है तथा उसने स्वयं एक बार दक्षिणी अफ्रीका के दौरे को इसी कारण रद्द कर दिया था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका चाहता था कि एम० सी० सी० केवल श्वेत वर्ण वाले देशों के साथ ही मैच खेले। यह अत्यन्त खेद की बात है कि जब दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग लेने वाले देशों की सूची से निकाल दिया गया है फिर भी उसे ब्रिटेन में मैच खेलने के लिये बुलाकर रंग भेद की नीति का स्वागत किया जा रहा है।

सरकार ने भारतीय ओलम्पिक ऐसोशियेशन को इस पर यह सुझाव देने का निर्णय किया है कि वह राष्ट्रमण्डलीय खेलों के अधिकारियों को यह सूचना दे कि यदि दक्षिण अफ्रीका की टीम का ब्रिटेन का दौरा रद्द नहीं किया गया तो भारत राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग नहीं लेगा। ऐसोशियेशन को इस आशय का सुझाव दिया जा रहा है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE-CALLING ATTENTION (QUERY)

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : महोदय ! मद्रास उच्च न्यायालय से द्वारा जारी किये गये अन्तरिम आदेश के बारे में कल हमने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना प्रस्तुत की थी। उस आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त तमिलनाडु के निर्वाचन अधिकारी को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसी उम्मीदवार को बैलों की जोड़ी का चिन्ह न देने का निदेश न दे। आज निर्वाचन आयुक्त ने एक पत्र में कहा है कि चैटन महादेवी निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनाव के सम्बन्ध में पहले जारी की गई समय सारिणी रद्द की जा रही है। यह प्रक्रिया अस्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहूँगा। यह सूचना मन्त्री महोदय को पहुँचा दी जायगी। (**व्यवधान**) कृपा करके आप शांत रहिये।

वित्त विधेयक 1970—जारी

FINANCE BILL 1970 Contd.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : As I have said yesterday. Apprently it appears that the ratio of urban wealth tax is being increased but in fact it is not so.

My second point is that previously the cities were categorized as A, B, C, and D. In the 'A' and 'B' categories of the cities the tax exemption limit was Rs. 4 lakhs. Wealth valued of Rs. 3 lakhas was also exempted from tax in the 'C' category of the cities. Now this limit has been increased to Rs. 5 lakhs in all categories of cities with a view to bring uniformity in this regard. In this context I want to submit that the Government have created more opportunities for the wealthy persons to evade the wealth tax. This finance bill in enabling the wealthy person to prosper more and more. While the wealth worth Rs. 2 lakhs was liable to be exempted from the tax in the cities categorised as 'D' now the limit has been increased to Rs. 5 lakhs, it shows clearly that the wealthy persons are being given more facilities to flourish in the country.

{ उपाध्यक्ष पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Certain changes have been made in the definition of urban property. The critaria of population of 10,000 and the distance of 8 Kilometer in this regard are not proper. I request that the limit of distance be considerably increased and the limit of the population should be decreased to 7,000.

Since no central machinery has been valued by the Government to check the tax evasion what guarantee can be given by the Prime Minister to the effect that in future there would be no cases of tax evasion in the country.

So far as the income tax is concerned the limit of exemption has been increased to Rs. 5,000 with the plea that since the number of assessees in reduced the cases of tax evasion would easily be curbed. It is not a sound argument. It only shows the inefficiency of the Government.

I am at a loss to understand the reasons for which the wealth relating to the charitable and religious trust has been exempted from the tax. The tax free limit of the dividend of the unit Trusts has also been increased to Rs. 3,000 with the result that the corporate sector is enjoying much facilities.

I am constrained to state that this finance bill will not be of any use becomes the Government have not levied taxation where it is actualy required. I want to suggest that expenditure tax should be imposed again stringent efforts should also be made to realise the tax from all the assessees.

The limit of exemption on gift tax should also be reduced. (Interruptions) More concession is also required to be given on the books and other items of stationery.

If the Government are really interested in bringing in socialism in the country they will have to implement the policy of income ceiling in the ratio of one to ten. Besides, the Government should nationalise the newspapers having a circulation of Ten thousands. Privipurses should also to be abolished.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : प्रधान मंत्री महोदय ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है तथा समाज के निर्बल लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। विभिन्न प्रकार के करों की व्यवस्था से उन्होंने देश में समाजवाद लाने का भी प्रयत्न किया है। इन प्रयासों के लिये वह धन्यवाद की पात्र हैं।

यह कहा जाता है कि हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कर का भार सबसे अधिक है। किन्तु मेरा निवेदन है कि हमारे देश में कर लगाने में बड़ी उदारता बरती गई है तथा करों का भार उतना नहीं है जितना वास्तव में अपेक्षित है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में सम्पदा शुल्क की दर हमारे देश से कहीं अधिक है। यद्यपि सम्पदा शुल्क से अधिक धन प्राप्त होता है तथा उससे करदाता को भी, कष्ट नहीं होता क्योंकि यह कर उसकी मृत्यु के उपरांत वसूल किया जाता है। तथापि हमारे देश में सम्पदा शुल्क की दर ब्रिटेन से कम है। अतः मेरा निवेदन है कि सम्पदा शुल्क की दर इतनी ही रखनी चाहिये जितनी ब्रिटेन में है।

जहाँ तक आपका प्रश्न है उसकी दर भी अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र से कृषि से प्राप्त आय पर भी कोई कर नहीं लिया जाता। देश की 80% जनता गांवों में रहती है तथा वहाँ भी धनवान व्यक्ति रहते हैं, विशेषकर जिनके बागान आदि हैं। इसी कारण उद्योगपति गांवों में जाकर बड़े बड़े फार्म खरीद रहे हैं जिससे कि वे आयकर से मुक्ति पा सकें। इस दृष्टि से हमारे देश में आयकर लगाने में भी भारी उदारता बरती गई है। मैं निवेदन करता हूं कि कृषि से प्राप्ता आय पर भी कर लगाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उचित कार्यवाही करने के लिये कहना चाहिये।

सम्पत्ति कर की दर भी अधिक बतायी जाती है किन्तु मेरा निवेदन है कि वास्तव में यह दर भी उदारता पूर्वक निर्धारित की गई है। एक लाख रुपयों की सम्पत्ति पर कर की छूट के उपरांत केवल 400 रुपये प्रति वर्ष का कर वसूल किया जाता है। एक सीमा के बाद इसकी दर 10% तक जाती है किन्तु किसी भी प्रकार इस दर को अधिक नहीं कहा जा सकता। गत 20 वर्षों में किसी भी उद्योग की परिसम्पत्तियों में कमी नहीं हुई है। अपितु उनमें वृद्धि ही हुई है। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि कर की दर अधिक है।

इस बजट पर यह भी आक्षेप लगाया गया है कि इसमें सरकारी उपक्रमों पर अधिक ध्यान दिया गया है। किन्तु मेरा निवेदन है कि सरकारी उपक्रमों के कारण ही आनुषंगिक उद्योगों को सहारा मिला है तथा उन्हीं से रोजगार की व्यवस्था भी हुई है। यह सच है कि कुछ उपक्रम घाटे में चल रहे हैं किन्तु यह भी सच है कि गैर–सरकारी क्षेत्र के भी कुछ उद्योग घाटे में चल रहे हैं। सरकारी उपक्रमों की उपयोगिता केवल लाभ कमाने की दृष्टि से ही नहीं आंकनी चाहिये। इनसे राष्ट्र का औद्योगिक विकास होता है और इस दृष्टि से इनका भारी उपयोग है।

मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि पंजाब का पुनर्गठन करते समय हिमाचल प्रदेश में भेजे गये अराजपत्रित कर्मचारियों को यह वचन दिया गया था उनको पंजाब में मिलने वाले वेतनमान ही दिये जायेंगे। क्योंकि उन्हें अनिच्छापूर्वक वहां जाना पड़ा था अतः उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिये तथा उनके वेतन-मान भी वही होने चाहिये जो पंजाब में मिलते हैं।

प्रधान मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 5,000 रुपये कर दी है। यह कार्य सराहनीय है उन्होंने सम्पति कर लगाकर उचित कदम उठाया है। समाचार पत्रों के अनुसार लगभग 100 आयकर अधिकारी नियुक्त किये जाने हैं। मेरा निवेदन है कि जब आयकर के मामले घट रहे हैं तो इनकी नियुक्ति के बारे में प्रधान मंत्री महोदया ! जांच करें तथा मितव्ययता लाने का प्रयत्न करें।

देश के राजनीतिक ढांचे में भी कुछ मितव्ययता लाई जा सकती है। देश के विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने की विचारधारा बलवती होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि क्या केन्द्र में भी राज्य सभा को बनाये रखने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने विधान परिषद् समाप्त करके भारी धन बचाया है। मैं समझता हूँ कि केन्द्र में भी राज्य सभा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका संसदीय-कार्य में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरे सदन के बारे में कोई उल्लेख न करें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : दूसरे सदन की कोई उपयोगिता नहीं है। उसे समाप्त करने से देश का भारी धन बच सकता है तथा उसे राष्ट्रीय विकास में लगाया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो करदाता पहले सुलह करना चाहते थे वे अब ऐसा नहीं कर रहे हैं और वस्तुतः इस प्रकार अर्थदंड से होने वाली आय बढ़ने के बजाए कम हो गई, क्योंकि अब वे आय कर विभाग के कर्मचारियों को थोड़ा सा धन देकर काम करा लेते हैं।

अन्त में मेरा यह कहना है कि वर्तमान बजट इससे अच्छा भी हो सकता था। इस समय की स्थिति के अनुसार जो बजट पेश किया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोपाम) : वित्त विधेयक और बजट के प्रस्ताव सरकार की आर्थिक नीति को बताते हैं। यह काफी सीमा तक न केवल केन्द्रीय सरकार अपितु राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिरता की सूचक है। हाल के महीनों में केन्द्र और राज्य के सबंधों में काफी चर्चा रही जो कि मुख्यतः वित्तीय मामलों पर थी, चाहे यह वित्तीय विधेयक है अथवा केन्द्र द्वारा की गयी कोई अन्य वित्तीय कार्यवाही है, उसका अर्थव्यवस्था और राज्यों की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा हमें संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रावधानों का पुनर्विलोकन करना चाहिए जो राज्य और केन्द्र के मध्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका पालन किया जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 274 में यह कहा गया है कि उस विधेयक को अधिनियमित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेना आवश्यक है जो कराधान के बारे में है तथा जिसमें राज्यों के हित निहित हैं। कितने मामलों में केन्द्र ने निर्णय लेने के पूर्व राज्यों से सलाह की है ? हम चाहते हैं कि केन्द्र को कोई वित्त संबंधी कार्यवाही करने से पूर्व राज्यों से सलाह लेनी चाहिए। इस बारे में यह कहने का कोई लाभ नहीं कि हम संबंधित मंत्रालय से सलाह ले रहे हैं, इस बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इस संबंध में मैं सभा का ध्यान अपने उस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक की ओर दिलाऊंगा जिसमें कहा गया है कि इस सभा की राय में एक स्थायी संस्था बनानी चाहिए जिसका कार्य केन्द्र और राज्यों के संबंधों का पुनर्विलोकन करते रहना होगा और राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तशासी अधिकार प्रदान करना होगा।

हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इसके लिए वर्तमान संविधान पर्याप्त होगा अथवा हमें सविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता होगी। जब तक केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध को संतोषजनक आधार पर नहीं लाया जाता है तो इसके लिए समाधान खोजने में विलम्ब हो जायेगा।

प्रशासन सुधार आयोग ने इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया है और उन्होंने बताया है कि वर्तमान स्थिति में राज्यों की अर्थव्यवस्था तीन बातों पर निर्भर करती है, पहला राज्यों के पास धन उगाहने के लिए संसाधन अपेक्षाकृत से बेलोच हैं, दूसरा, राज्यों पर कार्य इस प्रकार सौंपा गया है जिनसे उनकी जिम्मेवारियाँ निरंतर बढ़ती जायेंगी। तीसरा, राष्ट्रीय योजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रमुख संसाधन विदेशी सहायता तथा घाटे की अर्थव्यवस्था होती है जो कि केन्द्र के ही हाथ मजबूत करती है, इन तीन कारणों से राज्यों के साथ अब तक ईमानदारी नहीं बरती गई है।

मैं केवल राज्यों के वित्तीय संसाधनों के संबध में अस्थिरता की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा। उदाहरण के लिए राज्यों पर ऋण का बोझ बढता जा रहा है। यह एक भयावह प्रश्न है, केन्द्र-राज्य संबधों के बारे में हुए सम्मेलन में कई वक्ताओं ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। 1951-52 में राज्यों पर ऋण का भार 445 करोड़ रुपये था जो 1968-69 में 7,032 करोड़ तक बढ़ गया। अगस्त 1947 में राज्यों ने केन्द्र को 44 करोड़ रुपये देना था जो कि मार्च 1970 में बढ़कर 5,997 करोड़ रुपये हो गया।

राज्यों द्वारा ऋण संबधी सेवाएँ उन पर भारी बोझ हैं और ये सेवाएं उनके पास उपलब्ध संसाधनों को नष्ट कर रही हैं। 1951-52 में सभी राज्यों ने 8·49 करोड़ रुपये ऋण संबंधी सेवाओं के रूप में दिये थे जो कि 1969-70 में बढ़कर 640 करोड़ रुपये हो गये थे और साथ में 264 करोड़ रुपये ब्याज के रुप में भी देने थे, इसके होते हुए भी राज्य ऋण लेते जा रहे हैं। केन्द्र राज्यों को जो भी ऋण देता है, उसका एक बड़ा भाग वह वापिस ले लेता है। चौथी योजना की अवधि में तमिलनाडु सरकार को केन्द्र ने ऋण सहायता के रूप में 140 करोड़ दिये हैं परन्तु तमिलनाडु सरकार चौथी योजना में 160 करोड़ केन्द्र को चुकायेगी, अतएव केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने के स्थान पर यह उल्टा ही काम हो रहा है, अतएव यह आवश्यक है कि इस समूचे प्रश्न की जांच करने के लिए एक संघीय ऋण आयोग की नियुक्ति की जाये। यदि आप चाहते हैं कि अपव्यय न हो और राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना आये तो यह आवश्यक है कि राज्यों को यह कहा जाये कि किस प्रकार ऋण का समझौता करना चाहिए।

इस संबध में मेरे पांच सुझाव हैं। पहले तो उन सब ऋणों को जो राज्यों को सीधे लाभ नहीं पहुचाते, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा संबधी सुविधाएँ आदि, को अनुदान समझा जाये, दूसरा, सुनारों और बर्मा तथा श्री लंका आए अप्रवासियों को विपत्ति से राहत देने के लिए जो ऋण दिया गया है उसे उतना ही वसूल किया जाये जितना कि हो सकता है, जब हजारों सुनारों से उनका रोजगार छीन लिया गया था तो उनको केन्द्र ने ऋण दिया था। परन्तु यह ऋण राज्यों के नाम पर दिया गया। चाहे यह ऋण चुकाया गया है या नहीं परन्तु राज्यों से इसकी

माँग की जा रही है। अतएव जब सुनारों से राज्यों का कोई संबध नहीं था तो केन्द्र को ही ऋण वसूल करना था। राज्यों पर ऋण की वसूली का भार क्यों डाला जाना चाहिए।

तीसरा, इस समय राज्य सरकारें सिंचाई तथा बिजली के लिए जो ऋण लेती है उसको सात वार्षिक किश्त और तीन वर्ष की छूट अवधि में चुकाती हैं, यह अवधि बहुत कम है क्योंकि इनसे लाभ बहुत धीमे धीमे मिलता है अतएव ऐसी योजनाओं के लिए ऋण के चुकाने की अवधि 20 से 25 वर्ष तक की होनी चाहिए, परन्तु जब राज्यों को ऋण दिया जाता है तो चुकाने अवधि सात वर्ष की होती है और ब्याज की दर ऊँची होती है। विदेशी सहायता तथा घाटे की वित्त व्यवस्था के संबध में भी यह अवधि इतनी ही होती है। इससे राज्य का समस्त वित्तीय ढांचा डांवाडोल हो जाता है। चौथा, राज्यों के राजस्व संबधी लेखे में कम से कम निश्चित अवधि के अंत में खुला बाजार ऋण और भारत सरकार से ऋण का परिशोधन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अवधि की समाप्ति पर राज्यों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में अनुदान की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक राज्य ऋण भार से दबते जायेंगे।

मैं अब इस शरारतपूर्ण प्रचार पर चर्चा करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु राज्य पर केन्द्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है, उनका कहना है कि हमें सरकार से अधिक अनुदान मिल रहा है। परन्तु वस्तु तथ्य इसके विपरित है, हर बार मद्रास को दिये जाने वाले धन में कटौती की जाती है। जहां तक 1966 में केन्द्रीय सहायता का प्रश्न है उसमें हमें 250 करोड़ देने का प्रस्ताव था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने कहा कि यह 202 करोड़ होगा। अन्य मामलों में जैसे वित्त आयोग के अन्तरण प्रतिशतता को लीजिए। आयकर अतिरिक्त सीमा शुल्क का प्रतिशत भी कम कर दिया गया है। अतएव तमिलनाडु सरकार को हर मामले में हानि उठानी पड़ी है।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। तमिलनाडु सरकार ने भी एक आयोग की नियुक्ति की थी परन्तु वित्त आयोग ने इसको स्वीकार नहीं किया है। जब भी वेतन आयोग की नियुक्ति की जाती है तो उसके राज्य के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि बाद में वे अपना वेतन तथा भत्ते केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते के समान करने के लिए आंदोलन करते हैं। जब तक हम वित्तीय मामले में केन्द्र और राज्य के संबधों पर विचार नहीं करते हैं तब तक हम राज्यों को वित्तीय मामलों में स्थिरता लाने में सफल नहीं हो सकते हैं।

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : This time the Budget Proposal are quite different from past Budget proposals. For the first time effort have been made to indicate property from this country as much as possible. The Press and opinions expressed their satisfactories.

I want to draw the attention of the Finance Minister of some points. There are two items on which the excise duty has been exhausted. One is white kerosene oil which is utilized by poor sections of society. This increase will hit them considerably.

The other items Petrol. It is not only Government by rich people but Taxies, scooters etc. also consume. The fairs of the taxies etc. will rise if the taxes are increased. Thereby affecting the common people so it should be reconsidered.

The conditions of the people living in the villages have not changed even after 22 years. There is no doubt that many factories have been opened here and we started manufacturing those items which we used to import earlier. But the increase in national wealth or National Income did not follow by proper distribution. Only five percent of the people have put their lands on it. So this may be looked into.

To day the population of the country is 5? crores. Among them only 5% get two squire meals.

The rest pass their days on unbalanced diets. Whatever we have done is unsufficient. We have not be able to bring most lands under irrigation.

By abolishing the legistative council in the states, the Government can save money. The people of the country are also against it. Previously it had a importance but not at present. So I think it should be abolished.

The problem of village is complicated. It should not be ignored. The agriculture contributes 70 percent of the National Income. A large number of people are leaving villages for cities to seek jobs. Because employment opportunities lack in villages. Therein life in village is most pitiable. Some parties oppose to the idea of collecting taxes in villages. But taxes should be collected from whose who are able to pay it.

The unaccounted money has assumed great proportion in the country. The Enforcement Directorate and the Finance Ministry is in different towards it. The unaccounted money should come out, so as to utilize it in productive purposes. It is my submission that the Budget provision of Rs. 115/-crores for farms and agriculture labour should be increased to Rs. 200 crores. A provision of Rs. 67.5 crores has been made for improving the condition of small farms. I want that this should be spent on those 58 districts which are most backward.

It is necessary to provide employment opportunities to the rural people. Attention should be given to small scale industries vocational training should be given to all educated people in the villages and the nationalized Banks should come forward in providing loans to labourer-co-operations and Industrial co-operations.

It is good that action has been taken under Nutritions Programme. We have received milk powder from other countries for pregnent mothers and children. Some teachers of Primary school in different districts have been apprehended for selling milk powder in black Market. These persons should be given deterrents punishments for doing this heinous crime.

Out Utter Pradesh has remained backward inspite of the three five years Plans. The Per capita income of U. P. has gone down (in comparison to per capita Income of the whole country).

The life Insurance Corporation has provided Rs. 14 crores to the Housing Ministry for Housing. Out of this amount Rs. 100 lakhs was given to Utter Pradesh and Rs. 150 lakhs to Madras. Whereas taking into consideration the population, Utter-Pradesh should be given more amounts. Thus Utter Pradesh is treated in a bad way.

The Utter Pradesh Government has closed Rural Power Scheme. It was giving benefits to the rural people. I will request the Prime Minister to compel the state-Government to revise it.

As far as the industries are concerned, Uttar Pradesh lags behind. A tractor factory in Colaboration with Czechoslovikia was to be set up at Ram Nagar but it was shifted to Pinjore. Now the second Tractor Factory which is to be opened in the Public Sector, in Jaunpur district. We do not know why the scheme of settingup wagon buildin factory in Utter Pradesh Government has made all arrangements for Atomic Powerg station in Marula Aligarh. I request the Government to make provision in this respect.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : वित्त विधेयक के प्रावधनों के बारे में मेरा यही कहना है कि ये संतोषप्रद नहीं हैं।

मैं इस अवसर का उपयोग पश्चिमी बंगाल के आर्थिक तथा वित्तीय समस्याओं के बारे में कहने में करूंगा। इस सभा में साधारणतया पश्चिमी बंगाल की समस्या कानून तथा व्यवस्था की मानी जाती है जबकि यह वित्तीय तथा आर्थिक समस्या है।

पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार भंग हो चुकी है। परन्तु वहां की वित्तीय व्यवस्था कठिनाई में फंसी पड़ी है। इसलिए मैं न केवल वित्त मन्त्री अथवा प्रधान मंत्री अपितु इस सभा से यह अनुरोध करने आया हूं कि वे पश्चिमी बंगाल के हितों की रक्षा करें। जब पश्चिमी बंगाल के लिए संसद की विधायिनी शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रत्यायोजन करने के बारे में चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको सावधान किया था कि वहां की स्थिति विस्फोटक है। वहां राजनीतिक उपद्रव तथा विध्वंश रोजमर्रा के अंग बन गए हैं। उस स्थिति को तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक हम उसका सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से नहीं जोड़ते हैं। मेरा सभा से अनुरोध है कि मेरे इस अनुरोध को संकीर्ण राजनीति का नाम न दें, इसलिए मैं सभा को यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है न कि केवल एक प्रान्तीय समस्या है, हजारी समिति के प्रतिवेदन पर कहने से पूर्व मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि पश्चिमी बंगाल 60 लाख कर्मचारियों के लिए रोजगार मुहैया करता है। 1961 की गणना का अध्ययन करके यह पाया गया था कि कलकत्ता से 28 करोड़ रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजे जाते हैं। यदि पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो इन लोगों का क्या होगा ?

प्रोफेसर हजारी ने औद्योगिक योजना तथा लाइसेंस नीति के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे यह बताते हैं कि 1959 से 1966 तक 275 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित नियोजन में बंगाली उपक्रमियों का निवेश 14 करोड़ रुपये था जबकि मारवाड़ी उपक्रमियों ने 32 करोड़ रुपये लगाया था तथा गुजराती, पारसी तथा मारवाड़ियों ने 55 करोड़ रुपये की पूंजी लगायी थी।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य राज्यों के लोगों का पश्चिम बंगाल में कितना धन लगा हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था की आजकल बहुत खराब हालत है। इसका समूचे देश पर प्रभाव पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में विस्थापित आ रहे हैं। इनके कारण अर्थव्यवस्था पर बोझा बढ़ रहा है।

राज्य में खाद्य समस्या भी चिरकाल से विकराल रूप धारण किये हुए है। चावल के स्थान पर पटसन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बेकारी की समस्या और विकट होती जा रही है। पटसन उद्योग में लोगों के रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं।

कलकत्ता तथा बंगाल क्षेत्र इंजीनियरी उद्योग पर बहुत निर्भर करता है। अब इस उद्योग में मंदी आयी हुई है। इससे भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता राजनीतिक तथा हिंसा की समस्याएं हल नहीं की जा सकतीं। अतः केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। सरकार को पर्याप्त मात्रा में राशियां उपलब्ध करनी चाहिये।

कलकत्ता नगर की अपनी समस्याएं हैं। विश्व बैंक ने कुछ वर्ष पूर्व एक विशेषज्ञ दल भेजा था। बैंक सहायता देने को तैयार है। सरकार को इस सम्बन्ध में पहल करके सहायतार्थ धन देना चाहिये।

राष्ट्रपति के शासन के लागू होने के बाद सरकार वहां पर कुछ कड़े कानून लागू करना चाहती है। ऐसी बात समाचारों में भी छपी है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान न किया गया तो समूचे पूर्वी भारत में की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी, यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वियतनाम तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश वहां से अधिक दूर नहीं हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो सकती है और जो समूचे देश में फैल सकती है।

श्री एम० सुदर्शनम (नारासाराओपेट) : यह बजट जनसाधारण की आकांक्षाओं के अनुरूप है। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस विधेयक द्वारा आपकी विषमताओं को कम करने में सहायता मिलेगी। अधिक आय वालों को अब अधिक आयकर देना पड़ेगा। सरकार को चाहिये था कि पुनः उद्योग में लगायी जाने वाली आय पर अधिक छूट देती। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वीडन का उदाहरण हमारे समक्ष है। इससे औद्योगिक तथा बेकारी की समस्याएं हल हो जायेंगी। मेरा विश्वास है सरकार इस ओर ध्यान देगी। इस विधेयक शेयर बाजार में कुछ वृद्धि आती है। यह अच्छा है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भरपूर प्रयत्न करने होंगे। कृषि, उद्योग तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। कृषि, क्रान्ति से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई है। हमें पटसन, तिलहन, तथा कपास आदि का भी उत्पादन बढ़ाना है। निर्यात के लिये भी माल तैयार करना होगा। हाल में मिली सफलताओं को हम बहुत बढ़ाकर बता रहे हैं। 1960 से 1965 तक हमारी विकास दर काफी अच्छी रही है। 1966 में मंदे के कारण कुछ गतिरोध आ गया था। 1967 में भी यह कम हुई। हां पिछले दो वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है।

अब नवीनतम स्थिति यह है कि कच्चे माल की कमी महसूस की जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका जिक्र है। स्थिति का ठीक तौर से निरीक्षण करके आगे के लिये कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये ताकि उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सके।

कर ऋण प्रमाण-पत्रों की योजना वापिस लिये जाने से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिर दत्त समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय से अनेक कानूनी प्रश्न खड़े हो गये हैं। अनेक कारणों से नये कारखानों आदि की स्थापना पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार की एक करोड़ रुपये तक की सीमा बढ़ाने से तभी लाभ हो सकता है जब कि विदेशी मुद्रा तथा कच्चे माल की सुविधाएं उपलब्ध हों।

नियन्त्रणों द्वारा बढ़ते मूल्यों की स्थिति से निपटा नहीं जा सकता। उत्पादन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता लाकर एक वातावरण तैयार करना होगा। कल्याणकारी उपायों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। राज्यों द्वारा अधिक ऋण लेने की प्रवृति को रोकना होगा।

खेद की बात है कि यह बजट निर्यात उन्मुखी नहीं है। निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात शुल्क समाप्त करना होगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे और प्रशासनिक व्यय में कमी करनी होगी। सामाजिक न्याय की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक नया उत्साह उत्पन्न करना होगा। इस कार्य में उन अधिकारियों का चयन करना होगा जिनमें ऐसे कार्यों के प्रति लगन है।

आंध्र प्रदेश में लोगों को सूखे तथा अकाल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहां की जनता बहुत निर्धन है। और यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। अब प्रधान मंत्री ने विशाखापटनम में एक इस्पात संयन्त्र स्थापित किये जाने की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। पूर्वी तट पर एक तेलशोधक कारखाना यथाशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये।

हम अगनीगुंडाला में तांबे के खनन की योजना का स्वागत करते हैं। इस परियोजना से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी। सरकार को आंध्र प्रदेश में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें विचार करना है कि क्या हमें सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को मूल रूप में पारित कर देना चाहिये अथवा नहीं ? हमें 10 मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा का अवसर मिले।

वित्त विधेयक में प्रधान मंत्री ने कुछ छोटी छोटी रियायतों की घोषणा की है। चाय तथा अन्य वस्तुओं पर रियायतों का मैं स्वागत करता हूं। वैसा अप्रत्यक्ष करों से जनसाधारण पर बोझ बढ़ेगा। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिये।

चीनी पर कर को वापिस लिये जाने की मांग सभी सदस्यों ने रखी है। परन्तु प्रधान मंत्री ने उसका उल्लेख तक नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव भी रखा था।

वर्ष 1948 की अपेक्षा चीनी की दरों में चार गुना वृद्धि हो गई है। चीनी जनसाधारण की खपत की वस्तु है। इस पर उत्पादन शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। चीनी की प्रति व्यक्ति खपत में कमी हुई है। अब नये शुल्क से यह और कम होगी।

हम सब ने कृषि धन कर का स्वागत किया है। हमें सरकार की यह घोषणा समझ में नहीं आयी है कि फार्मों पर यह कर नहीं लगाया जायेगा। इनको कर से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिये।

{ श्री श्रीचन्द्र गोयल पीठासीन हुए
Shri Shrichand Goyal *in the Chair.* }

बागान भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आयेंगे। सरकार को इन पहलुओं पर विचार करके ठीक निर्णय करने चाहिये। सरकार को आयकर की छूट की सीमा 7500 रुपये तक बढ़ा देनी चाहिये। भूतलिंगम समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। इससे कर एकत्र करने में होने वाले परिश्रम में बहुत कमी हो जायेगी।

सरकार ने अपने उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार हेतु कोई उपाय नहीं किये हैं। हमें बताया जाये कि सरकार इस बारे में कदम उठाने जा रही है। इन उपक्रमों की बहुत अधिक आलोचना हो रही है।

हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था। प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने उसमें भाग लिया था। सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों ने भी उसमें भाग लिया था। क्या ऐसा किये जाने के लिये सरकार ने कोई हिदायतें जारी की थीं ? उनका व्यय किसने उठाया था ? सरकार राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनता के धन से इस प्रकार खिलवाड़ कर रही है। यह ठीक नहीं है। सरकार जो नये इस्पात संयन्त्र लगाने जा रही है, उनके स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

यदि आधार यह है कि हमें विभिन्न राज्यों में अपने उद्योग स्थापित करने चाहिए और जैसा कि श्री नायडू जोर दे रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में इस्पात का एक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे इससे देश की अर्थव्यवस्था नष्ट ही क्यों न हो जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उद्योगों की स्थापना राज्यों के आधार पर अथवा राजनीतिक आधारों पर अथवा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखकर आर्थिक आधारों पर की जायेगी। तमिलनाडु के मंत्री कहते है कि हम केन्द्र में सरकार का समर्थन करते हैं और केन्द्रीय सरकार हमें असंतुष्ट नहीं कर सकती इसीलिए वह सलेम में इस्पात का कारखाना स्थापित करने पर सहमत हुई है।

श्री एस० कन्डाप्पन (मैट्टूर) : तमिलनाडु के मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा था कि हमने इसके लिए संघर्ष किया था अतः इसे प्राप्त कर लिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सरकार यही चाहती है कि रेलगाड़ियों को जलाया जाये, आन्दोलन किये जायें। 1964 में उड़ीसा के राज्यपाल श्री खोसला ने जो कि स्वयं एक तकनीकी

व्यक्ति थे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बोनाई और नयागढ़ में जहां कि 29,000 मिलियन टन के निक्षेप प्राप्त हैं आसानी से एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा सकता था, यह स्थान रूरकेला के निकट भी है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मेरे विचार में इनमें से किसी स्थान पर इस्पात कारखान स्थापित करने की बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, परन्तु इसकी पूर्णतया उपेक्षा की गई। मंत्री महोदय ने इस बारे में केवल इतना कहा है कि उड़ीसा सरकार ने अपने प्रस्ताव केवल 5 मार्च को ही प्रस्तुत किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयं पहल कर था ऐसे उद्योगों को उचित स्थानों पर स्थापित नहीं करेगी अथवा वह यह देखेगी कि कोई राज्य सरकार विशेष अपने राज्य में ऐसा उद्योग स्थापित करना चाहती है अथवा नहीं।

इस्पात उद्योग की स्थिति पहले ही खराब है। और बोकारों परियोजना असफल हो रही है और सरकार उसमें राजनीति का प्रवेश कर रही है। हम नहीं जानते कि बोकारों परियोजना किस वर्ष में बनकर तैयार होगी। मैं जानना चहाता हूं कि इन इस्पात कारखानों की स्थापना के स्थान के बारे में निर्णय करते समय सरकार द्वारा उन मामलों की जो कि उनके मंत्रालय तथा योजना आयोग के समक्ष पड़े हैं उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं। यदि सरकार केवल आन्दोलन की भाषा ही समझती ही है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उड़ीसा में भी इस्पात कारखानों के लिए आन्दोलन होगा और अन्ततः सरकार को वहां पर इस्पात कारखाना स्थापित करना पड़ेगा।

Shri V. B. Tarodekar (Nanded). I congratulate the Hon. Prime Minister for giving some concessive in the duties on tea and commodities, exempting the industries who produces goods only worth 2 lakh rupees nationalizing the banks and raising the limit of income-tax from 4200 to 5000 rupees keeping in view the wishes of the people. The people engaged in agriculture are now getting loan facilities from the nationalized banks.

Heavy penalties were introduced at the time of Shri Desai for filing the income tax return late or giving the wrong assessment. There is a need to modify rules relating to penalties.

So far as agricultural wealth tax is concerned I may say that it will adversely affect the production and cases of income tax payers will be increased by fifty thousand to one lakh. The poor agriculturists will have to pass through if all hardship of filing the income tax return and many other things. Heavy penalties will be imposed on them if they file the returns late or even if returns are filled converty. So all these things will adversely affect the production. I will, therefore say that this tax should be withdrawn.

At the time of merging of Marathwada with Maharashtra an agreemeet was reached at with the railways that they will spend the cashing from this area on the extention of railway lines in this area. But although the period of twelve to fourteen years has already elasped yet no extention of railway line has taken place. No broadguage line has been sanctioned for this area although there was a demand for one such line i. e. Manmad Madkhed broadguage line. No public sector industry has been set up in this area. I will request the Hon. Minister to pay some attention to this backward and do something for the upliftment of the people there.

The Central Government should start some building or telephone works in this area to provide employment to the people who have been rendered jobless due to the recent floods. The Government should give assistance to this area as is being given by it to other States such as Rajasthan.

The Government should start small scale agro-based industries in villages to check the migration of educated youth to cities. It will also help in checking the unemployment in cities.

The problem of Krishna and Godavry rivers is hanging five since long. It should be solved as soon as possible. The Government should also sanction various insation projects which are awaiting their clearance. The Kayadu project should be converted into a centrally sponsored project.

The Central Government should also assist the Government of Maharashtra for monopoly procurement of cotton so that the agriculturist could get fair price.

While concluding I thank you, Sir for affording me an opportunity to speak.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : राजनीतिज्ञों में यह गलत धारणा बन गई है कि कृषि क्रान्ति के कारण किसान बहुत धन कमा रहे हैं। लगभग 85 प्रतिशत लोग अभी भी कृषि पर निर्भर करते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग कृषि के बारे में कुछ भी नहीं जानते वे लोग उन पर हुक्म चलाते हैं और वे कृषि को बहुत हानि पहुँचा रहे हैं।

पिछले वर्ष श्री मोरारजी देसाई ने जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, कृषि सम्पत्ति कर तथा उर्वरक कर लगाया था। उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि ये कर श्री मोरार जी ने लगाये हैं और प्रधान मंत्री को किसानों से बहुत सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि अब जबकि मोरारजी भाई मंत्रिमंडल में नहीं हैं प्रधान मंत्री इस कर को समाप्त कर किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायें, प्रधान मंत्री ने बड़े बड़े फार्मों को तो छूट दे दी है परन्तु किसानों को नहीं। मैं चाहता हूं कि वह बड़े बड़े फार्मों पर कर लगायें और गरीब किसानों को इस कर से मुक्ति प्रदान करें। किसानों ने पिछले दो अथवा तीन वर्षों में जो थोड़ा बहुत धन कमाया भी है वे उसको भूमि को समतल बनाने, कुओं को गहरा करने तथा ट्रैक्टर खरीदने पर व्यय कर रहे हैं। अतः इस समय उन पर इस प्रकार का कर लगाना गलत होगा। इन किसानों पर राज्यों द्वारा पहले ही बोझ बढ़ा दिया गया है। अनेक राज्यों में भू-राजस्व को दुगुना अथवा इससे भी अधिक कर दिया गया है। क्या इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर कर लगाना उचित होगा ? राज्यों की मुख्य आय भी यही है। मेरा निवेदन है कि इस कर को समाप्त किया जाये।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री गन्ने के बारे में कुछ भी नहीं जानतीं। शायद यही कारण है कि उन्होंने गन्ना उगाने वालों की अपेक्षा छापरवुड उगाने वालों को अधिक सुविधायें प्रदान की हैं। गन्ना उगाने के लिए अधिक पानी, खाद तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है।

भारत में उर्वरक का मूल्य विश्व के सब देशों से अधिक है। यह कहना गलत है कि केवल समृद्ध किसान ही उर्वरक का प्रयोग करते हैं। वास्तव में निर्धन किसान अधिक उपज पैदा करने के लिए उर्वरक प्रयोग करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उर्वरक कर को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि गरीब किसान इसका लाभ उठाकर खाद्यानों का अधिक उत्पादन कर सकें।

प्रधान मंत्री ने अपने बजट भाषण में बारानी खेती के क्षेत्रों को कुछ राहत अथवा सहायता देने की बात कही थी। शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में मूंगफली के तेल के बीज तथा

अन्य ऐसी ही चीजों का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक मूंगफली का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सरकार तेल के बीजों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे।

सरकार इन सभी करों की वसूली हमारे विकास के लिए नहीं अपितु रूस के लोगों के विकास के लिए कर रही है। प्रत्येक रूसी इन्जिनियर को 35,000 प्रति मास तथा वातानुकूलित कमरे दिये जा रहे हैं। इतने रुपयों से हम अपने 70 बेरोजगार इन्जिनियरों का पेट पाल सकते हैं। रूस ने हैदराबाद तथा ऋषिकेश के ड्रग्स बनाने वाले कारखानों में पुरानी तथा बेकार मशीनें लगाई हैं। इन मशीनों को चीन ने अस्वीकार कर दिया था।

जहां तक निगमित निकायों का सम्बन्ध है अतिथि गृहों की रियायत को समाप्त करने के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को अतिथि गृह की रियायत दिये रखने की बात मेरी समझ में नहीं आई। अतिथि गृहों का दुरुपयोग होता है। इस बारे में मेरे साम्यवादी मित्र की शिकायत कर चुके हैं।

मैं प्रधान मंत्री से पुनः अपील करूंगा कि कृषि धन कर को समाप्त किया जाये।

Shri Mrityunjang Prasad : (Maharaj-ganj) : The situation in Bengal has taken a very serious turn and as a result thereof life and property is not safe there. But it is being said that is all due to economic distress. Although the people of this area are being exploited economically for centuries together yet such a situation has never arisen. In my view some vested interests are now exploiting the situation for their own selfish ends. The names of Gandhi, Subhash and Tagore are being moliguard and pro-Mao slogans are being raised. I will, therefore say that the country is faced with an external threat from both China and Pakistan. Their agents are not only active in Bengal only but they are also active in Andhra Pradesh and Bihar. Although such elements should have been dealt with strong bands yet the Hon. Prime Minister is not doing the needful because she has to depend on the support of communists in Parliament to remain in power. The Government is paying a heavy price to them in one form or other for the support which it is getting here. Once they are denied the price they will withdraw their support to the Prime Minister.

The Hon. Prime Minister is responsible for splitting the party as she worked for the defeat of the candidate whose nominations papers were filled by her. This has its effect or other parties also indiscipline can be seen any where now.

So far as public undertaking are concerned it is not correct to say that they are being set up at the places where others are not prepared to establish the industries. Cost of production in Bhillai, Durgapur and Rurkela units is much higher as compared to Tisco. The cost of production in Bokaro steel plant which is under construction is still going to be higher. These factories have also failed in solving the unemployment problem. Almost all the factories except one or two are not working at their full capacity.

So far as the question of establishing the three new steel plants are concerned I want to know as to whether this has been decided by the Hon. Prime Minister cabinet or the planning commission. Most astonishing aspect of this decision is this that their location has also been decided. In view it is a political decision and not an economic one. The Chairman of the Hindustan Steel limited is as non technical person. He is simply a berristar May I know whether these people who are make technical persons will

be able to run these plants. efficiently and profitably. Taken have been benefited by the increase in steel prices as the Government plants have only been able to make up their losses. I will request that these plants may be run efficiently.

चुनाव चिन्हों के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के बारे में

RE : INTERIM ORDER OF MADRAS HIGH COURT ABOUT ELECTION SYMBOLS

डा ० रामसुभग सिंह (बक्सर) : आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने विधि मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने को कहा था। मेरे विचार में माननीय मंत्री अब उच्च न्यायालय के निर्णय पर वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको आज अभी इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय : वह कल वक्तव्य देंगे।

डा० रामसुभग सिंह : यह गलत बात है क्योंकि यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। अन्तिम आदेश 30 तारीख को जारी किया गया था और चुनाव प्रक्रिया कल आरम्भ होनी थी। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् चुनाव आयोग ने समूची कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। यह एक षडयंत्र है और इसको सफल नहीं होने देना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि वक्तव्य आज ही होना चाहिए।

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैंने विधि मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया था और उनको समय की उत्सुकता के बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा आदेश नहीं है जिसे मंत्रालय द्वारा पास किया गया हो। वह इसकी जांच कर रहे हैं और वह कल तक पूरी जानकारी दे देंगे।

डा० रामसुभग सिंह : यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। उनको और समय नहीं दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय संसद कार्य मंत्री ने कहा है कि विधि मंत्री वक्तव्य देने को उत्सुक हैं परन्तु वह पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके।

डा० रामसुभग सिंह : उनके पास पूरी जानकारी है। वह तथ्यों को छिपा रहे हैं।

सभापति महोदय : आपकी भावनाओं को उन तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : क्या कारण है कि वह चुनाव आयोग से जानकारी एकत्र नहीं कर सके।

सभापति महोदय : आपके नेता बोल चुके हैं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मामला क्या है ?

सभापति महोदय : आज सुबह विरोधी दल के नेता तथा उनके साथियों द्वारा यह मांग की गई थी कि कांग्रेस के किसी एक ग्रुप को चुनाव चिन्ह अलॉट करने के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस बारे में विधि मंत्री एक वक्तव्य दें ।

डा० रामसुभग सिंह : अन्तिम आदेश में चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि वह तमिलनाडु के चुनाव अधिकारी को यह न कहें कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक वह तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पंजाली के साथ बैलों के चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति न दे । परन्तु चुनाव आयोग ने 27 तारीख को यह घोषणा करदी थी कि समूची चुनाव प्रक्रिया 4 तारीख को आरम्भ होने जा रही है । अब यह कहा गया है कि उसको स्थगित कर दिया गया है । लोकतंत्र में ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई । अतः हमने सोचा कि यह एक षडयंत्र है । इससे सम्बन्धित प्रत्येक कागज चुनाव आयोग में उपलब्ध हैं । अतः मैंने मांग की है कि माननीय मंत्री को आज ही वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री रघुरामैया : मुझे खेद है कि षडयंत्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है । विधि मंत्री ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि विधि मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । वह इस बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं यदि उनके पास जानकारी होती तो वह इसको सभा के समक्ष रख देते । यदि माननीय सदस्य कुछ धैर्य रखें तो उनको कल पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

डा० रामसुभग सिंह : यदि वह चुनाव आयोग से जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते और वक्तव्य देना नहीं चाहते तो चुनाव की प्रक्रिया को कल रद्द करने के क्या कारण हैं । हमारे लिए इस बारे में सहयोग देना कठिन हो जायेगा ।

श्री रघुरामैया : वह वास्तव में इसी बात का पता लगाकर उसको सभा के समक्ष रखना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : आप किसी मंत्री को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वह वक्तव्य दे ।

423. Shri Rabi Ray (Puri) : I rise on a point of order. The Hon. Speaker has ordered in the morning that the Hon. Law Minister should make a statement of their subject. You direct him to make a statement to day.

Mr. Chairman : He has to collect full information. He has to collect information from kerala also.

डा० रामसुभग सिंह : जब तक विधि मंत्री बक्तव्य नहीं देते हम कार्यवाही आगे चलने नहीं देंगे ।

श्री प्रीलु मोडी (गोधरा) : आज सुबह एक वचन दिया गया था उसको पूरा किया जाना चाहिए । अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप माननीय विधि मंत्री को आदेश दें कि वह यहां पर उपस्थित होकर इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

सभापति महोदय : उन्होंने यह वचन नहीं दिया था कि माननीय विधि मंत्री आज वक्तव्य देंगे ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तर) : अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विधि मंत्री को आज वक्तव्य देना चाहिए ।

डा० रामसुभग सिंह : यदि जानकारी एकत्र करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है तो मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ ।

सभापति महोदय : आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

डा० रामसुभग सिंह : प्रधान मंत्री महोदय उपस्थित है । वह मुझे बता दें कि मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि वह लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का उलंघन करना चाहते हैं तो हम उनसे सहयोग नहीं कर सकते ।

सभापति महोदय : विधि मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । उनके पास जो भी जानकारी है वह उसको सभा के समक्ष रखें ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह पहला अवसर है जब कि देश के सभी वर्गों के लोगों द्वारा बजट को अच्छा कह कर उसका स्वागत किया गया है । दूसरे, बजट को पेश करने के बाद, देश में व्यापारी समुदाय से सम्बन्धित शेयर बाजार का रूख भी अनुकूल रहा ।

वित्त विधेयक का उचित मूल्यांकन करने के लिए, इन वास्तविकताओं को समक्ष रखना है—पहली है, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी जो रिजर्व बैंक के अनुसार आजकल 126 लाख के करीब है । दूसरी, देश में प्रति व्यक्ति की आय में स्थिरता जो स्थिर कीमतों के हिसाब से 319 रुपये है यह 1964–65 के आकड़ों 333.6 रुपये से भी कम है । तीसरे, सरकारी और निजी बचतों में कमी का होना है । जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, प्रबन्धकों और उसके संचालन करने वालों को सरकारी प्राधिकारियों पर निर्भर करना पड़ता है । अतः साधनों को एकत्रित करने के लिए भी उन्हीं की जिम्मेदारी है ।

हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रधान और मुख्य भाग गैर–सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध होता है । अतः वित्तीय नीति इस तरह निर्धारित होनी चाहिए जिससे निजी क्षेत्र की पूंजी उत्पादकता तथा राष्ट्रीय वृद्धि में सहयोग दे सके । अतः जहां तक गैर–सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमने योजनाओं में अनुमान लगाया था कि वृद्धि दर 5½ प्रतिशत तथा निवेश 9,000 करोड़ रुपये के लगभग होगा । अतः ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिससे बचत में वृद्धि हो क्योंकि निजी क्षेत्र की बचत को सरकारी क्षेत्र में लगाना होगा । इस समय हमारी सरकारी बचत केवल 6 प्रतिशत है जबकि पहले यह आठ प्रतिशत थी । यदि हम योजना के निधारित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस बचत को 16 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ेगा वर्तमान बजट में विभिन्न स्रोतों से केन्द्रीय योजना में 1487 करोड़ रुपये के साधनों का अनुमान लगाया गया है । चालू राजस्व से शेष तथा अतिरिक्त करों के जोड़ने से 465 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी ।

दूसरे, राज्य बजट के अवलोकन से उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय और निराशाजनक प्रतीत होती है। हम राज्यों से अतिरिक्त साधनों के जुटाने से 340 करोड़ रुपये की राशि की आशा करते थे लेकिन ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत वर्ष 317 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को साधनों से जुटाने के लिये रखी गई थी लेकिन वे केवल 60 करोड़ रुपये ही जुटा सके। शेष राशि को केन्द्र द्वारा ही दिया गया।

अतः यह घाटा 225 करोड़ रुपये तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। यह घाटे का बजट बढ़ेगा तथा अधिक मुद्रा के परिचालन से कीमतों में वृद्धि होगी। यदि कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है तो उन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होगा। योजना के प्रथम दो वर्षों में हमने 4,876 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है अगले शेष तीन वर्षों के लिए 10,995 करोड़ रुपया रह जाता है अर्थात् प्रत्येक वर्ष की औसत राशि 3,665 करोड रुपये बनती है। घरेलू बचत को 14 से 16 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिये। यदि यह संभव नहीं हुआ तो हम अपने योजना के कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे तथा परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या भी हल नहीं हो पायेगी।

कृषि आवासों को हमने करों से छुट दे दी है तथा कृषि भूमि को ग्रामीण क्षेत्र के हवाले कर देने पर भी कर में छूट दी गयी है। शहरी इलाकों में भूमि की कीमत में इतनी भारी वृद्धि हुई है कि इस पर कर में छूट देना गलत चीज है। यदि हम अपनी योजना को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अच्छे साधन स्रोतों की आवश्यकता है, अतः उन्हीं क्षेत्रों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जहां इसकी वस्तुतः जरूरत है।

वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि पिछले क्षेत्रों को कर में छूट सम्बन्धी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये जिससे औद्योकरण में वृद्धि हो सके। आय-कर में छूट, आयात-शुल्क में छूट और यातायात अनुदान में भी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा सुझाव समिति ने दिया है। इन सुविधाओं के न मिलने से मेरे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में कुछ विकास नहीं हो रहा है। औद्योगिक विकास में हमारा योगदान 1.81 प्रतिशत है जहां, दूसरी ओर महाराष्ट्र का योगदान 23 प्रतिशत है।

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि हमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पैट्रो-रासायनिक मिश्रण और तेल-शोधक कारखाने को लगाने के लिये शीघ्र ही अनुमति प्रदान की जाये। लाल बहादुर शास्त्री के समय काल से ही हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि आसाम में कागज का कारखाना तथा सीमेंट फैक्टरी स्थापित की जायेगी परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः इन पिछले क्षेत्रों में विकास लाने के लिए यह आवश्वक प्रतीत होता है कि कुछ ठोस कार्य किया जाए।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता शहर को सुव्यवस्थित ढंग से पुनर्गठित किया जाए। नक्सलवादियों पर आरोप लगाने से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला है। हतोत्साहित युवक जनों का क्रोध और निराशा ही उस क्षेत्र में होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : हमारी अर्थव्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में स्थिरता जैसी स्थिति से लगभग सभी वस्तुओं की कमी हो गई हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, मुद्रा-स्फीती के कारण सभी वस्तुओं के मूल्य में चहूं ओर वृद्धि हुई है। निर्यात घट रहा है और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है।

भारत में लगभग 80 प्रतिशत जनता के पास पर्याप्त आवास सुविधायें नहीं हैं। नये-कर प्रस्तावों का भवन-निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जहां तक अतिरिक्त सम्पत्ति कर का सम्बन्ध है मकान मालिक अतिरिक्त कर नहीं दे पायेंगे। क्या उनके मकानों और सम्पत्ति का नीलाम किया जायेगा ? इतना ही नहीं उन मकानों को कोई खरीदेगा भी नहीं क्योंकि जो भी इन मकानों को खरीदेगा उसको भी इन करों का भुगतान करना होगा।

जहां तक नगरीय सम्पत्ति का सम्बन्ध है, अर्थव्यवस्था की प्रगति के भागीदार किसानों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इस व्यवस्था से बागान भी काफी सीमा तक प्रभावित होंगे। यह अतिरिक्त सम्पत्ति कर निगमित क्षेत्र अर्थात् लिमिटेड कम्पनियों के मामले में लागू नहीं होता है। निगमित क्षेत्र के स्वामित्व वाली किसी भी बागान-भूमि पर यह कर देय नहीं होगा। लेकिन वैसी ही बागान भूमि, जिसे व्यापारिक फसलों के उत्पादन के वैसे ही प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इस पर यही कर देय होगा, यदि यह व्यक्तियों के स्वामित्व में है। और यदि यह फर्मों के स्वामित्व में है। यह उपबन्ध बड़ा अनूठा जान पड़ता है। जो निगमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं ; स्पष्टतः ही उनके साथ भेदभाव बरता गया है।

आय-कर के सम्बन्ध में पतियों और पत्नियों की आय को एक साथ मिला कर महिलाओं के प्रति बड़ा अन्याय किया गया है। इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

नये कर प्रस्ताव किस सीमा तक समाज की बचतों को कहां तक प्रभावित करने जा रहे हैं ? किसी समृद्ध व्यक्ति पर जिसकी कुछ सम्पत्ति है, अब शत प्रतिशत से अधिक कर लगेगा। अतः बचत के लिए प्रोत्साहन और उपार्जन के लिए प्रोत्साहन को पूरी तरह खो दिया गया है। इन व्यवस्थाओं के लागू होते जाने से कोई भी अच्छा वैज्ञानिक अथवा तकनीशन और अधिक यहां रहने का इच्छुक नहीं रहेगा। अतः इन सभी व्यवस्थाओं से इस देश से प्रतिभा निकास की गति और तेज हो जायेगी।

निगमित क्षेत्र पर करारोपण का प्रभाव विभिन्न तरीकों से काफी अधिक बढ़ गया है। नये इक्विटी शेयरों के रखने वालों के संबंध में कर ऋण प्रमाण-पत्रों को बन्द करने की एक विशेष व्यवस्था से देश का निवेश वातावरण प्रभावित होने जा रहा है और इससे नये उद्योगों के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि किसी भी नये उद्योग के लिए पहले कुछ वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसे इन नये उद्यमों के 'इक्विटी शेयरों' की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए और उन हिस्सेदारों को मुआवजा देने के लिए, जिनको इसके विपरीत कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं होगा, यह कर ऋण प्रमाण-पत्र योजना, जिसमें उस व्यक्ति को जिसके 35,000 रुपये के शेयर हैं, 1250 रुपये का लाभ होगा, आरम्भ की गई थी। अब यह सुविधा वापिस ले ली गई है। इसका प्रभाव यह होगा कि इन नये इक्विटी शेयरों में निवेश समाप्त प्रायः हो जायेगा।

जहां तक परोक्ष करों का सम्बन्ध है, इनका प्रभाव समान रूप से कठोर होगा : केवल उत्पादन शुल्क से ही 130 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह कहना गलत होगा कि उत्पादन शुल्क को इस सीमा तक लागू करने से मूल्य नहीं बढ़ेंगे। अल्यूमिनियम, पेट्रोलियम उत्पाद और परिरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे पदार्थ सामान्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं और इन पदार्थों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने जा रही है।

अब प्रश्न यह है कि निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? वर्ष के आरम्भ में यह आशा की गई थी कि हम निर्यात में लगभग 7 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि पिछले 3 या 4 मास के कार्य को देखा जाये, तो स्पष्ट हो जायेगा कि निर्यात में कमी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इस वर्ष निर्यात में 4 प्रतिशत की वृद्धि भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो देश के लिए यह एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। यह इसलिए है कि एक ओर तो वस्तुओं की कमी है और दूसरी ओर हम विश्व की मण्डियों में प्रतियोगिता में नहीं ठहर पाते।

हमें इस पर भी विचार करना है कि इन सुझावों का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्यों ये कराधान सुझाव विकास कार्य के लिए, नये उद्योगों का निर्माण करने के लिए और विभिन्न आर्थिक कार्यवाहियों के लिये समर्थ होगें। विकास के लिए उनमें बिल्कुल प्रोत्साहन दिखाई नहीं दे रहा है और बेरोजगारी की समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 50 लाख थी और आज यह संख्या डेढ़ करोड़ है। यदि बेरोजगारी की यही स्थिति चलती रही तो देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह संख्या 2 करोड़ 80 लाख हो जायेगी।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के कारखानों के कार्यकरण और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का सम्बन्ध है, सामाजिक शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के निदंकों की आलोचना की और उन पर सोद्देश्य आलोचना का आरोप लगाया। लेकिन उनके इस क्रोध से सरकारी क्षेत्र के कार्य को सुधारने में सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 'एम० ए० एम० सी०' पहले ही कुल मिला कर 20 करोड़ रुपये की हानि उठा चुका है। इसमें निर्धारित क्षमता का केवल 11 प्रतिशत उत्पादन होता है और अन्त में सरकारी उपक्रम समिति ने, एम० ए० एम० सी०' को बन्द करने की सिफारिश की है।

बोकारो के सम्बन्ध में भी सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रथम चरण को पूरा करने के पश्चात् इसमें 20 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होती रहेगी। इसके प्रथम चरण पर मूलतः 590 करोड़ रुपये का निवेश होना था और अब इस पर 1000 करोड़ रुपये लग चुके हैं। ऐसे अन्य बहुत से मामले हैं। यदि सरकारी क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, तो निस्सन्देह यह क्षेत्र न केवल अर्थव्यवस्था के विकास में कोई भी अंशदान देने में असमर्थ होगा अपितु इस में निश्चय रूप से बाधक होगा जब तक देश की अर्थव्यवस्था पर विश्व में घट रही घटनाओं के संदर्भ में बिचार नहीं किया जायेगा, तब तक उन परिस्थितियों को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकेगा जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था पनप रही है। विश्व युद्ध के पश्चात् जापान ने 15 प्रतिशत प्रगति की हैं और उनकी बचत राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत है जो कि हमारे देश में केवल

8 प्रतिशत है। इस्पात के सम्बन्ध में भी अन्य देश बहुत आगे बढ़ गये हैं। आठ वर्ष पूर्व निर्यातक देशों में हमारा स्थान 15वां था और अब 22वां है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में 22 वर्ष पूर्व हमारा स्थान 5वां था और अब नवां है। हमारे देश में 71 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और अमरीका में केवल 5 प्रतिशत अर्थव्यवस्था को प्रगति के लिए समुचित निर्देशन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें जिनमें मनुष्य काम कर सके, उपार्जन कर सके और अपनी बचत को फिर से विनियोजित कर सके।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : स्वतन्त्र दल के एक माननीय सदस्य ने हमारी अर्थ-व्यवस्था की बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति बताई है। श्री दांडेकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा है कि उपार्जन किये हुए प्रति सौ में से कोई भी व्यक्ति कर देने के पश्चात् केवल $6\frac{1}{2}$ रुपये ही बचा पाता है। यह केवल कुछ सीमा तक ही ठीक है। वैयक्तिक आय कर के मामले में हमें इस पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है। उत्पादन के सम्बन्ध में उद्यमियों और उद्योगों को तीन कारण ध्यान में रखने पड़ते हैं—वे हैं, पूंजी निवेश, प्रबन्धक और श्रमिक। मेरा अनुमान है कि प्रबन्धक सोचते हैं कि उनका ही महत्व हो और दूसरे दो कारणों की गिनती नहीं होनी चाहिए वस्तुतः यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है।

यह तर्क दिया जाता है कि आय-कर की अधिकतम सीमान्त दर 2.5 लाख रुपये पर 82.5 प्रतिशत है जो कि अब बढ़कर 2 लाख रुपये पर 93.5 प्रतिशत हो जायेगी। यह सत्य है। लेकिन कर ढांचे का वास्तविक मूल्यांकन वह नहीं है जो कर द्वारा वापिस ले लिया गया है, लेकिन व्यक्तियों के पास शेष क्या बच रहता है। केवल 40,000 रुपये के खण्डों से ऊपर कर की दरें बढ़ा दी गई हैं। एक ऐसे देश में, जहां प्रति व्यक्ति आय केवल लगभग 545 रुपये प्रतिवर्ष है, हम कुछ व्यक्तियों को बहुत ऊंची आय देने की अनुमति नहीं दे सकते। एक व्यक्ति, जिसकी आय 50,000 रुपया प्रतिवर्ष है, उसके पास 31,300 रुपया अब भी शेष रह जाता है, इससे 2,608 रुपये प्रति मास औसत रह जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय की 57.4 गुणा है। एक व्यक्ति, जिसकी आय 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष है, उसके पास 42,800 रुपया अब भी शेष रह जाता है, इससे 3,566 रुपये प्रति मास औसत रह जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय की 78.5 गुणा है। एक व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष है, उसके पास 74.300 रुपये अब भी शेष रह जाता है, इससे 6,191 रुपये प्रति मास औसत रह जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय की 163.3 गुणा है। और इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसकी आय 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष है, उसके पास 106,800 रुपया अब भी शेष रह जाता है, इससे 8,900 रुपये प्रति मास औसत रह जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय की 196 गुणा है। **(व्यवधान)**

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : उन्हें गांधीजी का उद्धरण देने दीजिए।

श्री हनुमन्तैय्या (बंगलौर) : मेरे माननीय मित्र ऐसा समझते हैं कि मंत्रियों के वेतन की आलोचना करते समय वे ठोस तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं परन्तु गांधीजी ने 500 रुपये मंत्रियों के वेतन के रूप में देने का सुझाव दिया था उस समय को आज लगभग चालीस वर्ष व्यतीत हो गये हैं तथा चालीस वर्षों पहले जब 500 रुपये दिये जाने थे तो अब रुपये का मूल्य गिर जाने से यदि वे तीन चार गुना अधिक भी लेते हैं तो वह राशि उसी 500 रुपये जैसी ही है। परन्तु

आई. सी. एस. अधिकारियों के बारे में क्या है ? सरकारी सेवाओं में उन्हें उच्चतम वेतन दिया जाता है फिर भी वे गैर सरकारी क्षेत्रों में अपने वेतन की दो-तीन गुना अधिक धनराशि लेने के बारे में सोचते हैं। ये उद्योग इस परिमाण में न केवल उच्च वेतन ही देते हैं अपितु वेतन के अतिरिक्त सुविधायें भी बहुत अधिक हैं।

मैं श्री नारायण दांडेकर से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों को मुफ्त आवास, मुफ्त कार आदि की सुविधायें नहीं दी जायें ? क्या मंत्रिमंडल पर स्तर के मंत्री औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबन्धकों से कम योग्य है जिन्हें सम्पूर्ण भारत के लिये अपने विभाग का काम करना पड़ता है।

सौभाग्य से वह स्वतन्त्र दल के नेता भी हैं तथा उड़ीसा में इनके दल की सरकार भी है। क्या उन्होंने हाई कमान द्वारा उड़ीसा में स्वतन्त्र सरकार को वेतन प्रणाली में कोई परिवर्तन करने के कभी कोई अनुदेश दिये हैं ? यदि उड़ीसा में स्वतन्त्र सरकार इसमें कोई परिवर्तन करे तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के वेतन के बारे में हम भी उसी ढंग से विचार करेंगे।

साथ ही मंत्रिगण औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबन्धकों की तरह वर्षों तक सेवा के लिये नियुक्त किये नहीं जाते हैं। वे तो 5 अथवा 10 वर्ष तक रहते हैं तथा न उनकी कोई पेंशन होती है और न ही प्रोविडेन्ट फण्ड। फिर यदि उन्हें थोड़ी सुविधा दी जाये तो उन्हें अलोचना का विषय क्यों बनाया जाता है ? सरकार तो ऐसी नीति अपनाती है ताकि कुछ विशेष हाथों में ही धन इकट्ठा नहीं हो। सरकार ने पूंजीवादी समाज बनाने का विकल्प नहीं किया है बल्कि समाजवादी समाज बनाने का किया है।

हमें इस बात पर गौर करना होगा कि सरकार का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक उपाय देश को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की ओर ले जाता है। यदि वे केवल कल्पना तो इस बात की करे कि हमें समाजवादी समाज का निर्माण करना है और तर्क पूंजीवादी समाज के लिये दें तो उनका आधार ठोस पर नहीं होगा।

मैं उन्हें याद दिला दूं कि कांग्रेस के सदस्य होने की हैसियत से संविधान की शपथ ली तथा उन्होंने भी ऐसा ही किया था। यदि वे समाज की पूंजीवादी पद्धत्ति के लिये तर्क प्रस्तुत करें तो वे उस संविधान के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं जिसमें आर्थिक न्याय की गारंटी दी हुई है। डा० सुशीला नयर ने वातावरण की शुद्धता के लिये तर्क प्रस्तुत किये। जलवायु तथा अन्य वातावरण अशुद्ध होते जा रहे हैं, यहां तक कि गंगा तथा यमुना का पानी भी गंदगी डाला जाकर विष बनाया जा रहा है। क्या हम पाश्चात्य लोगों को नहीं देखते हैं जो शुद्धता के लिये लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं ?

यह सारा वातावरण का दोष शहरीकरण की वृद्धि के कारण हो रहा है। बड़े बड़े नगरों तथा शहरों में उद्योग-धंधे एकत्रित कर दिये जाते हैं। परिणाम स्वरूप वातावरण दूषित हो रहा है। इसे रोकने का एक ही उपाय है कि गांवो में आबादी बढ़ानी होगी तथा लघु उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। मैंने सरकार के समक्ष लघु उद्योगों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा आशा है कि सरकार उसमें की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी ?

यह देश कृषि प्रधान देश है तथा सरकार को अन्य धंधों में से कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे पर्याप्त खाद्यान्न हो सके तथा उसमें पर्याप्त कैलोरी हो। यदि सरकार कृषि क्षेत्रों पर लगे करों में कुछ रियायत कर दे तो लोगों में प्रोत्साहन प्रस्फुरित होगा तथा वे गांवों में जाकर कृषि करेंगे तथा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे तथा शहरीकरण समाप्त हो जायेगा। इसलिये कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा जितनी संभव हो की जानी चाहिये। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण पवित्र होगा तथा शान्ति से लोग जीयेंगे।

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) ; I want to draw the attention of the Prime Minister and the Finance Minister towards the resentment in various sections of people and the various parts of the Country. It was thought that the Finance Bill would open new avenues for removing the political and economical trouble but it appears that the bill would enhance these troubles. It is known from the reports of the committees set up by the Government to investigate the reasons of the political and economical troubles that the basic trouble is the rural trouble. Why it is so ?. It has always been said for the last 22 years that our country is progressing but there is no market within and out side the country for our products. The large scale and small scale industries will develop only when the purchasing power of the people is increased 70 percent or 75 percent people of the total population live in villages. All the measures adopted to improve the agriculture have been proved to be failure and of the rural trouble has become basic trouble. To day we are listening only the slogens of Green Revolution 'etc. but in fact nothing practical is being done. If we contiune to blam others for our shortcomings, no solution of this problem can be done. What is the condition of the small scale industries. So many problems like language, casteisum Cummunalism etc. are there to-day. Industries in Bombay and Calcutta are being closed. The unemployment problem is becoming more acute. During the last 22 years all these problems have be come more complicated and we have achieved not the least success. It is high time to tackle these problems immediately.

Now when the resentment is spreading among people, my hon. friends say that the problem must be dealt with the firm hand. If they go through the history they will know that no problem might be solved with strictness. People outside this Parliament make the notion. When I listen such talks of handling the problems with firm hand, I feel sorry Parliament is not meant for this purpose. They wtll have to solve problem by setting up industry etc. for them.

The Patel Commission was appointed for solving the problems of the eastern Uttar Pradesh and so many hon. Members and Members of each party visited the Hon. Prime Minister. But during these 22 years not even a single industry has been set up there and the problem of proverty is very serious there. How long the people would tolerate such troubles. Our hopes have always been belied during the last 22 years.

I would like to request the Hon. Prime Minister to take step for basic changes and find out such powers which differ from her views. We shall have to defeat these powers. This house is not an ordinary House. The House has to find out the basic reason of the resentment in the people. The hon. Prime Minister must seek the co-operation of Parliament the powers blocks for taking the country out of the political and economical problems and provide jobs for labourers. The Co-operation from all sides will be helpful for making the nation.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, गत 25 वर्षों से पूरा न होने वाले घाटे, नोटों का मुद्रण तथा पैसों की ढ़लाई; सार्वजनिक ऋण ये तीनों बातें एक साथ

हो रही है। मेरा सुझाव इन तीनों को साथ न ले कर एक को लेने के लिये है। देश को शोचनीय अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है और ये तीनों बातें साथ साथ चलती रही तो देश का सर्व नाश हो जायेगा। आज तक सब योजना, परियोजनाएं नष्ट हो गई हैं तथा हमने कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया है। चारों तरफ असन्तोष है तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य सूचकांक बढ़ गया है।

अन्य बात कहने से पूर्व मैं यहां पर इस्पात संयंत्र पर प्रश्न के सदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक विशाखापत्तनम का सम्बन्ध है, अगस्त या सितम्बर 1963 में जब इस बात पर विचार कर रहा था कि पुराने इस्पात संयंत्रों के साथ दो नये संयंत्र और खुलने चाहिये तथा बोकारों को भी साथ में लिया जा रहा था, उस समय श्री सुब्रमनियम ने हैदराबाद की आम-सभा में घोषणा की थी कि सरकार ने विशाखापत्तनम में 15 लाख टन क्षमता का कारखाना विदेशी विशेषज्ञों की राय से खोलने का निर्णय किया है। बाद में श्री सुब्रमनियम ने कह दिया कि यदि वह इसी पद पर रहे तो सलेम में भी इस्पात कारखाना खोलने की सोच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये कारखाने कभी के खुल गये होते तथा आलोचना का विषय नहीं बनते यदि इन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता।

परन्तु मंत्रिगण बदलते रहते हैं और इन दो इस्पात कारखानों के स्थान पर एक कारखाना हुआ, जिसमें एच तथा वी के बीच प्रतियोगिता होती रही तथा 1966 में एक वी भी खोया गया तथा जो 1963 में स्थिति थी उसे उस स्थिति में आने में दो तीन वर्ष और लगे। इसके पीछे राजनीतिक कारण नहीं लगता है परन्तु आर्थिक राष्ट्रीयता दृष्टि से ऐसा किया गया लगता है। योजना आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में तीसरी योजना का मूल्यांकन तथा चौथी योजना के बारे में विचार करते समय ठीक ही कहा था कि सभी के सभी कारखानो को एक ही स्थान पर मत स्थापित करो उन्हें अलग अलग स्थानों पर स्थापित करना चाहिये जिससे कि प्रादेशिक असन्तुलन दूर किया जा सके। इन्हीं आधारों ने इस्पात मंत्री को मार्ग दर्शन दिया। अब माननीय प्रधान मन्त्री को 1963 में किये गये विचार के अनुसार विशाखापत्तनम में 15 लाख टन क्षमता के कारखाने की स्थापना की घोषणा कर देनी चाहिये। पूरा न हो सकने वाले घाटे, नोटों का मुद्रण तथा सार्वजनिक ऋण के अतिरिक्त एक प्रश्न उत्पादन शुल्क का है। सरकार भावी योजना के बारे में, अफसरों से यह पूछे बिना कि कितना उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है, किस प्रकार सही प्रकार से कार्य कर सकती है ? वर्ष प्रति वर्ष उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया जाता है तथा वर्ष के किसी भी महीने, चाहे मार्च हो अथवा दिसम्बर, यह बढ़ा दिया जाता है। मैं प्रधान मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि वह तीन चार वर्षों तक बिल्कुल भी उत्पादन शुल्क नहीं लगाये। जब तक 1600 करोड़ रुपये के इस वर्तमान स्तर को कुछ समय तक के लिये स्थिर नहीं किया जाता है तो सरकारी भावी योजनाओं आदि के बारे में कुछ सोच सकने की स्थिति में नहीं हो सकती है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

हमने सोचा था कि बजट पर सामान्य चर्चा करते समय उत्पादन शुल्क में कमी की मांग पर विचार किया जायेगा परन्तु मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई मांग अब तक नहीं

की गई है। यह बड़ी अजीब बात है। मैं अब समस्त देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में समस्त आवश्यकता की वस्तुओं पर से न केवल उत्पादन शुल्क में वृद्धि कम की जाये परन्तु उत्पादन शुल्क को स्वयं को ही हटा दिया जाये। आवश्कता की किसी भी वस्तु जैसे केरोसीन, चीनी, संरक्षित फल आदि पर से उत्पादन शुल्क कम नहीं किया गया है। संरक्षित फल तो आजकल धनी व्यक्तियों के विलास की वस्तु है जबकि लगभग 40 प्रतिशत फल तो सड़ जाते हैं। सरकार नासिक मुद्रणालय से जो कागज अपने लिए छपवाती है उस पर भी यह उत्पादन शुल्क लगाया हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों नहीं, सरकार विभिन्न विभागों में जो पैसा आंवंटित करती है तथा जो लगभग 7000 करोड़ रुपये के होता है, उस पर भी उत्पादन शुल्क लगा दे ? इससे बहुत पैसा मिल जायेगा।

आय-कर के लिये लम्बे समय से मांग थी कि 7500 रुपये पर आय-कर लगाया जाना चाहिये। मैं भी इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं इससे 4 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान नहीं होगा। यदि 25.000 रुपये से 40.000 रुपये तक की श्रेणी की दर बढ़ाई जाती है तो लगभग 8 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं अतः अधिक हानि नहीं होगी ?

पति-पत्नि की सम्मिलित आय पर कर धनी परिवारों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। केवल मध्यम श्रेणी तथा थोड़ी आय वालों को ही कमाने के लिये विवश होना पड़ता है। धनी व्यक्तियों की पत्नियां कमाती नहीं है।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो बहुत जोश था। एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें बैंक, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकार संगठन सभी शामिल हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दी बस्तियां हटा कर मकान बनाये, पीने के पानी की कठिनाई दूर करे तथा कृषि तथा अन्य आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें।

हम हाल ही में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर चर्चा कर रहे थे। अब तक इन 15–20 वर्षों में केन्द्र की स्थिति एक दानी जैसी रही है तथा राज्यों की दान ग्रहिता जैसी। यह रवैया बदला जाना चाहिये। देश के विकास में राज्यों को संयुक्त भागीदारों के रूप में माना जाना चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो लाभ हुआ है उसे दृढ़ बनाना चाहिये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यह कहने का अवसर मिले कि राष्ट्रीयकरण के ठोस परिणाम निकले हैं।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : 1970-71 का बजट पिछले वर्षों के बजटों से अनोखा है। हालांकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट की आलोचना की है फिर भी सदन के बाहर न केवल पूंजीपतियों ने इसका स्वागत किया है बल्कि अतिवादियों और हमारे दल के 'युवा तुर्कों' ने भी इसके विरोध में कुछ नहीं कहा। कांग्रेस विभाजन के परिणामस्वरूप कई नई कठिनाईयां आईं लेकिन फिर भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया कि बजट देश के विकास में सहायक सिद्ध हो। बजट अच्छा है या बुरा, इसके लिए हमें एक मानदंड बनाना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि क्या बजट उत्पादन में वृद्धि करने वाला है, क्या यह बचत को प्रोत्साहन देने वाला है और क्या इससे देश का विकास होगा ? यदि पूरा विश्लेषण किया जाए तो हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि यह बजट देश को उन्नतिशील बनाने में सहायक है।

पहला बजट स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब दूसरा बजट भी प्रधान मंत्री प्रस्तुत कर रही है। यह बजट हमारी उन्नति का प्रमाण चिन्ह है। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि ब्रिटिश बजट की तुलना में हमारा बजट अच्छा नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दोनों बजटों में पर्याप्त समानता है। दोनों बजटों में छूट सीमा रखी गई है। हमने सामूहिक क्षेत्र पर कोई नया कर नहीं लगाया। ऐसा ही उस बजट में किया गया है। ब्रिटिश में समाजवादी सरकार है और हम भी समाजवाद के पथ पर चल रहे हैं।

मनोरंजन कर-न्यास कर आदि को लेकर इस बजट की आलोचना की गई है। खंडवार विवेचन करते समय इन बातों पर विचार किया जाएगा। मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत मांगों में व्यय में वृद्धि की आलोचना की गई है। प्रत्येक राज्य की मांग है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उसे अधिक अंश दिया जाये। इस्पात संयंत्र लगाने, नहर परियोजनाएं प्रारम्भ करने और उद्योगीकरण करने की मांगें की गई हैं। इसी प्रकार शत्रु देशों से रक्षा करने हेतु अणुबम बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की गई है। यदि हम इन सब उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो करों का होना अत्यावश्यक है। साथ ही साथ हमें धन का पूरा-पूरा उपयोग करना होगा।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, हमारी कर सम्बन्धी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है। हमें इस प्रणाली को त्याग करके कर वसूल करने का एक ढांचा बनाना होगा। हमारे कर सम्बन्धी नियम प्रतिदिन बदले जाते हैं। गत 9 वर्षों में आयकर अधिनियम में 400 संशोधन हुए और तीन सौ उपबन्ध, प्रतिस्थापन एवं परिवर्तन-परिवर्द्धन किये गए। इसी कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्येक व्यक्ति कर देने की प्रक्रिया से घबराता है। अतः हमें प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए नई रूपरेखा बनानी होगी और इसके लिये हमें सैंकड़ों प्रयत्न करने पड़ेंगे।

कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए कई आयोग बनाए गए। 1947 में कर सम्बन्धी जांच समिति बनाई गई। तदन्तर मथाई आयोग स्थापित किया गया। 1959 में त्यागी आयोग एवं उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। 1961 में आयकर अधिनियम बनाया गया जो आजकल प्रयुक्त हो रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस अधिनियम में कुछ गतिशील परिवर्तन लाने की सिफारिश की थी पर हमने उसे नहीं माना। यही कारण है कि हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। हमें इस मामले में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करनी पड़ेगी।

प्रत्यक्ष करों में विस्तार करने हेतु हाल ही में के. एन. वांचु समिति गठित की गई थी। मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी इस मामले को लिया जाए उस पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद निर्णय दिया जाए ताकि ऐसे नियम बनाए जा सकें जो समझने में सरल हों और प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरदायित्वों एवं दायित्वों से अवगत हो सके। प्रत्येक वर्ष हम कर सम्बन्धी नया नियम बनाते हैं। इसके कारण अधिकारियों को बहुत कठिनाई होती है। नियम को वे पूरी तरह समझ भी नहीं पाते कि नया नियम बन जाता है। यहां तक कि कर-परामर्शदाता एवं सलाहकार भी नियम से पूरी तरह अवगत नहीं होते जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नया वित्त मंत्री अपने साथ नये सिद्धान्त लाता है। जब श्री कृष्णमचारी आए तो उन्होंने कालदोर योजना शुरू की। इसके बाद अनिवार्य जमा योजना तथा वार्षिकी जमा योजना प्रारम्भ हुई। परन्तु सभी दोषपूर्ण सिद्ध हुईं। इसका कारण

यह था कि हमारा कानून परिवर्तित हो जाता था। इसके बाद वांचु समिति गठित की गई ताकि देश मे कर सम्बन्धी उचित नियम लागू किया जा सके।

हमारे सामने समस्या कर के बढ़ने या घटने की नहीं है, समस्या है तो वह यह कि हमारे आय-कर अधिकारी क्या अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं ? देखने पर पता चलता है कि उनका नैतिक पतन हो चुका है और वे पूर्णतया असन्तुष्ट हैं। इसका कारण यह है कि वे अधिकारी 15 वर्षों से अपने पदों पर रहकर घोर परिश्रम कर रहे हैं पर उन्हें इसका कोई फल नहीं दिया गया। जब तक उनकी पदोन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक वे अपने कर्त्तव्य निभाने में समर्थ नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की अधिकतम वेतन सीमा 1200 रुपये एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की अधिकतम वेतन सीमा 900 रुपये है। वे करोड़ों रुपयों की राशि का कर निर्धारण करते हैं और उनका उच्च वर्गीय लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। अतः उनके पास कार या मोटरसाईकिल तो होनी ही चाहिए।

जहां तक प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्यप्रणाली का सम्बन्ध है, यह इतनी दोष पूर्ण है कि उच्च न्यायालय के निर्णय तक की उपेक्षा करके ऐसे व्यक्ति पर कर लगा दिया जाता है जिस पर कानून के अनुसार कर नहीं लगाया जा सकता। उन्हें आयकर कानून में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। अतः इस बोर्ड से देश को कोई लाभ नहीं हो सकता।

खान-मालिक सरकार को रायल्टी दिया करते थे। आय कर विभाग ने प्रस्ताव रखा कि इस रायल्टी को आय पर होने वाले व्यय अथवा पूंजी पर होने वाले व्यय के अवक्षयण के रूप में नहीं माना जा सकता। अतः उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा और इसमें कई वर्ष लग गए। यदि विभाग की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

1922 अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आने वाले हजारों मामले अनिर्णित पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन मामलों में निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आय कर विभाग की कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि कर समाहर्ता एवं कर-दाता को एक दूसरे को समझने का अवसर मिले। तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० सुशीला नयर (झांसी) : मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय की मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि परिवार नियोजन के दो महत्वपूर्ण तरीकों-नसबंदी तथा लूप-पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर गर्भ निरोधक सामग्री और गोलियों के प्रयोग में वृद्धि हुई है परन्तु इन गोलियों को लगातार प्रयोग में लाना पड़ता है तभी जन्म-दर को रोका जा सकता है। जब तक जनसंख्या की वृद्धि को न रोका जाये तब तक न तो देश की अर्थव्यवस्था ही सुधार सकती है और न ही व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार किया जा सकता है। इस बात पर गम्भीर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

परिवार नियोजन के कार्य-विकास में कमी आने का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने इस कार्यक्रम को केवल सरकारी कार्यक्रम तक ही सीमित रखा और स्वैच्छिक अभिकरणों को समाप्त कर दिया। कुछ उत्साही अधिकारियों को, यदि वे नसबंदी के लिए अधिक से अधिक व्यक्ति ला सकें, धन दिया जाता है। इस प्रकार वे लोगों को जबर्दस्ती नसबंदी कराने के लिए ले आते हैं। हालांकी ऐसे मामले बहुत कम है जहाँ जबर्दस्ती नसबन्दी की गई हो फिर भी इससे काफी हानि होती है। प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन काम करते हैं, उन्हें मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने के लिए कहा जाता है और इस अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। परिणामतः वे कर्मचारी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा कर वसूल करने सम्बन्धी अपनाई गई नीतियां विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थी। प्रायः ऐसा होता है कि कर लगाने के कारण को तो विस्मृत कर दिया जाता है परन्तु कर लगा रहता है।

प्रधानमंत्री द्वारा अपनाई गई नीति में कहा गया है कि हम प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय भी चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि प्रत्येक कराधान का एक आर्थिक प्रभाव होता है चाहे वह वांछित हो अथवा अवांछित। केवल कराधान ही वांछित परिवर्तनों का एकमात्र उपाय नहीं है। कुछ व्यक्तियों ने सुझाव दिया है कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए तीसरे बच्चे के बाद विशेष कर लगाना चाहिए। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। विधेयक को देखने पर पता चलता है कि सरकार ने गैर सरकारी न्यासों, पूर्व न्यासों आदि में होने वाली गड़बड़ी को कर लगाकर दूर करने की जो बात कहीं है, वह सर्वथा अनुचित एवं अवांछित है। कर लगाने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति धन दे सकता है उस पर कर का अधिक बोझ लादा जाए परन्तु जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रत्येक वर्ष निर्धन व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाता है। चीनी, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ तथा सब्जियों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है जिसका बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। ऐसे कर लगाने से सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो सकती। जो कृषक गन्ना उपजाता है उसे नियन्त्रित मूल्य पर चीनी नहीं मिलती। क्या यही समाजवाद है ? इसी प्रकार मिट्टी के तेल का प्रयोग सामान्य ग्रामीण करता है। इस पर कर लगाना कहाँ तक उचित है। इसी प्रकार पेट्रोल कृषि कार्यों में और बसों आदि में प्रयुक्त किया जाता है। अतः इन वस्तुओं पर कर लगाना उचित नहीं है।

गांवों में पानी सप्लाई करने के कई कार्यक्रम बनाए गए हैं परन्तु उनमें जो उपबन्ध दिए गए है वे बहुत सीमित हैं और यदि कार्यक्रम के अनुसार काम किया जाए तो गाँवों में पानी सप्लाई करने में कई वर्ष लग जाएंगे। अतः उपबन्धों में विस्तार किया जाना चाहिए।

तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार का प्रबन्ध किया गया है। परन्तु उनके बड़े होने पर किसी पोषक तत्त्व का प्रबन्ध नहीं किया गया। अतः इस मामले की जाँच होनी

चाहिए। इसी प्रकार बारानी खेती, नौकरी के अवसर प्रदान करने के बारे में कुछ नहीं किया गया।

सरकार गांवों में कृषि-उद्योग का विकास करना चाहती है। जो खाद्य-पदार्थ या सब्जियां अब उपलब्ध हैं और मौसम के बाद उपलब्ध नहीं होगीं, उन्हें डिब्बों में बंद करके रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धन कृषकों को अधिक धन दिया जा सकता है और लोगों को अधिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

ग्रामीण हरिजनों के विषय में हम क्या कर रहे हैं ? बजट में इन लोगों के लिये बहुत कम प्रस्ताव किया गया है। उन पर अभी भी अत्याचार किये जा रहे हैं। इस संबध में कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहियें।

सामाजिक न्याय, अवसरों तथा पारिश्रमिकों के मामले में पुरुष तथा महिलाओं के बीच समानता चाहता है। अब तक हम न तो समान परिश्रमिक दे पाये हैं। और नाहो समान अवसर प्रदान कर पाये हैं दूसरी ओर पति और पत्नि की आय को एक साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे उच्च आय के वर्ग में आ जायें और अधिक कर दे सकें। यह विचार बहुत गलत है क्योंकि भारत में जो महिला कार्य करती है वे आवश्यकता के लिए कार्य करती हैं प्रसन्नता के लिये नहीं। अमरीका और फ्रांस आदि में स्त्री और पुरुष की संयुक्त आय को आधा करके एक व्यक्ति की आय निकाली जाती है इस प्रकार वहां संयुक्त आय के 50 प्रतिशत पर कर लगता है। इसलिये हमारे यहां की तरह वहां के लोग उच्च आय वर्ग में नहीं आते हैं। आर्थिक पहलू से अलग इसमें महिलाओं के स्तर का प्रश्न निहित है कृपया प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान दें।

हम धन का विभाजन चाहते हैं और इस क्षेत्र में जो असमानताएँ हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिये क्या हमें स्वेच्छा से धन देने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। और क्या हमें इस स्वेच्छा से धन देने के मार्ग में बाधक बनना चाहिये। क्या स्वेच्छा से धन देने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सरकार को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि दान के लिये देना उचित है और मित्रों तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करना या व्यापार और उद्योग पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना छल नहीं है।

जहाँ तक धमार्थ न्यास का सम्बन्ध है हमें इस बात का आग्रह नहीं करना चाहिये कि उनको 15 या 18 महीनों के अन्दर 75 प्रतिशत धन खर्च करना चाहिये। अन्यथा दूसरे सरकारी विभागों की तरह जो लगभग 31 मार्च तक उल्टे-सीधे ढंग से खर्च करते है ऐच्छि न्यास भी उसी ढंग को अपनायेंगे। आयकर अधिकारियों की स्वीकृति के बिना भी इन न्यासों को 25 प्रतिशत धन जमा करने दिया जाना चाहिये। उन्हें यह धन बैंकों में जमा करना चाहिये और यह धन शेयरों या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में नहीं लगाया जायगा। जिस विशेष प्रयोजन की व्यवस्था की गई है वह अधिक कठोर नहीं होना चाहिये। इस प्रयोजन के अन्तर्गत आपतकालीन आवश्यकतायें, बाढ़, अकाल आदि भी आने चाहियें। वर्ष की समस्त आय को खर्च करने पर बल नहीं दिया जाना चाहिये।

उपहार-कर की सीमा को 5,000 रुपये तक कम करने के लिये कहा गया हैं। मेरे विचार से ऐसा न करना आवश्यक है। यदि कोई उपहार धर्मार्थ कार्यों के लिये परिवार से अलग के किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जाता है तो हमें वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 10,000 कर देना चाहिये । 10,000 रुपये की राशि एक छोटी सी राशि है अतः यह आवश्यक है कि सरकार इसको न घटाये ।

सरकार ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं करती जिसे 40,000 और 50,000 प्रति वर्ष आय उत्पादक परियोजनाओं में लगायी जा सके ।

धनी वर्ग को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिये । इन्हें अपने धन और उच्चस्तरीय जीवनयापन का दिखावा नहीं करना चाहिये। धन को परियोजनाओं पर व्यय किया जाय जिससे देश का हित हो सके ।

प्रधान मंत्री, वित्तमंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजनामंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जैसा कि अभी अभी कहा गया है कि बजट सरकार की राजनीतिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, यह बताता है कि सरकार किस प्रकार कार्य करना चाहती है विभिन्न विस्तृत उपायों को चाहे ये कर सम्बन्धी हों अथवा अन्य दूसरे प्रकार के, इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक समझा गया है। हाल ही के वर्षों में आर्थिक स्थिरता पर पर्दा डाला गया है जिसे उठाया जाना चाहिये अर्थव्यवस्था में निवेशों को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिये। ताकि आय तथा रोजगार दोनों ही बढ़े। इस तथ्य से नहीं बचा जा सकता कि यदि विकास करने की शक्ति को पुनःस्थापित करना है तो सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाया जाना आवश्यक है। और ऐसा करने के लिये राष्ट्रीय आय में सरकारी राजस्व का भाग भी बढ़ाया जाना है। इस प्रक्रिया में अल्पकालीन त्याग की आवश्यकता है, परन्तु यदि देश का तीव्रगति से विकास करना है तो हम राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि करने के कार्य से संभवतः पीछे नहीं हट सकते हैं, चाहे यह कुछ लोगों के लिये कितना भी अमान्य और असुविधाजनक क्यों न हो।

परन्तु ये अतिरिक्त कर, हमारे सम्मुख जो अन्य उद्देश्य हैं, जैसे आय, सम्पत्ति तथा उपयोग के सम्बन्ध में असमानताओं को दूर करना उनकी कीमत पर नहीं लगाये जाने चाहिये।

बजट में प्रस्तावित करों के सामान्य ढ़ांचे के लिये छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित की हुई सीमाओं पर थोड़े से समय में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा हम केवल एक वर्ष की अवधि में यह आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि आय तथा रोज़गार बहुत तीव्र गति से बढ़ जायेगा। परन्तु बजट में सामान्य उद्देश्य सुस्पष्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कई कार्यक्रमों के द्वारा रोज़गार की सुविधाओं को बढ़ाने तथा आय सम्बन्धी असमानताओं को दूर करने की पहल की गई है।

यह कहा गया है कि बजट में ऊंची आय वाले लोगों पर करों की दरें बढ़ा दी गयी हैं। दूसरे देशों के साथ तुलना करने पर यह बात निर्थक सिद्ध हो जायगी। प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से यदि देखा जाय तो हमारे देश में सबसे कम कर लगे हुए हैं। विभिन्न छूट देने के बाद व्यक्तिगत आय पर कर की अधिकतम दर बहुत कम हो गयी है।

उत्पादन शुल्क के प्रस्तावों को तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि गरीब वर्ग पर भार न पड़े और यदि कुछ भार हो भी तो बहुत कम हो।

कुछ सदस्यों ने टेलीवीजन का उल्लेख किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का अब यह उद्देश्य नहीं हैं कि धनी वर्ग अधिक से अधिक टेलीवीजन रखे, उद्देश्य यह है कि किसानों और अध्यापकों को इससे अधिक से अधिक लाभ हो।

छोटे उत्पादन कर्ताओं तथा शिल्पकारों को कुछ छूट दी गयी है। अधिकतर जनसाधारण द्वारा उपयोग की जाने वाली सस्ती प्रकार की चाय पर भी उत्पादन शुल्क कम करने का ध्यान रखा गया है।

यह कहा गया है कि राजस्व का अधिक अनुमान लगाया गया है इसलिये घाटे की वित्त व्यवस्था 1970–71 में 225 करोड़ रुपये से 450 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। ये आंकड़े सही नहीं हैं। राजस्व संचयन के अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि 1969–70 मे बजट सम्बन्धी घाटा पूर्व अनुमानित 290 करोड़ रुपये से भी कम हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि आय तथा निगम करों के संचयन में वृद्धि हुयी। 1970–71 में भी यह वृद्धि जारी रहेगी इसलिये घाटा कम होने की संभावना है।

जनसंघ तथा स्वतन्त्र दल के सदस्यों ने शिकायत की है कि हमारे देश में नियमित करों का भार अधिक है। संसार के कुछ देशों को छोड़कर यह सभी से ऊंचा है। उनका तर्क है कि यद्यपि निगम करों को बढ़ाया नहीं गया है तो भी अभी तक प्राप्त कर रियायतों को समाप्त करने अथवा उसमें कमी करने के कारण निगमित क्षेत्र के करों में वृद्धि होगी। इन आलोचकों ने कोई रियायतों पर ध्यान नहीं दिया है जिनसे स्थिति में सुधार हुआ है। कर-ऋण प्रमाणपत्रों अथवा विकास कटौती की दरों में कमी जैसी रियायतों को समाप्त कर देने से निगमित क्षेत्र के कुल मामले पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट रूप से विकास कटौती हमारे कर ढ़ांचे का स्थायी भाग नहीं हो सकती है।

कुछ सदस्यों ने मनोरंजन खर्च के लिये कटौतियों को वापस लेने के लिये कहा है। हम देशी अथवा विदेशी लोगों का मनोरंजन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन इतना अवश्य कहने हैं कि जहां तक कराधान का सम्बन्ध है इसे काटे जाने वाले खर्च में नहीं गिना जाना चाहिये।

व्यक्तिगत कराधान में वृद्धि के विषय में कहा गया है कि बुद्धि जीवी वर्ग तथा तकनीकि योग्यता प्राप्त व्यक्तियों पर अधिक भार पड़ेगा। हम अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना चाहते हैं परन्तु हमारे कर दाता इतने सीमित हैं जिससे कि करों के मामले में फेर बदल की संभावना नहीं रह जाती, और जिन लोगों को आय अधिक है उनसे अवश्य ही अधिकतम कर राशि प्राप्त की जानी चाहिये।

यह कहा गया है कि धमार्थ न्यासों को एक पृथक कानून द्वारा विनियमित, तथा दोष मुक्त किया जाय, कराधान द्वारा नहीं। यह मामला राज्यों के विचार करने का है। कर–कानून का लक्ष्य यह है कि धर्मार्थ न्यासों पर निगाह रखी जाय कि वे कर छूट को तभी प्राप्त नहीं कर

सकते हैं यदि साथ ही वे अपनी धन राशि को लेखक तथा इससे सम्बन्धित कई व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभ की व्यवस्था करने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। इसके विपरीत इन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये धन का उपयोग किया जाये, जिनके लिये न्यास की स्थापना की गयी थी।

कुछ सदस्यों ने छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। यदि इस सीमा को बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाय तो 18 करोड़ रुपये की और अधिक हानि होगी। कम आय वाले व्यक्तियों को दृष्टि में रखते हुये 5,000 रुपये तक की छूट सीमा भी काफी ऊंची है। यदि हम वेतन भोगी करदाताओं को दी जाने वाली विभिन्न कटौतियों पर विचार करते हैं तो 5,000 रुपये की सीमा 6,000 के निकट ही ठहरती है।

कई सदस्यों ने विभिन्न राज्यों की समस्याओं के विषय में कहा है। इन समस्याओं पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। सीमित साधनों के अन्दर ही, केन्द्रीय सरकार राज्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश में भवन-निर्माण ऋण के विषय में कहा गया है तथा इसकी तुलना अन्य दूसरे राज्यों से की गयी है। उत्तर-प्रदेश सरकार ने 801 लाख रुपया लिया था, और उसमें 669.39 लाख रुपया इस कार्य पर व्यय किया था। सामान्यतया इस व्यय की दर से चालू वर्ष के दौरान और अधिक आवंटन का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कलकत्ता और ग्रामीण बंगाल की समस्याओं के विशेष महत्व के सम्बन्ध में हम पूरी तरह सचेत हैं। हम इन मामलों पर कार्यवाही कर रहे हैं और सर्वेक्षण तथा अन्य कई योजनाओं को लागू करने के बारे में शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तीन स्पात संयत्रों की घोषणा करने पर हमने सोचा था कि इस समस्या से छुटकारा मिल गया है परन्तु समस्या अब भी वही है। यह घोषणा किसी दबाव के कारण नहीं की गयी है। श्री विश्वनाथम् ने कहा है कि 1963 में जब इन मामलों पर विचार किया गया एक निर्णय लिया गया था परन्तु किसी कारणवश इसे समाप्त कर दिया गया। अतः यह किसी के द्वारा अचानक किया गया निर्णय नहीं है। निर्णय के तुरन्त पश्चात् हमने घोषणा नहीं की क्योंकि हम बहुत सी बातों को निश्चित करना चाहते थे। सदस्य जानते हैं कि स्पात संयंत्रों के समस्त कार्य में सुधार हुआ है। भिलाई से अब लाभ प्राप्त हो रहा है और राउरकेला में भी कुछ सुधार हुआ है इतना नहीं जितना अधिक हम चाहते थे।

कृषि सम्पत्ति कर के विषय में कहा गया है। इस कर का प्रभाव उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनकी भूमि का मूल्य में छूट दी गयी 1 लाख रुपये की सम्पत्ति से अधिक 1.5 लाख रुपये होगा। अतः यह बात कदापि नहीं कही जा सकती कि इस प्रकार का प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ेगा।

मैं मानती हूं कि हमारे यहां धनी किसान अधिक नहीं है परन्तु हैं अवश्य। और ग़रीब किसानों की संख्या बहुत अधिक है और मेरे विचार से यह धनिक किसानों के हित में ही

होगा कि वे सामान्य ग्रामीण क्षेत्र विकास तथा वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दें।

सरकार द्वारा फैक्टरियों से अनिवार्य रूप से ले जाने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क में बहुत ही मामूली सी वृद्धि की गयी है। इस चीनी के मूल्यों का पुनः समंजन होने के कारण शुल्क में वृद्धि होने पर भी कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीनी के मूल्यों में कमी हुई है। पता चला है कि दिल्ली के बाजारों में चीनी का भाव 1 रु० 94 पैसे प्रति किलो से घट कर 1 रु० 78 पैसे हो गया है। खुली चीनी के भावों में भी बजट के बाद कमी आई है। वह 2 रु० 10 पैसे प्रति किलो से घटकर 1 रु० 95 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। मूल्य गिर जाने के कारण खुले बाज़ार में मिलने वाली चीनी पर लगे शुल्क को एकत्रित करने से संबंधित टैरिफ मूल्य मार्च के महीने में 1.50 रुपये प्रति किलो ग्राम से कम होकर 1.20 रुपये प्रति रह गया तथा परिणाम स्वरूप ही बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद से शुल्क में इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान 11 पैसे प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। तथापि हम स्थिति पर बराबर दृष्टि रखे हुए हैं।

मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि चाय पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य उस हानि को पूरा करना है। नये निर्यात शुल्क को समाप्त करने तथा बढ़िया किस्म की चाय का निर्यात करने के लिये दी गई आंशिक छूट के कारण सरकार को हुई है। इस निर्यात शुल्क में छूट का सर्वत्र स्वागत किया गया है क्योंकि इससे हम विदेशी मंडियों में अपना कब्जा बनाये रख सकेंगे तथा अपने पिछले निर्यात–स्तर में सुधार कर सकेंगे। परन्तु साथ ही यह भी तो अनिवार्य था कि देश में उपयुक्त होने वाली चाय पर कुछ अधिक शुल्क लगाकर इस कमी को पूरा किया जाये, मगर फिर भी यह ध्यान में रखा गया है कि शुद्ध शुल्कों पर या तो इसका प्रभाव बिल्कुल ही न पड़े या फिर बहुत ही कम पड़े। हां बढ़िया चाय पर जरा अधिक भार पड़ेगा। चाय उद्योग के कमजोर क्षेत्र को भी कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है हमने अभी हाल में ही निर्णय किया है कि जिन चाय बागों के चाय के मूल्य गत तीन वर्षों में औसतन 5 रुपये प्रति किलोग्राम से कम रहे हैं उनके लिये हमने केवल 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर तक सीमित करने का निर्णय किया है।

प्रायः यह भ्रम रहता है कि यदि किसी उद्योग या व्यवसाय पर कर लगाया जाता है तो सरकार उस उद्योग, व्यवसाय या उस श्रेणी के लोगों के विरुद्ध है। हमें तो वस्तुतः यह करना होता है कि जिसकी हालत अधिक ख़राब है उसे ऊपर लाया जाये, बड़ी विचित्र सी बात है कि जबकि लोग करों के विरुद्ध हैं वे विभिन्न क्षेत्रों के लिये जैसे बेरोज़गारी की समस्या के हल की भी मांग करते है। परन्तु इस समस्या का समाधान केवल अधिकाधिक पूंजी निवेश से ही हो सकता है। पिछले वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र, देश में प्रतति का मार्ग प्रशस्त करने के अपने उद्देश्य में प्रायः असफल रहा यही कारण है कि हमने अपने इस वर्ष के बजट में सरकारी परिव्यय में जान बूझकर 20 प्रतिशत की वृद्धि की है और विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाई है कि जिससे रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा हों। मैं मानती हूं कि यह एक छोटा सा ही क़दम है और इस समस्या के समाधान के लिये हमें और बहुत कुछ करना है।

परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि इसके लिये हमारे पास अतिरिक्त स्रोत होने चाहिये। ऐसी कोई वित्तीय प्रणाली तो निकाली नहीं जा सकती जिससे समाज के सभी अंग संतुष्ट हो जायें, परन्तु इस वर्ष के बजट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था हमें विकास के वित्तीय स्रोतों को आवश्यकताओं के साथ इस प्रकार सम्मिलित करना चाहिये जिससे थोड़ी अवधि में ही अधिकाधिक सामाजिक उद्देश्य पूरे हो सकें। कुछ ऐसे संशोधन भी किये गये हैं जिनसे वित्तीय प्रस्ताव और अधिक न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण हो सकें, यद्यपि इन प्रस्तावों में वह सब कुछ निहित तो नहीं है जो हम करना चाहते हैं परन्तु फिर भी स्थिति की मांग यही है।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : चाय पर से निर्यात शुल्क तो हटा दिया गया परन्तु उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। यह शुल्क विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। क्या इस असमानता को उचित समय पर दूर किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो इस पर खण्डवार विचार होना है। उस समय ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। अब तो प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1970–71 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

49वां प्रतिवेदन

श्री रघुरामैया (गुन्दूक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चुनाव चिन्हों के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश जारी

RE: INTERIM ORDER OF MADRAS HIGH COURT ABOUT ELECTION SYMBOLS-(Contd.)

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : माननीय सदस्य डा. राम सुभग सिंह द्वारा अपेक्षित जानकारी देने वाला वक्तव्य देने में मुझे कुछ समय लगा। श्री कक्कन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में वर्णित की गई रिट् याचिका पर न्यायाधीश ने चुनाव आयुक्त को आदेश दिया कि जब तक 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 53 के अधीन चुनाव सम्बन्धी नियमों का संचालन के नियम 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुच्छेद 15 के अधीन निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक चुनाव आयुक्त चैरन महादेवी के विधान सभा चुनाव क्षेत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी या चुनाव अधिकारी को कोई निर्देश न दे और बैलों की जोड़ी का चिन्ह प्रदान न करे।

अब मुख्य चुनाव आयुक्त 'चुनाव सम्बन्धी नियमों का संचालन' के नियम 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुच्छेद के अधीन न्यायिक जांच के अनुसार ही कार्यवाही कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पाया कि 4 मई तक कोई निर्णय करना असम्भव है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि कोई बाद की तारीख निश्चिय करके जांच कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए क्या है ! उच्च न्यायालय के निर्देश पूरी तरह स्पष्ट हैं और उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए न कि मामले को लटकाया जाना चाहिए क्योंकि जाहिर है कि चुनाव क्षेत्र के सम्बन्ध में अवश्य ही कोई गलत बात हुई है....**(व्यवधान)** मुख्य चुनाव आयुक्त को ये निर्देश मानने ही चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर वाद-विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई–उत्तर–पश्चिम) : चुनाव आयोग ने गवाहों की और आगे जांच के लिये इस मास की 13 तारीख नियत की है। एक पक्ष की ओर से केवल एक ही गवाह पेश हुआ है तथा दूसरे पक्ष ने गवाहों की केवल सूची पेश की है। इससे स्पष्ट है कि यह जांच जून मास के अन्त तक दूरी हो सकेगी। अतः यह कहना कि चुनाव आयुक्त को इस कार्य को शीघ्र ही समाप्त कर लेने की आशा है तथा इसीलिए चुनाव स्थगित किया गया है, सभा को गलत जानकारी देना है।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कदाचित पूरे तथ्य नहीं दिये हैं, दो मास पूर्व कोलाचेल में विधान सभा के लिये उप–चुनाव लड़ा जा रहा था और मेरे विचार से यह मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और उससे सम्बन्धित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बात ठीक भी थी। अब चेरम्महादेवी उप–चुनाव में चुनाव आयुक्त समय–सूची तो जारी कर चुके थे परन्तु अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई थी, इसलिए वे लोग उच्च न्यायालय की शरण में गए। यहीं से विवाद आरम्भ हुआ, स्पष्टतः उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि चुनाव आयुक्त तथा चुनाव अधिकारी को कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा तथा वह चुनाव चिन्ह किसी भी पक्ष को नहीं दिया जाएगा।

इसलिये इस कार्यवाही में कुछ भेद नजर आता है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके पश्चात् धारा 31 के अधीन चुनाव अधिकारी को एक सार्वजनिक सूचना द्वारा उक्त चुनाव के लिये नामांकन–पत्र आमंत्रित करने होते हैं। इसमें वह उन चुनाव के स्थानों की घोषणा करता है जहां ये नामांकन पत्र जमा कराये जाते हैं इसके पश्चात् चुनाव आयुक्त सरकार राज-पत्र में घोषणा करते हुए चुनाव की तारीख निश्चित करता है।

मेरा तात्पर्य यह है कि चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी करने के बाद धारा 31 तथा 39 का अनुसरण करना ही पड़ता है। चुनाव चिन्हों के आवंटन के बारे में चुनाव नियमों में निर्देश दिये गये हैं नियम पांच में व्यवस्था है कि चुनाव आयोग भारत के राज-पत्र में एक अधिसूचना जारी करके चुनाव के उम्मीदवारों को दिये गये चुनाव चिन्हों की घोषणा करता है।

श्रीमन्, आप को भली प्रकार ज्ञात है कि चुनाव आयोग ने यह आदेश बाद में जारी किया है जिसे चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा वितरण आदेश, 1948 के नाम से जाना जाता है ··· **(व्यवधान)**

श्री श्रीचन्द गोयल : दो बैल तथा जुआ वाला चिन्ह कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता इस ओर बैठी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ही इस चुनाव चिन्ह की अधिकारी है तथा चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन करने का चुनाव अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द मेनन : धारा 30 के आधार पर श्री गोयल द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं परन्तु राज्य के चुनाव क्षेत्र में चुनाव कराने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

डा० रामसुभग सिंह : यह दिनांक 27 अप्रेल का पत्र संख्या 100/18/डाल 31-8-70 है जिसमें अधिसूचना जारी करने की तारीख–4 मई, नामांकन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तारीख 11 मई, जांच करने की तारीख–12 मई आदि का ब्यौरा दिया गया है। अतः विधि मंत्री सभा को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि वह उच्च न्यायालय के आदेश को निष्क्रिय बनाना चाहते हैं।

श्री गोविन्द मेनन : यह तो अस्थायी कार्यक्रम था। मद्रास उच्च न्यायालय की अन्तरिम आदेशों के बाद कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

वित्त विधेयक-1970-जारी

FINANCE BILL-1970-CONTD.

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 46 तथा 47 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करता हू।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 349 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपना संशोधन संख्या 495 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बेनी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 547 तथा 548 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं अपना संशोधन संख्या 568 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मेरा पहला संशोधन संख्या 46, उन करों की दरों के बारे में हैं जिन्हें स्रोत के आधार पर वसूल किया जायेगा या जिन्हें अग्रिम कर के रूप में ही ले लिया जायेगा। मेरा संशोधन यह है कि प्रथम अनुसूची के भाग III के स्थान पर भाग I रख दिया जाये। उद्देश्य यह है कि चालू कर निर्धारण वर्ष 1970–71 में करारोपण की दर पहले ही बहुत अधिक है अतः वर्ष 1971–72 के कर निर्धारण वर्षविधि में इस कर में और वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। प्रथम अनुसूची के भाग III के स्थान पर भाग I में दी गई दर के अनुसार ही वर्ष 1971–72 में कर की कटौती तथा कर की अग्रिम अदायगी की जानी चाहिये।

मेरे दूसरे तथा तीसरे संशोधन (संख्या 47 तथा 495) में यह आशय है कि शब्द "औद्योगिक समवाय" (Industrial Company) की परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है। मैंने सुझाव दिया है कि जहां खण्ड 2 के उप-खण्ड (6) के अनुच्छेद (ग) में कहा गया है कि उन कम्पनियों को औद्योगिक कम्पनियों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये जिन्हें विधेयक में उल्लिखित क्रिया–कलापों के साथ साथ अन्य प्रकार के कार्यों से भी आय प्राप्त होती है, वहां इस खण्ड में यह भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये कि "या यदि इनकी परिसम्पत्तियों का काफी बड़ा भाग उपरोक्त क्रिया कलापों में अथवा उनमें से किसी एक में लगा हुआ हो।"

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My amendments relates to clause 2 on page 3 where the definition of a company public company, a domestic company and an industrial company is explained.

The definition of a domestic company or an industrial company provides that the income from their specific activities should not be less than 5 percent. I suggest that it should be reduced to 40 percent. This would be help in checking the rising monopolirate trend in the country and also in limiting the much expandring size of the company.

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मेरा पहला संशोधन 'देशीय कम्पनी' (Domestic Company) से सम्बन्धित है। 'देशीय कम्पनी' की परिभाषा आयकर अधिनियम की धारा 80 ख के अन्तर्गत दी गई है। आप इस विधेयक में पुनः उसकी भाषा दे रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक अधिनियम के अन्तर्गत आप एक ही शब्द की दो प्रकार की परिभाषा कैसे रख सकते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय एक नई परिभाषा देने के बजाय पुरानी परिभाषा में ही, यदि आवश्यक हो तो संशोधन करें। औद्योगिक कम्पनी के सम्बन्ध में मैंने दूसरा संशोधन दिया है। मैं चाहता हूं कि 'माल' (Goods) शब्द के बाद 'अथवा शीतागार संयंत्र के कार्य संचालन में' (or in the operation of cold storage plant) जोड़ दिया जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चूंकि सरकार की बजट-नीतियों को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आय पर लगने वाले आयकर की दरों में परिवर्तन किया गया है। अतः श्री वेणी शंकर शर्मा का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री दांडेकर के संशोधन से व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आयेंगी और परिणामतः कर निर्धारण में अधिक विलम्ब और विवाद होंगे। यदि श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन मान लिया गया तो कर की छूट के लिए वे कम्पनी भी अधिकारी बन जायेंगी, जिन्हें औद्योगिक कार्यों से बहुत थोड़ा लाभ होता है। यदि शीतागार से संबंधित

संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो पर्यटकों के खान-पान का प्रबंध करने वाले होटल और इंजीनियरिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां भी समान व्यवहार के लिए दावा जतायेंगी। अतः उपरोक्त संशोधन सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 और 47 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 46 and 47 were put and negatived.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 349 वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 349 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 349 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 495, 547, 548, 568 और 93 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 495, 547, 548, 568 and 93 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 1, 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 94 और 95 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 550, 551 और 552 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं संशोधन संख्या 570 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका (गोड़डा) : मैं संशोधन संख्या 632 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : According to the existing provisions the capital gains on agriculture are exempt from income tax. But this bill provides that income tax will be levied on those land owners or farmers who will earn profit by selling their land within eight kilometers limits of a local body with a population of ten thousand either it is a municipality or cantonement board or a corporation. It is the first time when such tax is being imposed on agriculture in India. Such a tax I think that there is no need of. If our Government is bent upon levying such a tax. I suggest that this urban limit should be reduced from eight to three kilometers and that such a tax should be imposed in area of local body with a population of not less than 2 lakhs.

The idea, on which the provision of this bill are based, is that the income of a land owner earned by him by selling the land for urbanisation purposes should be taxed. This idea may be good to some extent but one thing should also be considered in this context. If a farmer is not willing to sell his agriculture land but his land is acquired by the Government in the public interest, contrary to his wishes. In such cases, I think, capital gains tax should not be imposed. If this bill is passed the farmers will be put to great harssment in the name of urbanisation.

श्री नारायण दांडेकर : कृषि आय पर कर लगाना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। सरकार केवल एक नई परिभाषा देकर कृषि भूमि को कृष्येतर भूमि बनाना चाहती है। कृषि-भूमि की परिभाषा मात्र के आधार पर कृष्येतर भूमि घोषित करके उससे होने वाले लाभ पर कर लगाना असंवैधानिक है। क्योंकि राज्य सूची के अनुसार यह विषय पूर्णत: राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इस सम्बन्ध में राज्य के विधान-मंडल को अधिकार प्राप्त है। चूंकि यह राज्य सरकार का विषय है अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर कर लगाना असंवैधानिक है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My amendment is about the population and urban area. I have suggested that the population should be reduced from 10 thousand to 7 thousand and the limit of urban area should be extended to 20 kilometers instead of 8 kilometers. We want that our country should make progress. For it we need resources. So it is proper to tax such incomes as accrue to the owners as a result of urbanisation. I do not agree with the opinion of Shri Dandekar who said that it is unconstitutional. It is constitutional under article 110 (g). So Government should accept my amendments.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : कृषि भूमि पर लगने वाले सम्पत्ति कर या कृषि से होने वाली आय से सम्बन्धित कर को केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कर-ढांचे के अन्तर्गत लाभ चाहती है। ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल है। संघ सूची की प्रविष्ठि संख्या 82 में स्पष्ट रूप से लिखा है : "कृषि आय से अन्य अन्य आय पर कर।" अत: इसके अनुसार यह विधेयक ही असंवैधानिक बन जाता है। दूसरे, राज्य सरकारें इस विधेयक का पहले ही विरोध कर चुकी हैं। कई राज्य इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस विधेयक से सचमुच ही कृषकों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अत: सरकार को इस पर पुन: विचार करना चाहिए।

श्री वेणी शंकर शर्मा : यह विधेयक असंवैधानिक तो है ही । साथ ही यह अव्यावहारिक भी है । मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूं कि वित्त विधेयक में ऐसे खंड को लाये जायें जो वित्त विधेयक से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध नहीं है । अतः प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह विधि मन्त्री के इस वक्तव्य पर ध्यान दें कि जो उपबन्ध वित्त विधेयक से सीधे सम्बद्ध नहीं होंगे । उन्हें एक अन्य संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से लगाया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मई 1970/16 वैशाख, 1892 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the May 6, 1970/Vaishakh 16, 1892 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3